



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2014-15



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2014-15

छत्तीसगढ़ शासन

विषय—सूची

	पृष्ठ संख्या	
प्रस्तावना	v	
विनियोग लेखे का सार	1—12	
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	13—15	
विनियोग लेखे		
अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम	
	व्याज की अदायगी और ऋण सेवा (भारत विनियोग)	17—19
	लोक ऋण (भारत विनियोग)	20—21
01	सामान्य प्रशासन	22—25
02	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	26—27
03	पुलिस	28—32
04	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	33—34
05	जेल	35
06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	36—39
07	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	40—42
08	भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन	43—46
09	राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	47—48
10	वन	49—53
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	54—56
12	ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	57—59
13	कृषि	60—67
14	पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	68—71
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	72—74
16	मछली पालन	75—76
17	सहकारिता	77—79

18	श्रम	80—82
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	83—87
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	88—92
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	93—95
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय	96
23	जल संसाधन विभाग	97—103
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	104—107
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	108—109
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	110—111
27	स्कूल शिक्षा	112—119
28	राज्य विधान मंडल	120—121
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	122—126
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	127—132
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	133—134
32	जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	135—137
33	आदिम जाति कल्याण	138—140
34	समाज कल्याण	141—142
35	पुनर्वास	143
36	परिवहन	144—145
37	पर्यटन	146
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	147—148
40	आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय	149—150
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	151—182
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	183—184
43	खेल और युवा कल्याण	185—187
44	उच्च शिक्षा	188—190

45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	191—193
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	194
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	195—199
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	200—207
49	अनुसूचित जाति कल्याण	208
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	209
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	210
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	211—212
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	213
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	214—218
56	ग्रामोद्योग	219—221
57	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	222
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	223—227
59	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	228
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	229
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	230—249
65	विमानन विभाग	250
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	251—253
67	लोक निर्माण कार्य—भवन	254—261
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	262—264
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण	265—266
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	267—269
75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	270—272
76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	273
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	274—279
80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	280—285

	पृष्ठ सख्या
81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	286–290
82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	291–294
83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	295–296

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	299–300
परिशिष्ट-II मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण की गई राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण	301

प्रस्तावना

वर्ष 2014-15 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में-

- मूल मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
- पूरक पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
- पुनर्वि. सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।
- प्रभारित* विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे में टिप्पणी हेतु संयुक्त मध्य प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्डों को अपनाया गया है।

बचत

- (1) कुल प्रावधान का 2 % से अधिक बचत हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के अनुदानों के बीच के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 10 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष हेतु ₹ 20 लाख से अधिक बचतों हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

आधिक्य

- (1) सभी प्रकरणों में जहां पूर्ण आधिक्य है प्रावधान पर आधिक्य व्यय का नियमितिकरण हेतु सामान्य टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों हेतु ₹ 5 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 30 करोड़ के मध्य अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों हेतु ₹ 10 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उपशीर्षों के लिए ₹ 20 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
		(₹ हजार में)		
ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा (प्रभारित विनियोग)				
राजस्व— प्रभारित	1,92,21,965	1,82,66,245	9,55,720	..
लोक ऋण (प्रभारित विनियोग)				
पूंजीगत— प्रभारित	1,22,95,341	1,33,67,278	..	10,71,937 (₹1,07,19,37,176)
01. सामान्य प्रशासन				
राजस्व— दत्तमत प्रभारित	16,54,899 2,00,100	13,95,294 1,62,876	2,59,605 37,224
पूंजीगत— दत्तमत	84,863	83,562	1,301	..
02. सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय				
राजस्व— दत्तमत	2,22,590	1,46,972	75,618	..
03. पुलिस				
राजस्व— दत्तमत प्रभारित	2,38,35,932 5,600	2,29,88,560 1,627	8,47,372 3,973
पूंजीगत— दत्तमत	3,74,700	3,69,700	5,000	..
04. गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय				
राजस्व— दत्तमत	2,14,022	1,47,628	66,394	..
05. जेल				
राजस्व— दत्तमत प्रभारित	10,18,875 10	8,69,073 ..	1,49,802 10
06. वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व— दत्तमत	2,63,27,226	3,31,30,764	..	68,03,538 (₹ 6,80,35,37,552)
प्रभारित	1,560	3,016	..	1,456 (₹ 14,56,168)
पूंजीगत— दत्तमत	1,000	12,209	..	11,209 (₹ 1,12,08,998)
07. वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व— दत्तमत प्रभारित	18,72,960 4,50,355	16,54,879 4,50,000	2,18,081 355

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन				
राजस्व-				
दत्तमत	54,44,408	36,77,413	17,66,995	..
प्रभारित	1,226	1,113	113	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	6,89,000	93,000	5,96,000	..
09. राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	1,43,173	78,763	64,410	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,500	2,213	287	..
10. वन				
राजस्व-				
दत्तमत	78,50,311	72,73,801	5,76,510	..
प्रभारित	2,67,362	2,62,353	5,009	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,55,000	90,836	64,164	..
11. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	10,96,100	9,39,241	1,56,859	..
प्रभारित	35	..	35	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,73,300	3,51,410	21,890	..
प्रभारित	1,500	..	1,500	..
12. उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	52,48,044	49,81,158	2,66,886	..
प्रभारित	20,00,000	20,00,000
पूँजीगत-				
दत्तमत	25,50,000	10,25,000	15,25,000	..
13. कृषि				
राजस्व-				
दत्तमत	1,96,46,890	1,76,04,196	20,42,694	..
प्रभारित	950	325	625	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,52,000	..	1,52,000	..
14. पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	31,94,797	25,82,694	6,12,103	..
प्रभारित	302	136	166	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,96,000	39,885	5,56,115	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
15. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	34,43,232	23,19,804	11,23,428	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,62,400	3,62,400
16. मछली पालन				
राजस्व-				
दत्तमत	4,57,079	4,12,929	44,150	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	7,510	7,500	10	..
17. सहकारिता				
राजस्व-				
दत्तमत	11,49,178	7,79,324	3,69,854	..
प्रभारित	15	..	15	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,89,030	1,78,030	1,11,000	..
18. श्रम				
राजस्व-				
दत्तमत	11,49,337	5,43,792	6,05,545	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	35,000	..	35,000	..
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	1,23,84,991	99,73,689	24,11,302	..
प्रभारित	1,750	1,164	586	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,32,780	2,00,015	..	67,235
				(₹ 6,72,34,922)
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	46,85,550	37,85,216	9,00,334	..
प्रभारित	1,000	93	907	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,85,126	3,80,937	2,04,189	..
21. आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	11,21,446	6,71,811	4,49,635	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	34,70,500	13,76,462	20,94,038	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
22. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय				
राजस्व-				
दत्तमत	44,461	41,385	3,076	..
प्रभारित	5	..	5	..
23. जल संसाधन विभाग				
राजस्व-				
दत्तमत	40,97,530	36,81,278	4,16,252	..
प्रभारित	110	..	110	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	40,82,550	36,95,676	3,86,874	..
प्रभारित	2,500	175	2,325	..
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
राजस्व-				
दत्तमत	74,08,804	51,81,240	22,27,564	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,08,72,901	1,00,92,768	7,80,133	..
प्रभारित	93,417	85,513	7,904	..
25. खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	30,47,480	26,18,339	4,29,141	..
प्रभारित	500	..	500	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	26,58,100	3,80,281	22,77,819	..
26. संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	2,49,670	2,16,047	33,623	..
27. स्कूल शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	3,12,57,725	2,55,11,951	57,45,774	..
प्रभारित	320	..	320	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	4,51,260	1,47,372	3,03,888	..
28. राज्य विधान मण्डल				
राजस्व-				
दत्तमत	3,94,280	2,87,072	1,07,208	..
प्रभारित	7,400	1,727	5,673	..
29. न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन				
राजस्व-				
दत्तमत	30,04,150	21,40,772	8,63,378	..
प्रभारित	4,13,170	2,82,984	1,30,186	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,30,000	1,05,000	25,000	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
(₹ हजार में)				
30. पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	2,24,80,264	1,49,95,130	74,85,134	..
प्रभारित	200	..	200	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	76,35,500	56,00,460	20,35,040	..
31. योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	2,63,389	1,82,959	80,430	..
प्रभारित	40	..	40	..
32. जनसंपर्क विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	9,32,540	8,95,938	36,602	..
प्रभारित	76	76
पूंजीगत-				
दत्तमत	200	193	7	..
33. आदिम जाति कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	1,38,90,640	1,42,65,833	..	3,75,193
प्रभारित	100	..	100	(₹ 37,51,92,819)
पूंजीगत-				
दत्तमत	500	500
34. समाज कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	6,80,615	6,67,108	13,507	..
प्रभारित	40	33	7	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,000	1,000
35. पुनर्वास				
राजस्व-				
दत्तमत	15,308	13,817	1,491	..
36. परिवहन				
राजस्व-				
दत्तमत	4,68,344	2,97,017	1,71,327	..
प्रभारित	2,010	..	2,010	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,00,000	1,00,000
37. पर्यटन				
राजस्व-				
दत्तमत	4,62,500	4,62,500
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,80,000	65,000	1,15,000	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय बचत	आधिक्य
39. खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	2,17,47,005	1,50,91,389	66,55,616	..
प्रभारित	50	..	50	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	5,64,030	1,00,899	4,63,131	..
40. आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	64,467	34,940	29,527	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	6,38,000	2,28,595	4,09,405	..
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
राजस्व-				
दत्तमत	8,30,43,591	5,91,06,567	2,39,37,024	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	1,94,88,531	1,14,01,200	80,87,331	..
प्रभारित	1,500	716	784	..
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
पूंजीगत-				
दत्तमत	41,89,400	33,73,514	8,15,886	..
प्रभारित	6,000	..	6,000	..
43. खेल और युवा कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	5,82,058	1,49,792	4,32,266	..
प्रभारित	25	..	25	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	37,500	12,325	25,175	..
44. उच्च शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	56,83,030	38,13,294	18,69,736	..
प्रभारित	70	..	70	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	71,000	59,834	11,166	..
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
राजस्व-				
दत्तमत	6,13,890	5,39,799	74,091	..
पूंजीगत-				
दत्तमत	54,11,550	44,57,620	9,53,930	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
46. विज्ञान और टेक्नालॉजी				
राजस्व-				
दत्तमत	1,31,300	1,03,000	28,300	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	59,000	59,000
47. तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग				
राजस्व-				
दत्तमत	28,60,041	17,76,588	10,83,453	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	6,86,000	3,21,333	3,64,667	..
48. तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान				
राजस्व-				
दत्तमत	50,49,444	42,42,633	8,06,811	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	35,95,312	32,96,418	2,98,894	..
49. अनुसूचित जाति कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	9,65,240	8,59,292	1,05,948	..
50. बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	23,008	22,704	304	..
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
राजस्व-				
दत्तमत	95,280	72,890	22,390	..
53. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	2,35,126	1,77,082	58,044	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	4,20,000	4,20,000
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	9,60,000	8,25,000	1,35,000	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
55. महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	81,82,282	58,90,293	22,91,989	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	5,16,200	2,63,370	2,52,830	..
56. ग्रामोद्योग				
राजस्व—				
दत्तमत	7,59,590	6,20,487	1,39,103	..
प्रभारित	311	311
पूंजीगत—				
दत्तमत	17,701	7,288	10,413	..
57. जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
पूंजीगत—				
दत्तमत	5,000	614	4,386	..
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	43,41,584	31,76,486	11,65,098	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	2,000	..	2,000	..
59. पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
राजस्व—				
दत्तमत	55,043	54,601	442	..
60. जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	8,400	4,057	4,343	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	5,20,000	5,11,468	8,532	..
64. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
राजस्व—				
दत्तमत	3,01,20,868	2,08,00,000	93,20,868	..
प्रभारित	10	..	10	..
पूंजीगत—				
दत्तमत	85,97,005	64,15,943	21,81,062	..
65. विमानन विभाग				
राजस्व—				
दत्तमत	2,26,273	1,22,007	1,04,266	..
प्रभारित	10	..	10	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	20,44,790	15,64,245	4,80,545	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,28,600	1,78,039	50,561	..
67. लोक निर्माण कार्य-भवन				
राजस्व-				
दत्तमत	44,74,209	37,54,654	7,19,555	..
प्रभारित	4,000	3,009	991	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	37,35,026	31,66,974	5,68,052	..
68. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-भवन				
पूँजीगत-				
दत्तमत	23,17,550	18,49,251	4,68,299	..
69. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	64,77,716	19,37,393	45,40,323	..
71. सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	14,56,865	6,84,000	7,72,865	..
75. जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
पूँजीगत-				
दत्तमत	15,38,300	10,05,846	5,32,454	..
76. लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
पूँजीगत-				
दत्तमत	30,00,000	1,87,619	28,12,381	..
79. चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	36,13,031	29,31,934	6,81,097	..
प्रभारित	420	..	420	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	4,10,000	3,08,511	1,01,489	..

विनियोग लेखे का सार-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय (₹ हजार में)	अनुदान या विनियोग में किया गया व्यय	
			बचत	आधिक्य
80. त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	3,72,18,583	3,20,07,805	52,10,778	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	20,80,000	20,84,826	..	4,826 (₹ 48,26,000)
81. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	1,47,83,560	1,22,13,508	25,70,052	..
प्रभारित	6,00,000	6,00,000
पूँजीगत-				
दत्तमत	17,35,000	16,88,028	46,972	..
82. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	2,14,88,371	1,78,46,676	36,41,695	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	11,47,600	11,47,600
83. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व-				
दत्तमत	3,86,225	3,32,383	53,842	..
पूँजीगत-				
दत्तमत	9,10,000	9,10,000
योग:				
राजस्व-				
दत्तमत	46,85,49,610	37,81,70,886	9,75,57,454	71,78,730 (₹ 7,17,87,30,371)
प्रभारित	2,31,81,187	2,20,37,087	11,45,556	1,456 (₹ 14,56,168)
पूँजीगत-				
दत्तमत	9,78,93,025	6,82,17,522	2,97,58,773	83,270 (₹ 8,32,69,920)
प्रभारित	1,24,00,258	1,34,53,682	18,513	10,71,937 (₹ 1,07,19,37,176)
महायोग:-				
राजस्व	49,17,30,797	40,02,07,973	9,87,03,011	71,80,187 (₹ 7,18,01,86,539)
पूँजीगत	11,02,93,283	8,16,71,204	2,97,77,286	11,55,207 (₹ 1,15,52,07,096)

विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है :-

अनुदान संख्या और नाम—	अनुभाग	
दत्तमत—अनुदान		
06— वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व	पूजीगत
19— लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	..	पूजीगत
33— आदिम जाति कल्याण	राजस्व	..
80— त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	..	पूजीगत
प्रभारित—विनियोग		
.. लोक ऋण	..	पूजीगत
06— वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व	..

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए है जिनका व्यय करना अपेक्षित है। उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2014-15 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है।

	राजस्व		पूजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	37,81,70,886	2,20,37,087	6,82,17,522	1,34,53,682
घटाइये—वसूलियों का जोड़	45,95,041	..	19,65,995	..
वित्त लेखे के 11—दत्तमत एवं भारित व्यय के विवरण में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	37,35,75,845	2,20,37,087	6,62,51,527	1,34,53,682

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट—I में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुआ :-

(क) दत्तमत अनुदान:-

(i) राजस्व :- अनुदान संख्या-06

(ii) पूंजीगत :- अनुदान संख्या-06 एवं 19

(ख) प्रभारित विनियोग :-

राजस्व :- अनुदान संख्या-14 एवं 27

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुई:-

(क) दत्तमत अनुदान:-

(i) राजस्व :- अनुदान संख्या-01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 69,71, 79, 80, 81, 82 एवं 83.

(ii) पूंजीगत :- अनुदान संख्या-08, 09, 10, 12, 13,18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44,45, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 64, 66, 67, 68, 75, 76, 79 एवं 83.

(ख) प्रभारित विनियोग :-

(i) राजस्व :- अनुदान संख्या- 01, 03, 05, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 55, 64, 65, 67 एवं 79.

(ii) पूंजीगत :- अनुदान संख्या-लोक ऋण, 11, 23, 41 एवं 42.

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित की गए हैं ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन है जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक् रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम स्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक : 04 नवम्बर 2015

स्थान : नई दिल्ली

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा

(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
2049-ब्याज अदायगियां			
राजस्व:			
मूल	1,92,21,965		
पूरक	सांकेतिक	1,92,21,965	1,82,66,245
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)9,55,720 9,55,720

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण-			
मूल	13,280.00		
पुनर्वि.	(-)13,279.98	0.02	..
			(-)0.02
₹ 13,279.98 लाख की प्रत्याशित बचत नवीन बाजार ऋण के लिए पृथक मद में बजट प्रावधान किए जाने (₹ 11,384.20 लाख) के कारण सूचित की गई है। ₹ 1,895.98 लाख की प्रत्याशित बजट के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005-06 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2049-01-123-4854-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज-			
मूल	54,047.00		
पुनर्वि.	(-)2,425.65	51,621.35	51,621.35
			..
₹ 2,425.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2049-01-200-3087-भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00
			..
(4) 2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशागियों और केश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज-			
मूल	1,080.00		
पुनर्वि.	(-)1,080.00
			..

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 1,080.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005-06 से 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा- जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2049-04-101-3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज- मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)1,492.57	8,507.43	8,507.43	..
(6) 2049-04-101-6721-बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार समेकित ऋणों पर ब्याज- मूल 7,779.72 पुनर्वि. (-)699.45	7,080.27	7,080.27	..
(7) 2049-60-701-4192-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)- मूल 1,650.00 पुनर्वि. (-)188.83	1,461.17	1,461.17	..
(8) 2049-60-701-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)- मूल 5,300.00 पुनर्वि. (-)975.41	4,324.59	4,324.59	..
(9) 2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज- मूल 750.00 पुनर्वि. (-)233.89	516.11	516.17	..
(10) 2049-60-701-990-क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड्स पर ब्याज- मूल 1,025.00 पुनर्वि. (-)100.84	924.16	924.16	..

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,492.57 लाख, ₹ 699.45 लाख, ₹ 188.83 लाख, ₹ 975.41 लाख, ₹ 233.89 लाख एवं ₹ 100.84 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) तथा (8) के शीर्षान्तर्गत, 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (9) शीर्षान्तर्गत एवं 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत विनियोग से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-7597-9.22 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 2,305.00	2,305.00	2,305.00	..
(2) 2049-01-101-7598-8.98 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 1,122.50	1,122.50	1,122.50	..

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—समाप्त

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2049-01-101-7599-9.03 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2024- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 3,386.25		3,386.25	3,386.25	..
(4) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिये गए ऋणों पर ब्याज- मूल 8,900.00 पुनर्वि. 1,828.37		10,728.37	10,728.37	..
(5) 2049-01-305-2205-नये ऋणों के प्रचालन सम्बन्धी व्यय- मूल 10.00 पुनर्वि. 94.34		104.34	104.34	..
(6) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज- मूल 400.00 पुनर्वि. 2,131.49		2,531.49	2,531.49	..
(7) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज- मूल 27,500.00 पुनर्वि. 577.00		28,077.00	28,077.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,305.00 लाख, ₹ 1,122.50 लाख, ₹ 3,386.25 लाख, ₹ 1,828.37 लाख, ₹ 94.34 लाख, ₹ 2,131.49 लाख एवं ₹ 577.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन बजट अनुमान प्रत्याशा से कम होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

लोक ऋण
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष –			
6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
पूँजीगत	1,22,95,341	1,33,67,278	+10,71,937
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			463

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत:

(i) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 1,07,19,37,176 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) विनियोग में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003—110—779—कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम—			
मूल	14,250.00		
पुनर्वि.	14,250.00	28,500.00	39,224.00
			+10,724.00
₹ 14,250.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 6004—01—800—9484—सेन्ट्रल पूल बटालियन—			
मूल	130.60		
पुनर्वि.	107.20	237.80	237.80
			..
(3) 6004—02—101—3052—ब्लॉक कर्जे—			
मूल	5,500.00		
पुनर्वि.	653.51	6,153.51	6,153.51
			..

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 107.20 लाख एवं ₹ 653.51 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013—14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग से बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003—103—8140—भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00
(2) 6003—110—637—उपाय तथा साधन अग्रिम—			
मूल	14,250.00		
पुनर्वि.	(-)14,250.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 14,250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007—08 से 2013—14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी

लोक ऋण—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 6003—111—5670—केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ—			
मूल	24,558.22		
पुनर्वि.	(-)95.22	24,463.00	24,463.00
			..
₹ 95.22 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 6004—04—800—4838—मैक्रो मेनेजमेंट वर्किंग प्लान—			
मूल	178.71		
पुनर्वि.	(-)178.71
			..
₹ 178.71 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति / राज्यपाल / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013—मंत्री परिषद			
2015—निर्वाचन			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2055—पुलिस			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	15,31,202		
पूरक	1,23,697	16,54,899	13,95,294
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)2,59,605 2,53,610
प्रभारित—			
मूल	1,98,325		
पूरक	1,775	2,00,100	1,62,876
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)37,224 17,224
पूंजीगत :			
दत्तमत	84,863	83,562	(-)1,301
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,500
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 376.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 491.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 369.97 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,236.97 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 2,596.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 2,536.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			

अनुदान संख्या 01—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2013-102-3282—मंत्रियों का वेतन—			
मूल	181.08		
पुनर्वि	(-)107.55	73.53	(-)5.50
₹ 107.55 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2013-105-9064—मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान—			
मूल	1,325.00		
पुनर्वि.	(-)542.54	782.46	..
₹ 542.54 लाख की प्रत्याशित बचत नगर पालिक निगमों एवं पंचायतों से प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2013-108-3283—मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)135.08	64.92	103.99 +39.07
₹ 135.08 लाख की प्रत्याशित बचत मंत्रियों द्वारा दौरे कम किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(4) 2015-101-6262—राज्य निर्वाचन आयोग—			
मूल	3,715.20		
पूरक	326.00		
पुनर्वि.	(-)360.21	3,680.99	3,654.00 (-)26.99
₹ 360.21 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 13.30 लाख), टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं होने (₹ 3.02 लाख), फर्नीचर एवं वाहन क्रय नहीं किए जाने (₹ 14.69 लाख), निर्वाचन के कारण जिलों को निधि का आबंटन नहीं किए जाने (₹ 3.39 लाख) एवं कार्यालय उपकरण के देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 1.67 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 324.14 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2052-090-4327—सचिवालय—			
मूल	4,200.85		
पुनर्वि	(-)556.58	3,644.27	3,652.60 +8.33
₹ 556.58 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005-06 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2055-101-4544—सी.आई.डी. (इकॉनामिक अफेन्सेस)—			
मूल	359.08		
पूरक	5.50		
पुनर्वि.	(-)111.93	252.65	252.65 ..
₹ 111.93 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 109.43 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 1.10 लाख), चिकित्सा दावों के प्राप्त नहीं होने (₹ 0.57 लाख), जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 0.32 लाख) एवं यात्रा दावें प्राप्त नहीं होने (₹ 0.24 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2055—101—5461—एन्टी करप्शन ब्यूरो—			
मूल	448.98		
पूरक	5.00		
पुनर्वि.	(-)127.68	326.30	322.14
			(-)4.16

₹ 127.68 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 118.92 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 7.04 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1.72 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009—10 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2070—104—5405—लोक आयोग—			
मूल	231.10		
पुनर्वि.	(-)66.38	164.72	165.24
			+0.52

₹ 66.38 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 42.19 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 24.19 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008—09 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2070—104—5460—विशेष अन्वेषण स्थापना (एस.आई.ई.)—			
मूल	94.55		
पुनर्वि.	(-)54.13	40.42	40.61
			+0.19

₹ 54.13 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 49.77 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 4.36 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009—10 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2251—090—4329—सचिवालय—			
मूल	1,147.10		
पुनर्वि.	(-)149.04	998.06	998.56
			+0.50

₹ 149.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(11) 3451—090—4327—सचिवालय—			
मूल	1,100.50		
पुनर्वि.	(-)129.53	970.97	971.74
			+0.77

₹ 129.53 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 134.53 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि यात्रा भत्तों में अधिक भुगतान के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011—12 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) कुल व्यय मूल विनियोग से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 3.20 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 14.55 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 17.75 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) ₹ 372.24 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 172.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 01—समाप्त

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2012-03-090-4330-सचिवालय-			
मूल	404.62		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)113.95	290.67	298.15
			+7.48

₹ 113.95 लाख की प्रत्याशित बचत वाहन क्रय नहीं किए जाने (₹ 6.00 लाख) एवं निधि की मांग नहीं होने (₹ 5.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 102.95 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 2012-03-103-9059-घरेलू कर्मचारी-			
मूल	302.38		
पूरक	14.54		
पुनर्वि.	(-)36.05	280.87	272.41
			(-)8.46

₹ 36.05 लाख की प्रत्याशित बचत वाहन क्रय नहीं किए जाने (₹ 6.00 लाख), यात्रा अवकाश रियायत में कोई भी व्यय नहीं (₹ 2.00 लाख) एवं मजदूरी में कोई भी व्यय नहीं होने (₹ 1.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 27.05 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(3) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग	1,170.60	966.59	(-)204.01
--	----------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(vii) ₹ 13.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 15.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक तथा अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—		
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं		
2053—जिला प्रशासन		
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं		
2075—विविध सामान्य सेवाएं		
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2250—अन्य सामाजिक सेवाएं		
राजस्व:		
मूल	2,11,190	
पूरक	11,400	2,22,590
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		1,46,972
टीका एवं टिप्पणियां		(-)75,618
		67,367

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 114.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 756.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 673.67 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-092-6705-राज्य सूचना आयोग-			
मूल	276.80		
पूरक	14.00		
पुनर्वि.	(-)105.89	184.91	183.74
			(-)1.17
₹ 105.89 लाख की प्रत्याशित बचत नियमित कर्मचारियों की संख्या में कमी (₹ 74.70 लाख), दौरे में कमी (₹ 5.69 लाख), कार्यालय शासकीय भवन में स्थापित होने (₹ 6.05 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 19.45 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(2) 2070-800-5079-विशेष जांच आयोग-

मूल	102.60		
पुनर्वि.	(-)68.72	33.88	23.88
			(-)10.00

₹ 68.72 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों

को भत्ते तथा उपादान-

मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)199.19	100.81	6.12
			(-)94.69

₹ 199.19 लाख की प्रत्याशित बचत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या में कमी के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02 समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235-60-800-7297-लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि-			
मूल 700.00			
पुनर्वि. (-)117.87	582.13	572.27	(-)9.86

₹ 117.87 लाख की प्रत्याशित बचत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों द्वारा बस पास की सुविधा नहीं लिए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2055—पुलिस			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,20,73,848		
पूरक	17,62,084	2,38,35,932	2,29,88,560
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)8,47,372 9,25,711
<i>प्रभारित</i>	<i>5,600</i>	<i>1,627</i>	<i>(-)3,973</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)</i>			<i>3,230</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	3,59,700		
पूरक	15,000	3,74,700	3,69,700
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)5,000 5,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 2,29,885.60 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में ₹ 17,620.84 लाख अनुपूरक प्रावधान, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया (₹ 7,339.75 लाख) अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था एवं दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया (₹ 2,070.00 लाख) अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था जबकि मार्च 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 8,211.09 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 8,473.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 9,257.11 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2055-001-3680-राज्य मुख्यालय—			
मूल	4,552.17		
पूरक	471.80		
पुनर्वि.	(-)530.28	4,493.69	4,453.88
			(-)39.81

₹ 530.28 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 629.28 लाख की कमी एवं ₹ 99.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। निधि में कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 130.28 लाख) एवं वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 499.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2055-001-7012-पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण—			
मूल	282.90		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)198.78	84.12	90.77
			+6.65
₹ 198.78 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(3) 2055-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 8917-काउन्टर इनसरजेंसी एण्ड एन्टी टेरोरिस्ट स्कूल—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)101.81	198.19	198.19
			..
₹ 101.81 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2055-101-279-अभियोजन संचालनालय—			
मूल	1,560.05		
पुनर्वि.	(-)318.60	1,241.45	1,230.60
			(-)10.85
₹ 318.60 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)—			
मूल	62,018.00		
पूरक	4,964.71		
पुनर्वि.	(-)269.00	66,713.71	66,767.20
			+53.49
₹ 269.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2055-104-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजना—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)313.02	1,686.98	109.51
			(-)1,577.47
₹ 313.02 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(7) 2055-108-5067-विधि चिकित्सा विज्ञान	563.40	244.75	(-)318.65
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2055-109-121-केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती—			
मूल	570.00		
पुनर्वि.	(-)570.00
₹ 570.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 470.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2055-109-6717-प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय— मूल 8,333.00 पूरक 1,500.00 पुनर्वि. (-)788.09	9,044.91	8,886.61	(-)158.30
(10) 2055-109-8333-सड़क सुरक्षा कोष से व्यय— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)280.88	19.12	17.03	(-)2.09
(11) 2055-111-2531-पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस-पूर्वी विभाग)— मूल 2,491.65 पुनर्वि. (-)419.67	2,071.98	2,045.38	(-)26.60
(12) 2055-114-4155-बेतार केन्द्र रायपुर— मूल 2,540.20 पुनर्वि. (-)167.57	2,372.63	2,287.79	(-)84.84
(13) 2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण— मूल 2,500.00 पूरक 3,777.92 पुनर्वि. (-)3,475.97	2,801.95	2,801.95	..
(14) 2055-115-7506-नक्सल क्षेत्रों में नवीन थाना चौकी निर्माण एवं सुदृढीकरण— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)756.00	1,744.00	1,744.00	..
उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 788.09 लाख, ₹ 280.88 लाख, ₹ 419.67 लाख, ₹ 167.57 लाख, ₹ 3,475.97 लाख एवं ₹ 756.00 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (12) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत एवं 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2070-107-2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय— मूल 2,031.90 पूरक 20.00 पुनर्वि. (-)411.07	1,640.83	1,840.47	+199.64
₹ 411.07 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा दावों के प्राप्त नहीं होने, वाहनों की नीलामी नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2070-107-492-आव्हान पर होने वाला व्यय— मूल 12,248.68 पुनर्वि. (-)1,530.47	10,718.21	10,570.82	(-)147.39
₹ 1,530.47 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 1,507.68 लाख), रेलवे वारंट प्राप्त नहीं होने (₹ 9.09 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 13.70 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 03—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2055-003-195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएं—			
मूल	2,760.83		
पूरक	1,964.58		
पुनर्वि.	92.00	4,817.41	+85.66

₹ 92.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2055-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-
7307-विशेष अधोसंरचना
विकास योजना—

पूरक	551.82	551.82	2,127.30	+1,575.48
------	--------	--------	----------	-----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(3) 2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)—

मूल	1,12,525.00			
पूरक	3,230.00			
पुनर्वि.	677.00	1,16,432.00	1,17,660.49	+1,228.49

₹ 677.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 377.0 लाख की कमी एवं ₹ 1,054.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधि में वृद्धि लोक सभा निर्वाचन के लंबित देयकों के भुगतान के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(4) 2055-113-7244-बीमा विकल्प अनुदान—

मूल	500.00			
पूरक	1,000.00			
पुनर्वि.	129.80	1,629.80	1,629.80	..

₹ 129.80 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 200.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 70.20 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधि में वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किए जाने एवं कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है।

प्रभारित—

(v) ₹ 39.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 32.30 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)26.30	23.70	(-)7.43

₹ 26.30 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4055—208—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2629—पुलिस—			
मूल	3,597.00		
पूरक	150.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	3,697.00	3,697.00
			..

₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। 2007—08 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद्			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व:			
मूल	1,83,478		
पूरक	30,544	2,14,022	1,47,628
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-) 66,394 65,211

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 101.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 150.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 54.44 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 305.44 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 663.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 652.11 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2070—106—0801—7465—रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेंस—			
मूल	92.62		
पूरक	54.44		
पुनर्वि.	(-)92.62	54.44	54.44

₹ 92.62 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 52.62 लाख) एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 40.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। 2011—12 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2235—60—200—6704—जन—जागरण
अभियान—

मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00		

₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009—10 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2235—60—200—7495—अपराध पीड़ितों के लिए
पीड़ित क्षतिपूर्ति—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)6.35	93.65	47.50

₹ 6.35 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235-60-200-9262-जिला सैनिक बोर्ड-			
मूल	418.31		
पुनर्वि.	(-63.81)	354.50	353.40
			(-1.10)

₹ 63.81 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-200-2653-पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायक अनुदान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	18.02	518.02	588.18
			+70.16

₹ 18.02 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 6.98 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि 1984 के दंगा पीड़ितों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान प्रदान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 05-जेल

शीर्ष	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ हजार में)			
मुख्य शीर्ष-			
2056-जेल			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	10,12,375		
पूरक	6,500	10,18,875	8,69,073
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2015)			(-)1,49,802 1,48,961
प्रभारित	10	..	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31मार्च 2015)			10

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत-

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2014 (₹ 29.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 36.00लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 65.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ है।

(ii) ₹ 1,498.02 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 1,489.61 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ लाख में)			
(1) 2056-001-2272-निर्देशन और प्रशासन-			
मूल	271.40		
पुनर्वि.	(-)131.58	139.82	139.69
			(-)0.13

₹ 131.58 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 110.73 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 6.21 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 14.64 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2056-101-938-केन्द्रीय एवं जिला जेलें-

मूल	9,352.35		
पूरक	65.00		
पुनर्वि.	(-)1,358.03	8,059.32	8,051.32
			(-)8.28

₹ 1,358.03 लाख की प्रत्याशित बचत वेतन एवं भत्तों का आहरण नहीं किए जाने (₹ 967.25 लाख), सी.सी.टी. व्ही. केमरा क्रय नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 290.03 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 100.75 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.10 लाख सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2435—अन्य कृषि कार्यक्रम			
2885—उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय			
7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,60,23,338		
पूरक	3,03,888	2,63,27,226	3,31,30,764
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			4,50,789
<i>प्रभारित</i>	<i>1,560</i>	<i>3,016</i>	<i>+1,456</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> <i>(31 मार्च 2015)</i>			<i>50</i>
पूँजीगत:			
दत्तमत	1,000	12,209	+11,209
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 6,80,35,37,552 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 68,035.38 लाख के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 4,507.89 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान से आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2071-01-101-2413—सेवानिवृत्त वेतन भोगियों को देय	1,45,000.00	2,00,350.51	+55,350.51
(2) 2071-01-102-3080—भारत में पेंशनों का रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	257.60	579.20	+321.60
(3) 2071-01-105-2514—परिवार पेंशन	41,056.00	60,896.97	+19,840.97
(4) 2071-01-111-4010—विधायकों का पेंशन	500.00	882.08	+382.08

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1), (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 के दौरान एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2235—60—200—7000—पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति—			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	(-)20.00	442.56	+442.56

₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012—13 एवं 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2047—103—9120—संचालन—			
मूल	110.45		
पुनर्वि.	(-)52.26	58.19	+12.33

₹ 52.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2052—091—4295—संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली—			
मूल	311.52		
पूरक	0.70		
पुनर्वि	(-)264.78	47.44	+0.15

₹ 264.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(3) 2054—095—2274—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	1,240.05		
पुनर्वि	(-)166.89	1,073.16	(-)6.61

₹ 166.89 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011—12 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2054—095—4307—संभागीय स्थापना—			
मूल	551.90		
पुनर्वि.	(-)142.06	409.84	(-)1.59

₹ 142.06 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 144.06 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि मजदूरी का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008—09 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2054—095—8904—ऑडिट सेल का गठन—			
मूल	211.70		
पुनर्वि.	(-)187.57	24.13	(-)1.04

₹ 187.57 लाख की प्रत्याशित बचत साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2054—097—1026—खजाना स्थापना—			
मूल	2,609.75		
पूरक	631.00		
पुनर्वि	(-)676.08	2,564.67	(-)0.86

अनुदान संख्या 06—जारी

₹ 676.08 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 206.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 882.08 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि मजदूरी का भुगतान किए जाने (₹ 6.00 लाख) एवं ई-कोष परियोजना के मुख्य सर्वर की स्थापना किए जाने (₹ 200.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2054-098-4361-स्थानीय निधि लेखा—			
मूल	1,948.70		
पुनर्वि.	(-)837.99	1,110.71	(-)2.85
		1,107.86	

₹ 837.99 लाख की प्रत्याशित बचत देयकों के प्राप्त नहीं होने (₹ 5.60 लाख), रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 782.00 लाख), प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाने (₹ 6.13 लाख) एवं व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा सीधी भर्ती किए जाने (₹ 5.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 39.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2071-01-104-4590-सेवा एवं मूल्य निवृत्ति पुरस्कार	28,000.00	27,135.89	(-)864.11
(9) 2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण	13,000.00	10,060.82	(-)2,939.18

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2435-60-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु ब्याज अनुदान—			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,577.31	922.69	922.69

₹ 1,577.31 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2885-60-190-4843-अधोसंरचना विकास निगम—			
मूल	530.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	30.00	30.00

₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(v) प्रभारित विनियोग से हुए ₹ 14,56,168 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) ₹ 14.56 लाख की अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 0.50 का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) विनियोग से आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2071-01-106-600-निवृत्त न्यायालयों के न्यायधीशों के देयक	15.10	30.16	+15.06

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 06—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(viii) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 1,12,08,998 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ix) प्रावधान से आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
7810-122-5675-मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य अन्तर्राज्यीय समायोजन	10.00	122.09	+112.09

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	18,13,560		
पूरक	59,400	18,72,960	16,54,879
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)2,18,081 3,12,931
<i>प्रभारित</i>	<i>4,50,355</i>	<i>4,50,000</i>	<i>(-)355</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> <i>(31 मार्च 2015)</i>			<i>355</i>
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :**दत्तमत—**

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 394.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 में (₹ 200.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 594.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 2,180.81 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 3,129.31 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-01-001-6003—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	170.22		
पुनर्वि.	(-)65.69	104.53	123.37
			+18.84
₹ 65.69 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 55.82 लाख) एवं कार्यालय शासकीय भवन में स्थानांतरित होने के कारण (₹ 4.49 लाख) सूचित की गई है। शेष ₹ 5.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 2030-02-101-2456—न्यायिकेतर स्टाम्पों की लागत—			
मूल	525.00		
पूरक	200.00		
पुनर्वि.	(-)53.72	671.28	611.98
			(-)59.30
₹ 53.72 लाख की प्रत्याशित बचत हैदराबाद से स्टाम्प छपाई के देयक प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(3) 2030-02-102-2455—न्यायिकेतर स्टॉम्प की बिक्री पर व्यय	850.00	698.51	(-)151.49
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षांतर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2039-001-122-अधीक्षण-			
मूल	1,975.51		
पुनर्वि.	(-)116.04	1,859.47	1,870.95
			+11.48
₹ 116.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यालय में आवश्यकता नहीं होने (₹ 1.60 लाख), देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 2.08 लाख), विभाग हेतु हाइड्रोमीटर/थर्मामीटर के क्रय स्वीकृति शासन से प्राप्त नहीं होने (₹ 8.00 लाख), बिजली बिल सी.एस.बी.सी द्वारा भुगतान करने (₹ 1.50 लाख), वर्दी क्रय नहीं किये जाने (₹ 0.80 लाख), देयकों में आपूर्ति लगने (₹ 1.13 लाख), समय पर देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 98.46 लाख) एवं पेट्रोल के दरों में कमी (₹ 0.80 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(5) 2039-001-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना-			
मूल	4,107.35		
पुनर्वि.	(-)717.89	3,389.46	3,403.54
			+14.08
₹ 717.89 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 614.98 लाख), नौ नवीन जिलों के आहरण/संवितरण अधिकार समाप्त होने (₹ 86.27 लाख), आकस्मिकता निधि के पद नहीं होने (₹ 3.30 लाख), वाहनों का क्रय नहीं करने (₹ 12.13 लाख) एवं जिलों से मांग नहीं होने (₹ 1.21 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2039-102-1111-अबकारी सामग्री की खरीद-			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)347.45	2.55	2.55
			..
₹ 347.45 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय-			
मूल	710.20		
पूरक	230.00		
पुनर्वि.	(-)255.31	684.89	680.85
			(-)4.04
₹ 255.31 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 11.00 लाख), रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने (₹ 76.61 लाख), यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 8.55 लाख), एन.आई.सी.एस. से संबंधित देयक समय पर प्राप्त नहीं होने (₹ 59.87 लाख), आकस्मिकता निधि में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने (₹ 15.50 लाख) एवं अधिवक्ताओं का देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 66.86 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 16.92 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2040-001-6810-वाणिज्यकर अधिकरण-			
मूल	113.70		
पुनर्वि.	(-)60.04	53.66	53.66
			..
₹ 60.04 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 37.90 लाख), कार्यालय व्यय एवं सुधार कार्य में व्यय कम होने (₹ 19.44 लाख) एवं कार्यालयीन भवन किराये पर होने (₹ 1.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(9) 2040-101-1509-जिला स्थापना-			
मूल	4,838.55		
पुनर्वि.	(-)894.21	3,944.34	3,952.26
			+7.92
₹ 894.21 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने (₹ 659.73 लाख), दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या में कमी होने (₹ 6.73 लाख), कार्यालयीन व्यय में कमी होने (₹ 82.57 लाख), आकस्मिकता निधि में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने (₹ 75.00 लाख) एवं समय पर स्वीकृत प्राप्त नहीं होने (₹ 55.40 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 14.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 07—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-01-101-4612-स्टाम्पों की लागत-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)24.36	75.64	350.27
			+274.63

₹ 24.36 लाख की प्रत्याशित बचत हैदराबाद से स्टाम्प मुद्रण की देयक प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 2030-03-001-1480-जिला प्रभार-

मूल	1,340.90			
पुनर्वि.	(-)325.00	1,015.90	1,874.18	+858.28

₹ 325.00 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 281.60 लाख) एवं फ्रेकिंग मशीन की मरम्मत नहीं होने (₹ 3.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 40.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2039-800-4034-विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन-

मूल	21.25			
पुनर्वि.	738.30	759.55	759.05	+0.50

₹ 738.30 लाख का पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 908.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 169.70 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधि में वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान हेतु और कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 9.62 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 160.08 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष-			
2029-भू-राजस्व			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053-जिला प्रशासन			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
2216-आवास			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2711-बाढ़ नियंत्रण			
3054-सड़कें और पुल			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
6401-फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	53,76,508		
पूरक	67,900	54,44,408	36,77,413
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)17,66,995 16,61,521
<i>प्रभारित</i>		1,226	1,113
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)</i>			(-)113 26
पूंजीगत :			
दत्तमत-			
मूल	5,54,000		
पूरक	1,35,000	6,89,000	93,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)5,96,000 4,32,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत-			
(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 100.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 579.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 679.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 17,669.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 16,615.21 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2029-102-2193-नजूल स्थापना-			
मूल	409.23		
पुनर्वि.	(-)56.06	353.17	351.18
			(-)1.99

अनुदान संख्या 08—जारी

₹ 56.06 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 46.96 लाख), कर्मचारियों से देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 0.80 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 1.60 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 6.70 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2029-102-2503-परिमाण, व्यवस्थापना तथा लेख्य संग्रह संबंधी कार्य— मूल 413.05 पुनर्वि. (-)59.81	353.24	335.39	(-)17.85

₹ 59.81 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 58.41 लाख), कर्मचारियों से देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 0.65 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 0.75 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार— मूल 160.71 पुनर्वि. 203.10	363.81	..	(-)363.81
--	--------	----	-----------

₹ 203.10 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 308.62 लाख की वृद्धि तथा ₹ 105.52 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी आधुनिक अभिलेख कक्ष के बनाने एवं डाटा इन्ट्री कार्य के लिए अन्तर संयोग स्थापित किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 9981-लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय— मूल 54.12 पूरक 25.80 पुनर्वि. (-)42.35	37.57	8.64	(-)28.93
--	-------	------	----------

₹ 42.35 लाख की प्रत्याशित बचत भारत रकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2029-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6337-भू-अभिलेख का अद्यतिकरण— मूल 3,090.98 पुनर्वि. (-)1,712.66	1,378.32	1,291.68	(-)86.64
--	----------	----------	----------

₹ 1,712.66 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 926.43 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,639.90 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी वर्ष के दौरान सर्वेक्षण कार्य नहीं किए जाने (₹ 1,235.05 लाख) एवं भारत सरकार से प्राप्त राशि के अनुसार व्यय किए जाने (₹ 1,404.04 लाख) के कारण एवं वृद्धि आधुनिक अभिलेख कक्ष के बनाने एवं डाटा इन्ट्री कार्य के लिए अन्तर संयोग स्थापित किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(6) 2029-797-6753-पर्यावरण निधि का अंतरण— मूल 245.00 पुनर्वि. (-)245.00
(7) 2029-797-6754-अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण— मूल 12,540.00 पुनर्वि. (-)12,540.00

अनुदान संख्या 08—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 245.00 लाख एवं ₹ 12,540.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2052-099-3657-राजस्व बोर्ड—			
मूल	343.73		
पुनर्वि.	(-)164.66	179.07	178.18
			(-)0.89

₹ 164.66 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 140.73 लाख), चिकित्सा दावे, यात्रा एवं अवकाश यात्रा रियायत के देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 10.23 लाख) एवं मितव्ययी उपयों को अपनाने (₹ 13.70 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2053-093-1510-जिला स्थापना—			
मूल	19,372.40		
पूरक	193.95		
पुनर्वि.	(-)468.72	19,097.63	18,716.98
			(-)380.65

₹ 468.72 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 297.79 लाख), कर्मचारियों से यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 2.43 लाख), नवीन वाहन क्रय किए जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 5.50 लाख), मितव्ययी उपयों के अपनाने (₹ 57.09 लाख) एवं जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने (₹ 100.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 5.91 लाख प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2053-101-452-आयुक्त संभागीय कार्यालय—			
मूल	725.15		
पुनर्वि.	(-)84.05	641.10	584.93
			(-)56.17

₹ 84.05 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों से दावे प्राप्त नहीं होने (₹ 3.50 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 80.55 लाख प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(11) 2216-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7298-नक्सल प्रभावित परिवारों के लिये आवास योजना—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 7.33 लाख) एवं जिलाधीशों द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने (₹ 42.67 लाख) के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2216-03-102-8911-अधोसंरचना निधि से व्यय—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)48.00	52.00	52.00
			..

₹ 48.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(13) 2711-01-103-8910-पर्यावरण निधि से व्यय—			
मूल	240.00		
पुनर्वि.	(-)240.00

(14) 3054-04-337-8911-अधोसंरचना निधि से व्यय—			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)952.00	148.00	148.00
			..

उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 240.00 लाख एवं ₹ 952.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 08—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 1,350.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ।

(v) ₹ 5,960.00 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 4,320.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन	1,200.00	930.00	(-)270.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 4515-196-0510-अधोसंरचना विकास- 8911-अधोसंरचना निधि से व्यय- मूल 4,320.00 पुनर्वि. (-)4,320.00
--	----	----	----

₹ 4,320.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है।

(3) 6401-103-862-कृषक ऋण विधान	1,350.00	..	(-)1,350.00
--------------------------------	----------	----	-------------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	1,43,173	78,763	(-)64,410
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			44,636
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>..</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)</i>			<i>10</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	2,500	2,213	(-)2,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 644.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 446.36 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2058—001—2286—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय—			
मूल	72.28		
पुनर्वि.	(-)31.14	41.14	35.58
			(-)5.56
₹ 31.14 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012—13 एवं 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2058—101—618— उप नियंत्रक लेखन सामग्री का कार्यालय—			
मूल	143.21		
पुनर्वि.	(-)57.66	85.55	91.52
			+5.97
₹ 57.66 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012—13 एवं 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2058—102—2820—फार्म का मुद्रण, भण्डारण और वितरण—			
मूल	888.75		
पुनर्वि.	(-)322.26	566.49	521.50
			(-)44.99
₹ 322.26 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 222.71 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 11.70 लाख), कर्मचारी/अधिकारी द्वारा मांग नहीं करने (₹ 4.25 लाख) एवं नवीन मशीन क्रय नहीं (₹ 5.00 लाख) करने के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 78.60 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005—06 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 09—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2058—102—5659—शासकीय प्रेस रायपुर—			
मूल	307.49		
पुनर्वि.	(-)103.30	204.19	130.94
			(-)73.25

₹ 103.30 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 97.63 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 2.67 लाख), कर्मचारी/अधिकारियों के स्थानांतरण नहीं होने (₹ 0.20 लाख), कर्मचारी/अधिकारियों से प्रकरण प्राप्त नहीं होने (₹ 0.10 लाख) एवं नये रायपुर में मुद्रनालय स्थानांतरित किए जाने (₹ 0.50 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 2.20 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005—06 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

पुंजीगत:

दत्तमत—

(iv) ₹ 2.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

अनुदान संख्या 10-वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष-			
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी			
4406-वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	77,46,926		
पूरक	1,03,385	78,50,311	72,73,801
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)5,76,510 1,80,232
प्रभारित-			
मूल	2,64,530		
पूरक	2,832	2,67,362	2,62,353
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)5,009 30
पूंजीगत :			
दत्तमत	1,55,000	90,836	(-)64,164
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			62,958

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत-

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 81.85 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 252.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,033.85 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 5,765.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 1,802.32 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2406-01-001-3555-मुख्यालय-			
मूल	1,496.56		
पूरक	41.80		
पुनर्वि.	(-)40.80	1,497.56	1,311.27
			(-)186.29

₹ 40.80 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2406-01-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)

1859-राज्य वन अनुसंधान की स्थापना-

मूल 200.00

पूरक 16.00

पुनर्वि. (-)85.27

130.73

130.61

(-)0.12

₹ 85.27 लाख की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं होने (₹ 1.24 लाख), डाक व्यय में कमी करने (₹ 0.99 लाख) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाने (₹ 3.24 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 79.80 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2406-01-101-2786—प्रादेशिक संभाग (क्षेत्रीय वृत्त)—			
मूल	1,025.75		
पुनर्वि.	0.76	1,026.51	919.52
			(-)106.99
₹ 0.76 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(4) 2406-01-101-3836—उत्पादन वन मण्डल राजकीय			
व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती			
लकड़ी, खैर एवं बांस	2,542.90	2,179.33	(-)363.57
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(5) 2406-01-101-3877—क्षेत्रीय वन मण्डल—			
मूल	30,112.60		
पूरक	24.05		
पुनर्वि.	40.04	30,176.69	28,529.02
			(-)1,647.67
₹ 40.04 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 0.76 लाख की कमी एवं ₹ 40.80 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(6) 2406-01-101-812—कार्यकारी योजना संगठन			
एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	807.25	627.21	(-)180.04
(7) 2406-01-101-813—कार्यकारी योजनाएं तथा			
अतिक्रमण व्यवस्थापन कार्य	355.40	284.34	(-)71.06
(8) 2406-01-102-4475—सामाजिक वानिकी	960.40	888.10	(-)72.30
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(9) 2406-01-105-1201—विदेशी सहायता			
प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)			
6725—यूरोपियन कमीशन			
राज्य साझेदारी कार्यक्रम			
के अंतर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	218.80		
पुनर्वि.	(-)168.80	50.00	50.00
			..
₹ 168.80 लाख की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है ।			
(10) 2406-01-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6792—लघु वनोपज संग्राहक			
सामूहिक बीमा योजना—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	100.00	100.00
			..
₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(11) 2406-01-203-535—इमारती लकड़ी—			
मूल	8,000.00		
पुनर्वि.	(-)240.00	7,760.00	7,403.32
			(-)356.68

अनुदान संख्या 10—जारी

₹ 240.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 250.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 490.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि अनुरक्षण कार्य हेतु भुगतान करने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2406-01-203-5641-वन प्रबंधन समितियां— मूल 3,000.00 पुनर्वि. 240.00	3,240.00	2,024.32	(-)1,215.68
₹ 240.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वन प्रबंधन समिति को लाभांश का वितरण करने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(13) 2406-01-204-2901-बांस बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।	1,485.00	1,314.47	(-)170.53
(14) 2406-02-070-4349-सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरस्ती	110.00	..	(-)110.00
(15) 2406-02-070-6218-भवनों की मरम्मत	120.00	..	(-)120.00
उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2406-02-110-3896-वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)219.75	580.25	547.29	(-)32.96
(17) 2406-02-110-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5502-प्रोजेक्ट एलीफेन्ट— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)146.07	53.93	52.49	(-)1.44
(18) 2406-02-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6539-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)432.33	567.67	553.63	(-)14.04
(19) 2406-02-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2965-बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित— मूल 175.00 पुनर्वि. (-)9.63	165.37	46.73	(-)118.64
उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (19) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 219.75 लाख, ₹ 146.07 लाख, ₹ 432.33 लाख एवं ₹ 9.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत एवं 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2406-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6724-बांस वनों का पुनरोद्धार	96.00	28.49	(-)67.51
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(21) 2406-04-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)500.00	1,000.00	1,000.00	..
₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई।			

अनुदान संख्या 10—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-070-4349-सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरुस्ती	800.00	899.59	+99.59
(2) 2406-01-070-6218-भवनों की मरम्मत	850.00	967.93	+117.93
(3) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2965-बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित-			
मूल	3,025.00		
पूरक	750.00		
	3,775.00	3,872.28	+97.28
(4) 2406-01-204-5641-वन प्रबंधन समितियां	750.00	1,190.70	+440.70

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(5) 2406-02-110-2900-अभ्यारण क्षेत्र-			
मूल	2,143.30		
पुनर्वि.	(-)46.73		
	2,096.57	2,204.49	+107.92
(6) 2406-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6540-चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन-			
मूल	854.15		
पुनर्वि.	(-)14.20		
	839.95	903.17	+63.22

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 46.73 लाख एवं ₹ 14.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से भी कम था, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 28.32 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 50.09 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 0.30 लाख का अभ्यर्पण केवल कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2406-01-001-3555-मुख्यालय-			
मूल	45.00		
पूरक	28.32		
	73.32	23.53	(-)49.79

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(viii) ₹ 641.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 629.58 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

अनुदान संख्या 10—समाप्त

(ix) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4406-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
5538-एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना-			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)627.98	572.02	562.92
			(-)9.10

₹ 627.98 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2230—श्रम एवं रोजगार			
2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
4852—लोहा और इस्पात उद्योगों पर पूंजी परिव्यय			
6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—	10,96,100	9,39,241	(-)1,56,859
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,57,656
<i>प्रभारित</i>	<i>35</i>	<i>..</i>	<i>(-)35</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> <i>(31 मार्च 2015)</i>			<i>35</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	3,73,300	3,51,410	(-)21,890
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			21,890
<i>प्रभारित</i>	<i>1,500</i>	<i>..</i>	<i>(-)1,500</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> <i>(31 मार्च 2015)</i>			<i>1,500</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,568.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 1,576.56 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6857-उद्योगों को ब्याज अनुदान—			
मूल	3,800.00		
पुनर्वि.	(-)1,042.24	2,757.76	(-)0.04
		2,757.72	
₹ 1,042.24 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 1,034.11 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 8.13 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2851-200-1464-जिला औद्योगिक केन्द्र—			
मूल	1,988.60		
पुनर्वि.	(-)425.10	1,563.50	+2.48
		1,565.98	

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2852-80-001-3370—संचालनालय उद्योग—			
मूल	674.58		
पुनर्वि.	(-178.27	496.31	497.04
			+0.73
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 425.10 लाख एवं ₹ 178.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011-12 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(4) 2852-80-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
8890—खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान—			
पूरक	1,100.00		
पुनर्वि.	(-404.15	695.85	695.85
			..
(5) 2852-80-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8928—मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना—			
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-371.01	128.99	128.99
			..
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 404.15 लाख एवं ₹ 371.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2852-80-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
9068—औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान—			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	1,034.11	1,734.11	1,734.11
			..

₹ 1,034.11 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन जिलों से अतिरिक्त मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है ।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.35 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था ।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4851-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6888—छत्तीसगढ़ व्यापार केन्द्र की स्थापना—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-85.00	15.00	15.00
			..

अनुदान संख्या 11—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8983—औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य—			
मूल	2,107.00		
पुनर्वि.	(-108.00)	1,999.00	1,999.00
			..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 85.00 लाख एवं ₹ 108.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

प्रभारित—

(vi) ₹ 15.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया 2011—12 से 2013—14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2801—बिजली			
2810—नवीन तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6801—ऊर्जा परियोजना के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	29,26,739		
पूरक	23,21,305	52,48,044	49,81,158
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)2,66,886 2,50,000
प्रभारित	20,00,000	20,00,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	13,00,000		
पूरक	12,50,000	25,50,000	10,25,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)15,25,000 15,25,000
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) ₹ 49,811.58 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त किया गया कुल ₹ 23,213.05 लाख का अनुपूरक प्रावधान, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया (₹ 11,513.05 लाख) अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया (₹ 11,700.00 लाख) अनुपूरक अनुदान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 2,668.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 केवल ₹ 2,500.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2045—103—4281—संग्रह प्रभार बिजली शुल्क—			
मूल	769.64		
पूरक	13.05	782.69	613.83
			(-)168.86
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010—11 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 12-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2810-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8670-सोलर लेम्प/सोलर स्टडी लेम्प का निःशुल्क प्रदाय-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,500.00

₹ 2,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्त विभाग के द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

पुंजीगत :

दत्तमत-

(iv) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 12,500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4801-06-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8965-मुख्यमंत्री माजरा टोला विद्युतिकरण योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	250.00	250.00
(2) 4801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8548-मुख्यमंत्री शहरी विद्युतिकरण योजना-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,500.00	1,500.00	1,500.00
(3) 4801-80-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8678-शासकीय विद्यालयों/ चिकित्सालयों/आंगनवाडियों का विद्युतिकरण-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	500.00	500.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 250.00 लाख, ₹ 1,500.00 लाख एवं ₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्त विभाग के द्वारा कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(4) 6801-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7498-पुंजीगत व्यय विद्युत पारेषण/ उत्पादन/वितरण कम्पनी-			
पूरक	12,500.00		
पुनर्वि.	(-)12,500.00

₹ 12,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 12—समाप्त

(vi) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि :-

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर "राजस्व शीर्ष" 0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क-800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2014 को प्रारम्भिक शेष ₹ 3,382.72 लाख जमा था। वर्ष के दौरान ₹ 20,000.00 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2045-797-3218 उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 20,000.00 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2015 को ₹ 3,382.72 लाख की शेष राशि निधि में जमा थी।

इस निधि के लेन-देन "मुख्य शीर्ष-8229-विकास एवं कल्याण निधि-110-ऊर्जा विकास निधि" में सम्मिलित है जिसका लेखा वित्त लेखे 2014-15 के "21-आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण" में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13-कृषि

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष-		
2401-फसल कृषि-कर्म		
2402-मृदा तथा जल संरक्षण		
4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय		
6401-फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज		
राजस्व :		
दत्तमत-		
मूल	1,93,28,838	
पूरक	3,18,052	1,96,46,890
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		1,76,04,196
		(-)20,42,694
		20,38,245
<i>प्रभारित</i>	<i>950</i>	<i>325</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> <i>(31 मार्च 2015)</i>		<i>(-)625</i>
		<i>525</i>
पूंजीगत :		
दत्तमत-		
	1,52,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		(-)1,52,000
		1,52,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत-

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2014 (₹ 3,130.51 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 50.01 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 3,180.52 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 20,426.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 20,382.45 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2401-001-124-अधीक्षण (संभागीय स्तर का अमला)-			
मूल	457.10		
पुनर्वि.	(-)59.51	397.59	382.40
			(-)15.19
₹ 59.51 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यरत अमले के अनुसार व्यय किये जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 2401-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-			
मूल	5,500.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)2,786.52	2,713.48	2,733.01
			(-)19.53

₹ 2,786.52 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7258—नेशनल मिशन ऑन ऑइल सीड्स एण्ड ऑइल पॉम— मूल 904.00 पुनर्वि. (-)745.87	158.13	169.76	+11.63
₹ 745.87 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण एवं उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(4) 2401-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8936—ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को ऋण अनुदान— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)292.48	107.52	107.52	..
₹ 292.48 लाख की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत सुयुक्त देयता समूह हेतु अपेक्स बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से प्राप्त प्रकरण का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(5) 2401-105-7283—छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)12.43	1,187.57	602.57	(-)585.00
₹ 12.43 लाख की प्रत्याशित बचत विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2401-108-5549—गन्ना कृषकों को बोनस— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)219.81	1,780.19	1,242.69	(-)537.50
₹ 219.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(7) 2401-108-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 16,533.00 पुनर्वि. (-)11,133.28	5,399.72	5,392.60	(-)7.12
(8) 2401-108-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— (हरित क्रांति)— मूल 7,250.00 पुनर्वि. (-)1,015.94	6,234.06	6,217.40	(-)16.66

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 11,133.28 लाख एवं ₹ 1,015.94 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2401-108-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 8943- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- (लघु धान)- मूल 182.00 पुनर्वि. (-)141.18	40.82	40.82	..
₹ 141.18 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान योजना का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(10) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2794-स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)908.54	591.46	591.46	..
₹ 908.54 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(11) 2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5629-राज्य में कृषि सुधार हेतु विकास कार्यक्रम- मूल 3,556.00 पुनर्वि. (-)3,456.00	100.00	100.07	+0.07
₹ 3,456.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना को पुनरीक्षित किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(12) 2401-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8542-धान में समन्वित पोषक तत्व उपयोग को बढ़ावा देने फसलों का प्रदर्शन- मूल 213.00 पुनर्वि. (-)66.13	146.87	146.87	..
₹ 66.13 लाख की प्रत्याशित बचत समय पर बीज उपलब्ध नहीं होने (₹ 47.81 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 18.32 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(13) 2401-113-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5494-किसानों के खेत पर नवविकसित कृषि उपकरणों (उद्यानिकी उपकरणों सहित) का प्रदर्शन- मूल 70.00 पुनर्वि. (-)59.80	10.20	6.45	(-)3.75
(14) 2401-113-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 7333-पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी कृषि यंत्रों का प्रचार प्रसार- मूल 145.00 पुनर्वि. (-)132.55	12.45	12.45	..

उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 59.80 लाख एवं ₹ 132.55 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान योजना का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2401-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8962—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अन्तर्गत यांत्रिकीकरण रोपाई, जोताई एवं बुआई हेतु अनुदान— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00
₹ 250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(16) 2401-113-0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8963—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अन्तर्गत कृषि यंत्र बैकों की स्थापना— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)178.00	72.00	80.00	+8.00
₹ 178.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विलम्ब से विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(17) 2401-113-0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8964—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनो का प्रचार प्रसार— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00
₹ 250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विलम्ब से विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(18) 2401-113-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7332—बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)191.98	508.02	488.00	(-)20.02
₹ 191.98 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण हेतु नवीन योजना लागू किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(19) 2401-113-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8906—कृषि उद्यमियों को ब्याज अनुदान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कृषि औद्योगिकी के ब्याज अनुदान के लिए प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2401-113-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8974—राज्य पोषित पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई के प्रदर्शन की योजना— मूल 75.00 पुनर्वि. (-)75.00
₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 2401-119-6788—संचालनालय उद्यानिकी	213.54	133.62	(-)79.92
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2401-119-9188—उद्यान विकास योजना—			
मूल	3,402.14		
पुनर्वि.	(-)60.00	3,342.14	3,203.95
			(-)138.19
₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2401-119-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—			
7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल	4,375.00		
पुनर्वि.	(-)1,933.63	2,441.37	2,441.37
			..
₹ 1,933.63 लाख की प्रत्याशित बचत जिला कोषालयों द्वारा भुगतान हेतु राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2401-119-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—			
8946—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल	275.00		
पुनर्वि.	(-)272.54	2.46	2.46
			..
₹ 272.54 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(25) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
2794—स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)908.54	591.46	591.46
			..
(26) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
6831—राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना हेतु राज्यांश—			
मूल	6,250.01		
पूरक	1,701.99		
पुनर्वि.	(-)910.50	7,041.50	6,891.76
			(-)149.74
(27) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
7265—एन.एम.एस.ए. ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना—			
पूरक	1,415.00		
पुनर्वि.	(-)1,415.00
			..
उपरोक्त क्रम संख्या (25) से (27) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 908.54 लाख, ₹ 910.50 लाख एवं ₹ 1,415.00 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश के अनुरूप व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत एवं 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2402-101-8351—विस्तृत मृदा सर्वेक्षण—			
मूल	304.10		
पुनर्वि.	(-)86.73	217.37	233.52
			+16.15

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(29) 2402-102-3143-भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधान की योजना—			
मूल	2,816.90		
पुनर्वि.	(-729.31)	2,087.59	2,082.40
			(-5.19)

उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 86.73 लाख एवं ₹ 729.31 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यरत अमले के अनुसार वास्तविक व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत एवं 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-001-119-अधिनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द— (जिला एवं अधिनस्थ स्तर का अमला)—			
मूल	17,916.15		
पुनर्वि.	(-325.22)	17,590.93	19,005.97
			+1,415.04

₹ 325.22 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यरत अमले के अनुसार वास्तविक व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2401-102-0101-राज्य आयोजना—(सामान्य)— 8972-धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना—			
मूल	1,00,000.00		
पुनर्वि.	434.90	1,00,434.90	1,00,434.90
			..

₹ 434.90 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 439.72 लाख की वृद्धि तथा ₹ 4.82 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधि में वृद्धि धान उत्पादक कृषक समूह/सहकारिता समितियों को बोनस का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(3) 2401-103-0801-केन्द्र क्षेत्रिय योजना सामान्य— 7264-एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना—			
पूरक	सांकेतिक	..	385.19
			+385.19

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(4) 2401-108-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7266-एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम—			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	271.40	271.40	259.21
			(-12.19)

₹ 271.40 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 828.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 556.60 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधि में वृद्धि रेन फेड एरिया विकास योजना का क्रियान्वयन किए जाने के कारण एवं कमी राशि वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7269-एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— पूरक 0.01 पुनर्वि. 2,443.61	2,443.62	853.72	(-),1,589.90

₹ 2,443.61 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 3,456.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 1,012.39 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधि में वृद्धि योजनाओं को पुनरीक्षित किए जाने एवं कमी भारत सरकार से विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(6) 2401-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8541-धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)27.28	472.72	1,750.43	+1,277.71
--	--------	----------	-----------

₹ 27.28 लाख की प्रत्याशित बचत चयनित कृषकों द्वारा प्रदर्शनी में भाग नहीं लिए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(7) 2401-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7293-मौसम आधारित फसल बीमा योजना (कॉपर्स फण्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. 7,871.00	8,371.00	8,371.00	..
---	----------	----------	----

₹ 7,871.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन बीमा कम्पनियों से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्यांश की आवश्यकता होने के कारण सूचित की गई है।

(8) 2401-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 250.00 पुनर्वि. 84.94	334.94	366.26	+31.32
---	--------	--------	--------

₹ 84.94 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 200.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 115.06 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु कार्य योजना स्वीकृत किए जाने तथा कमी भारत सरकार द्वारा राशि विलम्ब से जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(9) 2401-119-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8945-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (साग सब्जी)— मूल 350.00 पुनर्वि. 154.40	504.40	504.40	..
--	--------	--------	----

₹ 154.40 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 154.53 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.13 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी जिलों द्वारा भुगतान किए जाने हेतु आहरण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

प्रभारित—

(vi) ₹ 6.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 5.25 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 13—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4401-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2981-बीज संवर्धन तथा वितरण-			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	(-)20.00
₹ 20.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 6401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7283-छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,500.00

₹ 1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2403—पशुपालन			
4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	30,73,094		
पूरक	1,21,703	31,94,797	25,82,694
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)6,12,103 6,12,325

प्रभारित—				
मूल	20			
पूरक	282	302	136	(-)166
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
पूंजीगत :				
दत्तमत		5,96,000	39,885	(-)5,56,115
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				5,56,115

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 424.05 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 762.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 30.98 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,217.03 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) ₹ 6,121.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 6,123.25 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अवविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2403—001—1468—जिला एवं संभागीय स्तर—			
मूल	2,145.46		
पूरक	(-)364.09	1,781.37	1,775.46
			(-)5.91

₹ 364.09 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 347.09 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 17.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009—10 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2403—101—2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय—

मूल	12,196.82		
पुनर्वि.	(-)1,663.96	10,532.86	10,554.70
			+21.84

₹ 1,663.96 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 1,534.96 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 129.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011—12 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2403-101-3786-रोगाणुज्ञ- मूल 369.10 पुनर्वि. (-)43.38	325.72	324.78	(-)0.94
₹ 43.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(4) 2403-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 8988-केन्द्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय ब्रुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम- मूल 130.00 पुनर्वि. (-)95.75	34.25	34.25	..
₹ 95.75 लाख की प्रत्याशित बचत ब्रुसलोसिस नियंत्रक दवा का मूल्य निर्धारण नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(5) 2403-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5620-पशुरोग नियंत्रण- मूल 932.00 पुनर्वि. (-)433.86	498.14	498.40	+0.26
₹ 433.86 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने (₹ 426.62 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 7.24 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(6) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2549-पशु औषधालय एवं चिकित्सालय- मूल 957.95 पुनर्वि. (-)316.37	641.58	635.13	(-)6.45
(7) 2403-102-1108-गहन पशु विकास परियोजना- मूल 3,524.05 पुनर्वि. (-)563.47	2,960.58	2,955.40	(-)5.18
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 316.37 लाख एवं ₹ 563.47 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत एवं 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2403-102-5535-छत्तीसगढ़ गौ-सेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान- मूल 315.00 पुनर्वि. (-)90.00	225.00	225.00	..
₹ 90.00 लाख की प्रत्याशित बचत नवीन गौशाला हेतु राशि विमुक्त नहीं किए जाने को कारण सूचित की गई है।			
(9) 2403-103-3578-मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर- मूल 976.45 पूरक 175.25 पुनर्वि. (-)140.22	1,011.48	985.43	(-)26.05
₹ 140.22 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2403-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 8652—ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)95.94	4.06	4.06	..
₹ 95.94 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(11) 2403-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर— मूल 228.00 पूरक 51.00 पुनर्वि. (-)126.55	152.45	152.45	..
₹ 126.55 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश/राज्यांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2403-108-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 3,627.80 पुनर्वि. (-)1,635.59	1,992.21	1,991.09	(-)1.12
₹ 1,635.59 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2403-108-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8947— राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— (एन.एम.पी.एस.)— मूल 2.20 पूरक 197.80 पुनर्वि. (-)53.99	146.01	146.01	..
₹ 53.99 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(14) 2403-113-3784—रोग अनुसंधान— मूल 461.37 पुनर्वि. (-)53.32	408.05	406.51	(-)1.54
₹ 53.32 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(15) 2403-113-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5505—पशु संगणना कार्यक्रम— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)164.49	35.51	35.23	(-)0.28
₹ 164.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(16) 2403-800-8703—दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना— मूल 834.11 पूरक 155.00 पुनर्वि. (-)123.50	865.61	847.42	(-)18.19
₹ 123.50 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 14—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2403-102-2567-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र-			
मूल	395.13		
पूरक	131.00		
पुनर्वि.	1.37	527.50	+39.35

₹ 1.37 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 98.63 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 2403-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6784-शूकर विकास प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण-			
मूल	41.00		
पुनर्वि.	(-)0.53	40.47	+39.49

₹ 0.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

पूजीगत :

दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7403-पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय-			
मूल	850.00		
पुनर्वि.	(-)506.15	343.85	..
(2) 4403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9329-अंजोरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय हेतु सहायक अनुदान-			
मूल	110.00		
पुनर्वि.	(-)55.00	55.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 506.15 लाख एवं ₹ 55.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(3) 4403-109-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य) - 7403-पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)5,000.00

₹ 5,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2403—पशुपालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	31,73,595		
पूरक	2,69,637	34,43,232	23,19,804
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)11,23,428 13,03,538
पूंजीगत	3,62,400	3,62,400	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2014 (₹ 2,690.12 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 6.25 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,696.37 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 11,234.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 13,035.38 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-789-197-0803—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 327—अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम, छात्रवृत्तियां— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-01-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये— मूल 8,578.00 पुनर्वि. (-)7,290.11	1,287.89	2,179.29	+891.40

₹ 7,290.11 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से कम मांग होने (₹ 216.79 लाख) एवं जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 948.48 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 6,124.84 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-02-789-196-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 100.00 पुनर्वि (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(4) 2235-60-789-198-1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	2,500.00	2,182.29	(-)317.71
(5) 2235-60-789-198-1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	720.00	642.77	(-)77.23
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2405-789-101-1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 390.00 पूरक (-)190.06	199.94	199.94	..
₹ 190.06 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2515-789-196-1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7019—पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि— मूल 7,500.00 पूरक 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,333.00	7,167.00	7,167.00	..
₹ 2,333.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(8) 2515-789-196-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8668—राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान— मूल 1,800.00 पुनर्वि. (-)1,687.79	112.21	110.40	(-)1.81
₹ 1,687.79 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 15—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2853-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6299- ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 3,500.00 पूरक 690.12 पुनर्वि. (-)256.89	3,933.23	3,886.53	(-)46.70

₹ 256.89 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-789-197-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम, छात्रवृत्तियां— मूल 250.00 पुनर्वि. 138.65	388.65	340.41	(-)48.24

₹ 138.65 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 216.79 लाख की वृद्धि एवं ₹ 78.14 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 2202-02-789-196-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये— मूल 3,100.00 पुनर्वि. (-)1,104.34	1,995.66	3,461.61	+1,465.95
--	----------	----------	-----------

₹ 1,104.34 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 1,085.85 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 18.49 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2405—मछली पालन			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,13,393		
पूरक	43,686	4,57,079	4,12,929
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)44,150 55,852
<i>प्रभारित</i>	<i>20</i>	<i>..</i>	<i>(-)20</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)</i>			<i>20</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	7,510	7,500	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			10

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 100.77 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 296.51 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 39.58 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 436.86 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह दोषपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 441.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹ 558.52 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2405-001-2280- निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	282.90		
पुनर्वि.	(-)66.09	216.81	217.68
			+0.87

₹ 66.09 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 2405-101-162-अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग
के लिए जिला स्तर का अमला—

मूल	2,239.58		
पुनर्वि.	(-)180.15	2,059.43	2,058.66
			(-)0.77

₹ 180.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2405-120-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3287-मछुआ सहकरिता एवं मत्स्य विक्रय-			
मूल	312.35		
पूरक	183.88		
पुनर्वि.	(-106.99)	389.24	389.24
			..

₹ 106.99 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्र शासन से कटौती एवं दुर्घटना बीमा की राशि का केन्द्र शासन द्वारा प्रीमियम राशि कम करने के कारण सूचित की गई है।

प्रभारित-

(v) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष-			
2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार			
2425-सहकारिता			
4408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
6425-सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	11,03,686		
पूरक	45,492	11,49,178	7,79,324
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)3,69,854 3,69,966
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)		15	.. (-)15 15
पूंजीगत:			
दत्तमत	2,89,030	1,78,030	(-)1,11,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,10,750
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत-			

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 454.92 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 3,698.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 3,699.66 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2425-001-123-अधीक्षण-			
मूल	4,082.60		
पुनर्वि.	(-)1,263.38	2,819.22	2,823.31
			+4.09

₹ 1,263.38 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2425-001-2282-निर्देशन-

मूल	710.51		
पुनर्वि.	(-)243.19	467.32	465.75
			(-)1.57

₹ 243.19 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17- जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2425-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त हेतु ब्याज अनुदान-			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,100.00	3,900.00	3,900.00

₹ 2100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2425-800-8931-सहकारी सोसाईटियों का निर्वाचन-

मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव नहीं कराये जाने के कारण सूचित की गई है।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) ₹ 1,110.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹ 1,107.50 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4425-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 2754-प्राथमिक कृषि साख/कृषक सेवा/ बड़े पैमाने पर बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंशपूँजी में धनवेष्टन-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)26.20	73.80	73.80
₹ 26.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 4425-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7441-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की अंशपूँजी में धनवेष्टन-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आवास निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(3) 4425-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 955-केन्द्रीय सहकारी बैंको की अंशपूँजी में धनवेष्टन-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)50.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आवास निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 17- समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 6425-108-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5055-सहकारी शक्कर कारखाना-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-800.00	1,700.00	1,700.00
₹ 800.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए है (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम तथा रोजगार			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	11,49,337		
पूरक	सांकेतिक	11,49,337	5,43,792
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)6,05,545
			6,04,262
<i>प्रभारित</i>	<i>20</i>	<i>..</i>	<i>(-)20</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)</i>			<i>10</i>

पूंजीगत:

दत्तमत	35,000	..	(-)35,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			35,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 6,055.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹ 6,042.62 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-01-102-791-कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय—			
मूल	997.15		
पुनर्वि.	(-)191.05	806.10	820.11
			+14.01
₹ 191.05 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 162.48 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 28.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2210-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3676-राज्य बीमा अस्पताल—			
मूल	2,589.77		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,258.93	1,330.84	1,309.24
			(-)21.60

₹ 1,258.93 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 789.67 लाख) एवं नवीन केन्द्रों को प्रारंभ नहीं किए जाने (₹ 466.74 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 2.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2230-01-001-4268—श्रम आयुक्त— मूल 342.85 पुनर्वि. (-)96.49	246.36	245.94	(-)0.42
₹ 96.49 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(4) 2230-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7440—राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(5) 2230-01-101-4271—श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला— मूल 863.30 पुनर्वि. (-)184.38	678.92	678.17	(-)0.75
₹ 184.38 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(6) 2230-01-101-4272—श्रम न्यायालय— मूल 563.20 पुनर्वि. (-)267.23	295.97	295.47	(-)0.50
₹ 267.23 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005-06 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(7) 2230-01-101-712—औद्योगिक न्यायालय— मूल 196.70 पुनर्वि. (-)56.83	139.87	139.71	(-)0.16
₹ 56.83 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(8) 2230-01-102-5810—औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा— मूल 245.40 पुनर्वि. (-)108.98	136.42	136.49	+0.07
₹ 108.98 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(9) 2230-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7435—असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)2,921.79	1,078.21	1,074.19	(-)4.02
₹ 2,921.79 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(10) 2230-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8977—असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00

अनुदान संख्या 18—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2230-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8989—ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मण्डल— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(12) 2230-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2837—बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना— मूल 610.00 पुनर्वि. (-)380.19	229.81	229.81	..
---	--------	--------	----

₹ 380.19 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा तथा 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 0.10 लाख का अभ्यर्पण किया गया। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 350.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4250-201-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8352—राज्य में बीड़ी मजदूरों के लिए आवास निर्माण— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)350.00

₹ 350.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आवास निर्माण हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,19,29,990		
पूरक	4,55,001	1,23,84,991	99,73,689
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)24,11,302
<i>प्रभारित</i>	<i>1,750</i>	<i>1,164</i>	<i>(-)586</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			..
पूंजीगत :			
दत्तमत	1,32,780	2,00,015	+67,235
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 50.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 4,500.00 लाख) एवं 31 मार्च 2015 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 4,550.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 24,113.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन एवं व्यय के प्रवाह पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2210-01-110-2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)	204.60	98.01	(-)106.59
(2) 2210-01-110-748-औषधालय	603.40	376.55	(-)226.85
(3) 2210-01-196-1473-जिला चिकित्सालय	6,484.60	5,865.05	(-)619.55
(4) 2210-01-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473-जिला चिकित्सालय— मूल	4,573.50		
पूरक	सांकेतिक	4,573.50	4,486.30
(5) 2210-01-200-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6960-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल	4,400.00		
पूरक	4,000.00	8,400.00	5,394.34
			(-)3,005.66

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत एवं 2005-06 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (4) और (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(6) 2210-01-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7463—कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं आघात रोगों की रोकथाम	1,310.00	..	(-)1,310.00
(7) 2210-01-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7464—वयोवृद्ध स्वास्थ्य संरक्षण	525.00	..	(-)525.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) और (7) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(8) 2210-01-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8649—मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम मूल 2,100.00 पुनर्वि. (-)1,900.00	200.00	..	(-)200.00
₹ 1,900.00 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में प्रावधान होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(9) 2210-03-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6884—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	33,600.00	21,029.20	(-)12,570.80
(10) 2210-03-197-748—औषधालय	338.20	233.07	(-)105.13
उपरोक्त क्रम संख्या (9) और (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी			
(11) 2210-03-198-2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)— मूल 16,341.40 पुनर्वि. (-)380.00	15,961.40	15,043.27	(-)918.13
₹ 380.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(12) 2210-03-198-620—उप स्वास्थ्य केन्द्र	1,935.90	1,574.83	(-)361.07
(13) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— (मूलभूत सेवाएं)	3,970.90	3,425.70	(-)545.20
(14) 2210-06-003-2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	349.10	204.33	(-)144.77
(15) 2210-06-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2502—परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	169.00	68.87	(-)100.13
(16) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3463—महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	251.30	184.70	(-)66.60
(17) 2210-06-101-4244—शीत ज्वर—	1,582.30	1,380.43	(-)201.87
(18) 2210-06-101-858—कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	1,928.00	1,831.98	(-)96.02
(19) 2210-06-101-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6729—एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	2,700.00	1,955.00	(-)745.00

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(20) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5572—सिकल सेल विकृति की रोकथाम एवं नियंत्रण	251.00	44.92	(-)206.08
(21) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5688—मुख्यमंत्री दवा पेटी	500.00	330.08	(-)169.92
उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (21) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (13) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (14), (15) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत एवं 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8660—निःशुल्क नमक प्रदाय योजना—	700.00	..	(-)700.00
समपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(23) 2210-06-102-1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित) मूल 264.10 पूरक 300.00	564.10	396.74	(-)167.36
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2210-80-798-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	500.00	..	(-)500.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(25) 2211-001-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 3704—राज्य स्तरीय परिवार कल्याण संगठन	454.00	317.08	(-)136.92
(26) 2211-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2880—बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना	169.50	74.49	(-)95.01
(27) 2211-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 336—ऑकजीलियरी नर्स, मिड वाईफ एवं हेल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण	275.80	136.44	(-)139.36
(28) 2211-101-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र	7,876.60	7,146.31	(-)730.29
(29) 2211-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6791—शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	309.50	240.01	(-)69.49
उपरोक्त क्रम संख्या (25) से (29) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत, 2008-09 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(30) 2211-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6106—युनिवर्सल इम्युनाईजेशन	130.00	..	(-)130.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(31) 2211-200-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2498—परम्परागत गर्भ निरोधक का प्रदाय	100.00	0.20	(-)99.80
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2071-01-800-5499—सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	180.00	405.14	+225.14

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(2) 2210-01-001-2283—निर्देशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें)— मूल 1,881.40 पुनर्वि. 380.00	2,261.40	2,006.45	(-)254.95
---	----------	----------	-----------

₹ 380.00 के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नसबंदी प्रकरण के अंतर्गत मुआवजा राशि भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।

(3) 2210-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7327—मानसिक चिकित्सालय	295.80	366.33	+70.53
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)			

(4) 2210-01-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8645—मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 2,500.00 पुनर्वि. 1,900.00	4,400.00	4,400.00	..
---	----------	----------	----

₹ 1,900.00 के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्डों की संख्या में वृद्धि के कारण सूचित की गई हैं। 2012-13 एवं 13-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था ।

(5) 2210-03-197-5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,324.70	2,920.35	+595.65
(6) 2210-03-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4,399.80	4,906.01	+506.21
(7) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र	3,533.20	3,601.22	+68.02
(8) 2210-06-101-8150—बहुद्देशीय कार्यकर्ता योजना	737.40	963.98	+226.58

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था ।

प्रभारित—

(v) ₹ 5.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 19—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 6,72,34,922 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 617- उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	423.00	973.00	+550.00
(2) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4143- मूलभूत सेवाओं के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	154.60	400.85	+246.25

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान में बचत द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-02-197-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	260.00	232.08	(-)27.92
(2) 4210-80-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7398-मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन	100.00	..	(-)100.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	44,03,750		
पूरक	2,81,800	46,85,550	37,85,216
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)9,00,334
<i>प्रभारित</i>	<i>1,000</i>	<i>93</i>	<i>(-)907</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			..
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	4,45,125		
पूरक	1,40,001	5,85,126	3,80,937
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)2,04,189
			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2014 (₹ 2,285.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 533.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 2,818.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 9,003.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 2,513.52 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-01-001-2294-निर्देशन—			
मूल	1,260.00		
पूरक	4.00	1,264.00	950.77
			(-)313.23
(2) 2215-01-001-2715-प्रशासन—			
मूल	7,305.00		
पूरक	244.00	7,549.00	6,569.94
			(-)979.06
(3) 2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण—			
मूल	1,190.30		
पूरक	10.00	1,200.30	871.75
			(-)328.55

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत, 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8916- मुख्यमंत्री निर्मल शाला पुरस्कार- मूल 73.00 पुनर्वि. 73.00
₹ 73.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निर्मल भारत अभियान (ग्रामीण) के कार्यों का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थान पर पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को अन्तरित करने के कारण सूचित की गई है।			
(5) 2215-01-102-1202-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण	550.00	426.86	(-)123.14
(6) 2215-01-102-1854-ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन- मूल 1,192.40 पूरक 32.00	1,224.40	1,073.43	(-)150.97
(7) 2215-01-102-2219-नलकूपों का अनुरक्षण- मूल 4,295.50 पूरक 243.00	4,538.50	3,956.15	(-)582.35
(8) 2215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम- मूल 13,000.00 पूरक 2,035.00	15,035.00	12,608.05	2,426.95
(9) 2215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9937 -पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	800.00	679.40	(-)120.60
(10) 2215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9938-भू-जल स्रोतों का रिचार्जिंग	218.75	75.81	(-)142.94
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत, 2010-11 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2215-01-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6970-कुम्हारी जल प्रदाय योजना- मूल 168.00 पुनर्वि. (-)100.80	67.20	67.20	..
₹ 100.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(12) 2215-01-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6971-खैरागढ़ जल प्रदाय योजना- मूल 82.00 पुनर्वि. (-)49.20	32.80	..	(-)32.80
₹ 49.20 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(13) 2215-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8538-महासमुन्द जल आवर्धन योजना- मूल 307.00 पुनर्वि. (-)92.10	214.90	214.90	..
(14) 2215-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7387-पाण्डातराई जल प्रदाय योजना- मूल 85.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)85.00

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8908—नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)419.65	30.35	12.72	(-)17.63
उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (15) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 92.10 लाख, ₹ 85.00 लाख एवं ₹ 419.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2215-01-799-4058—विविध लोक निर्माण अग्रिम	1,600.00	915.24	(-)684.76
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2215-02-107-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7254—निर्मल भारत अभियान— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,440.52	559.48	559.48	..
₹ 2,440.52 लाख की प्रत्याशित बचत निर्मल भारत अभियान (ग्रामीण) के कार्यों का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थान पर पंचायत एवं ग्रामीण विभाग अन्तरित करने के कारण सूचित की गई है।			
(18) 2215-02-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6841—जल निकासी योजना	100.00	..	(-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
(1) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7309—गोरेला जल प्रदाय योजना— मूल 250.00 पूरक 150.00	400.00	400.00	..
(2) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7376—सहसपुर लोहारा जल प्रदाय योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. 50.00	150.00	150.00	..
(3) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7449—अहिवारा आवर्धन जल प्रदाय योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. 100.00	400.00	400.00	..
(4) 2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7450—धमधा जल प्रदाय योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. 198.00	398.00	398.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 150.00 लाख, ₹ 50.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 198.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 20—जारी

प्रभारित—

(v) ₹ 9.07 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के व्यय में "2215—जल प्रदाय और सफाई—01—जल प्रदाय—799—“उचंत” के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 915.24 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थायी प्रकृति के लेन—देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बंधित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं, और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गए हैं, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है। "उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :-

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन—देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई :-

(1) क्रय— राज्य में 1983—84 से प्रवर्तित नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप परिप्रेक्ष्य में उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन—देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बंधित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत—किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

2014—15 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न "उचंत" उप शीर्षों के अन्तर्गत "उचंत" लेन—देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2014 को नाम+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2015 को नामे+ जमा(-)
(₹ लाख में)				
2215—जलपूर्ति तथा सफाई				
(i) क्रय	(-)1,600.70	(-)1,600.70
(ii) भण्डार	+1,550.23	+1,550.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+10,564.68	915.24	827.04	+10,652.88
योग	+10,514.21	915.24	827.04	+10,602.41

पूजीगत:

दत्तमत—

(vii) ₹ 2,041.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 20—समाप्त

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2294—निर्देशन— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)42.15	7.85	7.85	..
(2) 4215-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2715—प्रशासन— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)151.00	149.00	59.16	(-)89.84
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 42.15 लाख एवं ₹ 151.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4215-02-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6899—बटालियन एवं पुलिस लाइन हेतु शौचालय का निर्माण	62.50	2.98	(-)59.52
(4) 6215-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2182—नगरीय नई जल प्रदाय योजना	3,125.00	1,765.95	(-)1,359.05

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2217—शहरी विकास			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	10,79,640		
पूरक	41,806	11,21,446	6,71,811
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)4,49,635 4,49,544
पूंजीगत :			
मूल	33,60,500		
पूरक	1,10,000	34,70,500	13,76,462
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)20,94,038 20,94,038

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, जुलाई 2014 (₹ 412.06 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 6.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 418.06 का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 4,496.35 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को ₹ 4,495.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-02-106-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8049—पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संघटन को प्रदूषण निवारण मण्डल हेतु अनुदान—			
मूल	125.00		
पुनर्वि.	125.00
₹ 125.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(2) 2216-02-190-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7444—विकास नगर योजना—			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,500.00	2,500.00	2,500.00

₹ 2,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2217-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5371—नया रायपुर विकास प्राधिकरण— मूल 1,650.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)337.50	1,312.50	1,312.50	..
₹ 337.50 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वित्त विभाग के द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2005-06 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4)2217-01-051-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7334—जी.ई.एफ.सहायित एस.यू.टी.पी. योजना— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)493.02	206.98	206.98	..
₹ 493.02 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2217-01-053-8635—नया मंत्रालय का रख रखाव— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)400.00	1,100.00	1,100.00	..
₹ 400.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2217-05-001-2020—नगर और ग्राम निवेश— मूल 616.40 पूरक 212.06 पुनर्वि. (-)180.62	647.84	646.93	(-)0.91
₹ 180.62 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 159.17 लाख), नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का भुगतान नहीं किए जाने (₹ 0.58 लाख), चिकित्सा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाने (₹ 2.64 लाख), दूरभाष कनेक्शन स्थापित नहीं किए जाने (₹ 0.35 लाख), संचालक कार्यालय नया रायपुर में स्थानांतरित होने (₹ 0.80 लाख), वाहनों का क्रय नहीं किए जाने (₹ 0.71 लाख) एवं कोरबा कार्यालय स्वयं के भवन में स्थानांतरित होने (₹ 0.67 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 15.70 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2217-05-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7411—विकास प्राधिकरणों को अनुदान— मूल 200.00 पूरक 200.00 पुनर्वि. (-)400.00
₹ 400.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			

पूँजीगत :

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, जुलाई 2014 (₹ 100.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 1,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,100.00 का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 21—समाप्त

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7552-कर्मचारियों के लिए आवास भवनों का निर्माण-			
मूल	5.00		
पूरक	1,000.00		
पुनर्वि.	(-),1,005.00
₹ 1,005.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(2) 4217-01-051-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7334-जी.ई.एफ.सहायित एस.यू.टी.पी. योजना-			
मूल	5,300.00		
पुनर्वि.	(-),4,460.82	839.18	839.18
₹ 4,460.82 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	28,300.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-),15,474.56	12,925.44	12,925.44
₹ 15,474.56 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
राजस्व :			
दत्तमत	44,461	41,385	(-)3,076
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			3,924
प्रभारित	5	..	(-)5
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			5
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 30.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 39.24 लाख का अभ्यर्ण अवस्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2217-80-001-2122—नगर पालिका कर्मचारियों की पेंशन योजना का क्रियान्वयन—			
मूल	48.00		
पुनर्वि.	(-)11.72	36.28	+1.76
₹ 11.72 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2217-80-001-6148—नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय—			
मूल	217.56		
पुनर्वि.	(-)41.81	175.75	+6.29
₹ 41.81 लाख की प्रत्याशित बचत सीधी भर्ती द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
2217-80-001-7442—संभागीय कार्यालय की स्थापना—			
मूल	179.05		
पुनर्वि.	14.29	193.34	+0.43

₹ 14.29 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.05 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2700—मुख्य सिंचाई			
2701—मध्यम सिंचाई			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	40,97,530	36,81,278	(-)4,16,252
(31 मार्च 2015)			4,30,692
प्रभारित	110	..	(-)110
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			110
(31 मार्च 2015)			
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	39,22,550		
पूरक	1,60,000	40,82,550	36,95,676
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)3,86,874
(31 मार्च 2015)			4,02,150
प्रभारित	2,500	175	(-)2,325
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,325
(31 मार्च 2015)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 4,162.52 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 4,306.92 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2700-06-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	434.50		
पुनर्वि.	(-)55.87	378.63	315.02
			(-)63.61
₹ 55.87 लाख के प्रत्याशित बचत जल उपभोक्ता समिति द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 7.32 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 48.55 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2700-10-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	590.00		
पुनर्वि.	(-)219.28	370.72	372.75
			+2.03

₹ 219.28 लाख की प्रत्याशित बचत जल उपभोक्ता समिति द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 10.70 लाख) एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 100.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 108.58 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2701-80-001-275—आबियाना स्थापना— मूल 1,859.45 पुनर्वि. (-)433.81	1,425.64	1,422.14	(-)3.50
₹ 433.81 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2701-80-001-3264—मंडल स्थापना— मूल 441.80 पुनर्वि. (-)98.57	343.23	362.35	+19.12
₹ 98.57 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2701-80-001-3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट। — मूल 1,634.20 पुनर्वि. (-)476.11	1,158.09	1,169.40	+11.31
₹ 476.11 लाख की प्रत्याशित बचत निर्वाचन सम्पन्न नहीं होने (₹ 400.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 76.11 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2701-80-001-815—कार्यपालिक स्थापना— मूल 13,206.20 पुनर्वि. (-)1,719.60	11,486.60	11,387.45	(-)99.15
₹ 1,719.60 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(7) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3264—मण्डल स्थापना— मूल 1,096.95 पुनर्वि. (-)74.07	1,022.88	1,022.92	+0.04
(8) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट। — मूल 1,300.90 पुनर्वि. (-)277.20	1,023.70	1,026.18	+2.48
(9) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 814—कार्यपालिक स्थापना (विद्युत/यांत्रिकी)— मूल 674.10 पुनर्वि. (-)97.79	576.31	595.06	+18.75
(10) 2701-80-001-815—कार्यपालिक स्थापना— मूल 13,240.10 पुनर्वि. (-)582.99	12,657.11	12,814.65	+157.54

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 74.07 लाख, ₹ 277.20 लाख, ₹ 97.79 लाख एवं ₹ 582.99 लाख के प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत एवं 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2700-01-101-2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	2,050.00		
पुनर्वि.	(-)39.89	2,010.11	2,116.78
			+106.67

₹ 39.89 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 255.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 294.89 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि कार्य भारत स्थापना के भुगतान किए जाने एवं कमी जल उपभोक्ता समिति द्वारा राशि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 10.27 लाख) एवं निविदा कार्यों की धीमी प्रगति (₹ 50.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 234.62 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(iv) ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

(v) उचंचत लेन देन—

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में “उचंचत” शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ 484.29 लाख सम्मिलित है। “उचंचत” के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (vi) पर की गई है।

वर्ष 2014-15 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंचत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उचंचत” उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2014 को नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31मार्च 2015 को नामे+ जमा(-)
2701—मध्यम सिंचाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)838.35	(-)838.35
(ii) भण्डार	+894.30	6.83	26.75	+874.38
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+2,695.99	+2,695.99
(iv) कार्यशाला उचंचत	+147.09	+147.09
कुल	+2,899.03	6.83	26.75	+2,879.11

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2014 (₹ 100.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 1,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,600.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 3,868.74 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 4,021.50 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2428—कार्यपालिक स्थापना(यूनिट। एवं।।)—			
मूल	2,903.40		
पुनर्वि.	(-)73.41	2,829.99	2,848.62
			+18.63

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4700-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना (यूनिट- I)— मूल 604.30 पुनर्वि. (-)141.34	462.96	464.55	+1.59
(3) 4700-02-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3264—मंडल स्थापना— मूल 170.60 पुनर्वि. (-)49.96	120.64	120.80	+0.16
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 73.41 लाख, ₹ 141.34 लाख एवं ₹ 49.96 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (2) तथा (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4700-02-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)— मूल 770.70 पुनर्वि. (-)142.27	628.43	626.92	(-)1.51
₹ 142.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2014)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4700-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 4,010.00 पुनर्वि. (-)461.27	3,548.73	3,499.39	(-)49.34
₹ 461.27 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति (₹ 451.27 लाख) एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने (₹ 10.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(6) 4700-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण— मूल 500.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)133.42	466.58	466.58	..
₹ 133.42 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4700-04-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)137.46	62.54	62.67	+0.13
₹ 137.46 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(8) 4700-06-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)910.11	89.89	89.68	(-)0.21

अनुदान संख्या 23—जारी

₹ 910.11 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4700-08-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे सम्बंधित निर्माण कार्य- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)345.51	154.49	207.09	+52.60

₹ 345.51 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति (₹ 245.00 लाख) एवं भू अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने (₹ 100.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.51 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 4700-10-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)915.84	84.16	84.16	..
---	-------	-------	----

₹ 915.84 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति (₹ 265.84 लाख) एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 650.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। 2005-06 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 4700-11-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित कार्य- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,020.09	979.91	979.91	..
---	--------	--------	----

₹ 1,020.09 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 4700-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4416-सर्वेक्षण- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)97.27	2.73	..	(-)2.73
---	------	----	---------

₹ 97.27 लाख की प्रत्याशित बचत नवीन योजना के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 4701-03-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00
--	----	----	----

₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

(14) 4701-10-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य- मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00
--	----	----	----

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 45.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 5.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 4701-14-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)120.00		
₹ 120.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

(16) 4701-80-002-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4793-जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना-			
मूल	1,199.50		
पुनर्वि.	(-)68.07	1,131.43	1,154.71
₹ 68.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(17) 4701-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3363-मध्यम परियोजना का सर्वे-			
मूल	65.00		
पुनर्वि.	(-)57.45	7.55	7.55
₹ 57.45 लाख की प्रत्याशित बचत नवीन योजना का क्रियान्वयन नहीं किए जाने (₹ 2.45 लाख) एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 55.00 लाख) के कारण सूचित की गई है।			

(18) 4701-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5678-छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना-			
पूरक	701.50		
पुनर्वि.	(-)674.00	27.50	27.49
₹ 674.00 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य प्रारंभ नहीं होने (₹ 380.00 लाख) एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 294.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(19) 4711-01-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6757-खाद्य नियंत्रण परियोजना-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,175.53	824.47	824.47
₹ 1,175.53 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-09-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	2,501.00		
पुनर्वि.	979.93	3,480.93	3,481.53
₹ 979.93 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 20.07 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि निर्माण कार्यों का भुगतान किए जाने एवं कमी वृक्षारोपण हेतु क्षतिपूर्ति का निराकरण नहीं किए जाने (₹ 1.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 19.07 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			

अनुदान संख्या 23—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4700—12—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य—			
मूल	8,100.00		
पूरक	1,500.00		
पुनर्वि.	1,896.84	11,496.84	11,498.52
			+1.68

₹ 1,896.84 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,950.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 53.16 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि वन भूमि का प्रत्यावर्तन किए जाने एवं कमी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का निराकरण नहीं किए जाने (₹ 50.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 3.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(x) उच्चत लेन देन :-

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में उच्चत शीर्ष के अधीन कोई भी राशि सम्मिलित नहीं है। उच्चत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (vi) पर की गई है।

वर्ष 2014—15 के दौरान इस अनुभाग हेतु उच्चत लेन देन का विश्लेषण उच्चत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंतशेषों सहित नीचे दिया जा रहा है:-

विवरण	प्रारम्भिक शेष 01 अप्रैल 2014 को नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2015 को नामे+ जमा (-)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय— (₹ लाख में)				
(i) क्रय	(-)830.51	(-)830.51
(ii) भण्डार	+346.16	+346.16
(iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम	+1,605.30	..	0.79	+1,604.51
(iv) कार्यशाला उच्चत	(-)76.61	(-)76.61
कुल	+1,044.34	..	0.79	+1,043.55

प्रभारित—

(xi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4700—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4948—डिक्री धन का भुगतान—			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	(-)18.25	1.75	1.75
			..

₹ 18.25 लाख की प्रत्याशित बचत डिक्री धन के भुगतान हेतु प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011—12 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
3053—नागर विमानन्			
3054—सड़क तथा सेतु			
5053—नागर विमानन् पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	60,81,334		
पूरक	13,27,470	74,08,804	51,81,240
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)22,27,564
			..
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	1,08,11,900		
पूरक	61,001	1,08,72,901	1,00,92,768
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)7,80,133
			..
प्रभारित—			
मूल	19,630		
पूरक	73,787	93,417	85,513
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 7,904
			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 3,200.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 10,074.70 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 13,274.70 लाख अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 22,275.64 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए कोई भी राशि समर्पित नहीं किया जाना अपर्याप्त बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3054-01-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत	4,400.00	2,995.65	(-)1,404.35
(2) 3054-03-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत— मूल	2,300.00		
पूरक	3,500.00	5,800.00	4,617.13
			(-)1,182.87
(3) 3054-03-337-1826-डामरीकरण	2,000.00	340.71	(-)1,659.29
(4) 3054-03-337-2227-नवीनीकरण	2,000.00	1,136.03	(-)863.97
(5) 3054-03-337-4090-विशेष मरम्मत	4,500.00	3,708.67	(-)791.33
(6) 3054-04-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत— मूल	2,500.00		
पूरक	6,500.00	9,000.00	7,632.13
			(-)1,367.87

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 3054-04-337-1826-डामरीकरण	1,500.00	573.15	(-)926.85
(8) 3054-04-337-2227-नवीनीकरण	17,500.00	12,296.89	(-)5,203.12
(9) 3054-04-337-4090-विशेष मरम्मत	1,200.00	660.64	(-)539.36
(10) 3054-04-337-4557-सुदृढीकरण	2,200.00	858.99	(-)1,341.01
(11) 3054-04-337-7510-ग्रामीण मार्गों का संधारण	10,000.00	6,578.83	(-)3,421.17
(12) 3054-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7609-ए. डी. बी. सहायित छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना का स्थापना व्यय- पूरक 74.70	74.70	10.85	(-)63.85
(13) 3054-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 692-औजार एवं संयंत्र प्रभार- (मांग संख्या 67-2059-लोक निर्माण कार्य सं अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग) पूरक 1,057.99	1,057.99	803.17	(-)254.82
(14) 3054-80-797-0520-केन्द्रीय सड़क निधि- 8716-केन्द्रीय सड़क निधि- पूरक 3,200.00	3,200.00	..	(-)3,200.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (14) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत, 2010-11 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (5), (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत एवं 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है, और उसके समतुल्य राशि "3054-सड़कें तथा पुल-800-अन्य व्यय" जिसके लिए अनुदान संख्या 24-"लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल" में प्रावधान किया गया है, के नामें डालकर जमा लेखा "8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता"को अन्तरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है, और बाद में जमालेखा "8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। इस वर्ष के दौरान कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

31 मार्च 2015 को जमा लेखे में ₹ 91.02 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे के क्रम संख्या 21-आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(v) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 600.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 10.01 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 610.01 लाख अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 7,801.33 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए कोई भी राशि समर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 24—जारी

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नके अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	200.00	16.51	(-)183.49
(2) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3775-रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	5,000.00	4,941.47	(-)58.53
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4151-वृहद पुलों का निर्माण— मूल 10,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,000.00	9,000.00	8,840.68	(-)159.32
₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 5054-03-337-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 8716-केन्द्रीय सड़क निधि	3,200.00	2,923.24	(-)276.76
(5) 5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	8,200.00	3,376.93	(-)4,823.07
(6) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1222-मूलभूत न्यूनतम सेवा के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण— मूल 8,500.00 पूरक 10.00	8,510.00	5,718.75	(-)2,791.25
(7) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1513-जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण— मूल 55,000.00 पूरक 100.00	55,100.00	55,000.64	(-)99.36
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत, 2007-08 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 4336-राज्यों में सड़कों का निर्माण राज्य मार्ग— मूल 15,000.00 पूरक सांकेतिक	15,000.00	15,094.37	+94.37
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 24—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	1,000.00	4,000.00	4,525.10
			+525.10

₹ 1,000.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन देयताओं के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(ix) ₹ 79.04 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(x) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा-			
मूल	195.00		
पूरक	245.00	440.00	362.27
			(-)77.73

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	30,47,480	26,18,339	(-)4,29,141
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			4,30,688
<i>प्रभारित</i>	<i>500</i>	<i>..</i>	<i>(-)500</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> (31 मार्च 2015)			<i>126</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	26,58,100		
पूरक	सांकेतिक	26,58,100	3,80,281
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)22,77,819
			22,77,819

टीका एवं टिप्पणियां:

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 4,291.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 4,306.88 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2853-02-001-4639-मुख्यालय स्थापना—			
मूल	1,247.45		
पुनर्वि.	(-)349.09	898.36	897.59
			(-)0.77

₹ 349.09 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने (₹ 98.18 लाख), सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने (₹ 63.44 लाख), वित्त विभाग से लंबित प्रकरणों के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 55.13 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 49.31 लाख), शासकीय मुद्रणालय से देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 4.33 लाख) एवं निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने (₹ 4.33 लाख) के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 74.37 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2853-02-001-4640-जिला स्थापना—

मूल	1,448.60		
पुनर्वि.	(-)210.56	1,238.04	1,253.43
			+15.39

₹ 210.56 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने (₹ 156.94 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 5.93 लाख), शासकीय मुद्रणालय से देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 2.34 लाख) एवं जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 11.51 लाख) के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 33.84 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2853-02-001-4643-क्षेत्रीय स्थापना-			
मूल	1,198.75		
पुनर्वि.	(-)278.67	920.08	920.92
			+0.84

₹ 278.67 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 45.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 323.67 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण एवं कमी रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने (₹ 185.89 लाख), सामग्री प्रदाय नहीं किए जाने (₹ 13.69 लाख), मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 5.00 लाख), मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 7.05 लाख) एवं शासकीय मुद्रणालय से देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 0.94 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 111.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2853-02-797-5390-खनिज निधि में अंतरण-

मूल	26,580.00			
पुनर्वि.	(-)3,468.55	23,111.45	23,111.45	..

₹ 3,468.55 लाख की प्रत्याशित बचत शासन से अंतरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

प्रभारित-

(iii) ₹ 5.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 1.26 लाख का अभ्यर्पण बजट प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4853-01-004-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-			
6701-खनिज निधि से व्यय-			
मूल	26,581.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)22,778.19	3,802.81	3,802.81
			..

₹ 22,778.19 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व :			
मूल	2,40,901		
पूरक	8,769	2,49,670	(-)33,623
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित (31 मार्च 2015)			37,217

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 66.69 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 15.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 6.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 87.69 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन त्रुटिपूर्ण बजट प्रक्रिया को इंगित करता है।

(ii) ₹ 336.23 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 372.17 लाख का अभ्यर्ण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-05-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7013—छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग—			
मूल	88.25		
पुरक	6.00		
पुनर्वि	(-)23.02	71.23	71.23

₹ 23.02 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी किए जाने (₹ 10.99 लाख), रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 10.04 लाख), कर्मचारियों द्वारा यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने (₹ 0.31 लाख) एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 1.68 लाख) के कारण सूचित की गई है। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2205-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

3077—बहु आयामी संस्कृति संस्थान—

मूल 125.00

पुनर्वि (-)125.00

₹ 125.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2205-103-758—कन्जर्वेशन सेल—

मूल 125.30

पुनर्वि (-)30.35

94.95

94.91

(-)0.04

₹ 30.35 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 11.76 लाख) एवं कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तथा कर्मचारियों द्वारा यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने (₹ 0.60 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 17.99 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 26—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2205—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 598—उत्खनन तथा सर्वेक्षण— मूल 200.00 पूरक (-)76.43	123.57	120.12	(-)3.45

₹ 76.43 लाख की प्रत्याशित बचत खनन कार्य एवं संरक्षण कार्य में लगे मजदूरों की कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(5) 3454—02—110—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6041—जिला विचारणियका पुनरीक्षण— मूल 46.59 पूरक (-)30.68	15.91	15.61	(-)0.30
---	-------	-------	---------

₹ 30.68 लाख की प्रत्याशित बचत अध्यक्ष पद की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों द्वारा यात्रा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने, मितव्यय उपायों को अपनाने एवं गजेटियर का प्रकाशन नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2205—102—0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 5753—समारोह हेतु अनुदान— मूल 776.00 पुनर्वि. 49.07	825.07	821.73	(-)3.34

₹ 49.07 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 0.93 लाख की कमी एवं ₹ 50.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि राजिम कुम्भ, लोक मड़ई, महोत्सव आदि एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के देयकों की प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,09,10,425		
पूरक	3,47,300	3,12,57,725	2,55,11,951
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)57,45,774 57,98,370
प्रभारित	320	..	(-)320
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत :			
दत्तमत	4,51,260	1,47,372	(-)3,03,888
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			3,03,878

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 340.00 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 3,133.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 3,473.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 57,457.74 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 57,983.70 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2202-01-001-1500—जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	6,234.50		
पुरक	50.00		
पुनर्वि	(-)476.85	5,807.65	5,807.06
			(-)0.59
₹ 476.85 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 489.12 लाख की कमी एवं ₹ 12.27 लाख की वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 355.39 लाख) एवं देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 45.61 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 88.12 लाख की कमी के पर्याप्त करणों के साथ ही वृद्धि एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-01-001-3930—विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	3,524.90		
पुनर्वि.	(-)579.93	2,944.97	2,954.44
			+9.47

अनुदान संख्या 27—जारी

₹ 579.93 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 531.70 लाख) एवं देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 6.71 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 41.52 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-053-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9005-इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत-			
मूल	12,500.00		
पुनर्वि.	(-)5,069.87	7,430.13	7,444.08
			+13.95

₹ 5,069.87 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(4) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3491-माध्यमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	21,583.60		
पुनर्वि.	(-)1,792.65	19,790.95	19,748.07
			(-)42.88

₹ 1,792.65 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 1,727.56 लाख), जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 46.53 लाख) एवं देयकों के लम्बित होने के कारण (₹ 18.56 लाख) सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-01-101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	29,616.60		
पुनर्वि.	(-)2,118.05	27,498.55	27,397.05
			(-)101.50

₹ 2,118.05 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 2,041.70 लाख), जिलों द्वारा निधियों का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 47.13 लाख) एवं देयकों के लम्बित होने (₹ 29.22 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5634-कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना-			
मूल	562.80		
पुनर्वि.	(-)345.74	217.06	217.06
			..

₹ 345.74 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3491-माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	46,893.60		
पुनर्वि.	(-)4,688.89	42,204.71	42,302.27
			+97.56

₹ 4,688.89 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 4,618.60 लाख), जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 17.68 लाख) एवं देयक लम्बित होने (₹ 52.61 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2202-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4396—सरकारी प्राथमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 28,104.60 पुनर्वि. (-)5,512.72	22,591.88	22,735.21	+143.33
₹ 5,512.72 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 5,434.04 लाख), जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 69.97 लाख) एवं देयक लम्बित होने (₹ 8.71 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(9) 2202-01-102-110—अशासकीय विद्यालयों को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)1,604.15	3,395.85	3,421.24	+25.39
₹ 1,604.15 लाख की प्रत्याशित बचत भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने एवं ग्रेच्युईटी का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2202-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 110—अशासकीय विद्यालयों को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)94.36	505.64	505.16	(-)0.48
₹ 94.36 लाख की प्रत्याशित बचत भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने एवं ग्रेच्युईटी का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2202-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8659—अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)477.06	3,022.94	3,022.94	..
₹ 477.06 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2202-01-107-0701— केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 2,669.90 पुनर्वि. (-)861.99	1,807.91	1,803.53	(-)4.38
₹ 861.99 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 439.42 लाख), देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने (₹ 3.50 लाख), प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी किए जाने (₹ 345.20 लाख) एवं कम देयक प्रस्तुत किए जाने (₹ 73.58 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.29 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2202-01-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8646—राज्य प्रशिक्षण योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)197.90	2.10	2.05	(-)0.05
₹ 197.90 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी किए जाने (₹ 22.75 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 175.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2202-01-111-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5396—सर्व शिक्षा अभियान— मूल 35,000.00 पूरक 3,000.00 पुनर्वि. (-)10,147.97	27,852.03	27,852.03	..
₹ 10,147.97 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 4,171.00 पुनर्वि. (-)842.50	3,328.50	3,323.55	(-)4.95
₹ 842.50 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 756.98 लाख) एवं वास्तविक उपस्थिति के आधार पर व्यय किए जाने (₹ 85.52 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 3,491.00 पुनर्वि. (-)568.92	2,922.08	2,921.63	(-)0.45
₹ 568.92 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 492.35 लाख) एवं वास्तविक उपस्थिति के आधार पर व्यय किए जाने (₹ 75.57 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 3,600.00 पुनर्वि. (-)1,331.52	2,268.48	2,721.13	+452.65
₹ 1,331.52 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक उपस्थिति के आधार पर व्यय किए जाने (₹ 1,331.50 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.02 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में— मूल 2,690.00 पुनर्वि. (-)768.37	1,921.63	2,241.78	+320.15
₹ 768.37 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 5.91 लाख) एवं वास्तविक उपस्थिति के आधार पर व्यय किए जाने (₹ 762.46 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2202-02-104-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,832.50 पुनर्वि. (-)1,698.59	133.91	133.90	(-)0.01
₹ 1,698.59 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2202-02-105-4402—सरकारी शिक्षा महाविद्यालय— मूल 658.50 पुनर्वि. (-)123.00	535.50	347.30	(-)188.20
₹ 123.00 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 112.70 लाख), कम देयकों की प्राप्ति (₹ 7.90 लाख) एवं देयक प्रस्तुत नहीं किए (₹ 2.40 लाख) जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3694—राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस.सी.ई.आर.टी.) का पुनर्गठन— मूल 264.50 पुनर्वि. (-)114.10	150.40	150.23	(-)0.17
₹ 114.10 लाख की प्रत्याशित बचत कम राशि के देयक प्राप्त होने (₹ 17.00 लाख), रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 11.20 लाख), क्रय नहीं किए जाने (₹ 0.50 लाख), देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने (₹1.10 लाख) एवं कार्यवाही में कमी किए जाने (₹ 83.30 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5569—सीमेट का गठन— मूल 137.50 पुनर्वि. (-)57.80	79.70	79.43	(-)0.27
₹ 57.80 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 11.20 लाख), प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किए जाने (₹ 45.20 लाख) एवं देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने (₹ 1.40 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2202-02-106-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7259—शैक्षणिक विकास हेतु सहायता— मूल 176.60 पुनर्वि. (-)87.70	88.90	77.92	(-)10.98
₹ 87.70 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 9.60 लाख), क्रय नहीं किए जाने (₹ 14.00 लाख), देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने (₹ 0.10 लाख) एवं कार्यवाही में कमी किए जाने (₹ 62.10 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1.90 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2202-02-109-578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल 15,608.60 पुनर्वि. (-)1,109.30	14,499.30	14,551.82	+52.52
₹ 1,109.30 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 1,011.26 लाख), देयक लम्बित नहीं होने (₹ 10.32 लाख) एवं जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 88.29 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2202-02-109-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7331—बालिका प्रोत्साहन योजना— मूल 850.00 पुनर्वि. (-)850.00
₹ 850.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 2202-02-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान—			
मूल	24,786.00		
पूरक	250.00		
पुनर्वि.	(-)10,216.53	14,819.47	14,819.47
			..
₹ 10,216.53 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5551—हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,348.00	152.00	152.03
			+0.03
₹ 1,348.00 लाख की प्रत्याशित बचत माननीय न्यायलय द्वारा संविदा दरों पर रोक लगाये जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	33,869.50		
पूरक	40.00		
पुनर्वि.	(-)1,125.21	32,784.29	32,867.35
			+83.06
₹ 1,125.21 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,297.71 लाख की कमी एवं ₹ 172.50 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 974.22 लाख), देयक को लम्बित नहीं होने (₹ 15.88 लाख), जिलों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 257.61 लाख) एवं जिलों द्वारा मांग नहीं होने (₹ 50.00 लाख) एवं वृद्धि बजट में कम प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7363—युवा कैरियत निर्माण योजना—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)28.83	71.17	38.50
			(-)32.67
₹ 28.83 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(30) 2202-02-110-110—अशासकीय विद्यालय को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)846.01	5,153.99	5,126.68
			(-)27.31
₹ 846.01 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं ग्रेच्युईटी का भूगतान नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 2202-04-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7363—साक्षर भारत योजना—			
मूल	1,992.00		
पूरक	127.00		
पुनर्वि.	(-)1,494.00	625.00	625.00
			..
₹ 1,494.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(32) 2202-80-001-3858—लोक शिक्षण संचालनालय—			
मूल	768.45		
पुनर्वि.	(-142.81)	625.64	624.86
			(-)0.78
₹ 142.81 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 144.81 लाख की कमी एवं ₹ 2.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 76.30 लाख), कम देयक प्राप्त होने (₹ 3.78 लाख), ई-मेल द्वारा पत्राचार किए जाने (₹ 0.85 लाख) नया रायपुर में संचालनालय का स्थानान्तरण किए जाने (₹ 20.03 लाख) पर्याप्त मात्रा में पुस्तकों की उपलब्ध होने (₹ 0.93 लाख), देयकों का लम्बित होना (₹ 10.25 लाख), प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किए जाने (₹ 1.00 लाख), वर्ष के अंत में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होना (₹ 22.49 लाख), आदिम जाति कल्याण एवं शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दुकान लगाये जाने (₹ 8.70 लाख) एवं प्रावधान में वृद्धि बजट में कम प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.48 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(33) 2202-80-001-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—
5526—मदरसा बोर्ड का गठन—

मूल	512.40		
पुनर्वि.	(-512.40)

₹ 512.40 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

(34) 2204-102-3755—राष्ट्रीय सैन्य दल—

मूल	1,472.50		
पूरक	6.00		
पुनर्वि.	(-409.95)	1,068.55	844.16

₹ 409.95 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं राजनांदगाँव में 38 छत्तीसगढ़ बांयज एन. सी. सी. का प्रारम्भ नहीं होने (₹ 206.24 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 203.71 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-01-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8647—विज्ञान एवं गणित शिक्षा का प्रसार—			
मूल	100.00		
पुनर्वि	150.70	250.70	250.64
			(-)0.06

₹ 150.70 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधि का आवर्धन प्रावधान में ₹ 24.45 लाख की कमी एवं ₹ 175.15 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि कम किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)

प्रभारित—

(v) ₹ 3.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 3,038.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹ 3,038.78 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

अनुदान संख्या 27—समाप्त

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-			
मूल	300.00		
पूरक	(-)300.00
₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(2) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7367-मॉडल स्कूल योजना-			
मूल	1,548.00		
पूरक	(-)1,548.00
₹ 1,548.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वर्ष के अंत में राशि प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है।			
(3) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5646-सैनिक स्कूल की स्थापना-			
मूल	1,500.00		
पूरक	(-)300.00	1,200.00	1,200.00
₹ 300.00 लाख की प्रत्याशित बचत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से राशि विमुक्त नहीं करने के कारण सूचित की गई है।			
(4) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	1,000.00		
पूरक	(-)888.78	111.22	111.22
₹ 888.78 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से निधि की मांग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2011— संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,65,120		
पूरक	29,160	3,94,280	2,87,072
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-),1,07,208 2,350
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	7,400	1,727	(-),5,673 ..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम होते हुए जुलाई 2014 (₹ 95.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 196.60 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 291.60 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,072.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 23.50 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2011-02-101-4007—विधान सभा—			
मूल	1,938.60		
पूरक	279.00	2,217.60	1,868.82
(2) 2011-02-103-4009—विधान सचिवालय	1,589.00	919.80	(-),669.20
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2004-05 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2011-02-101-4312—संसदीय कार्य विभाग—			
मूल	70.60		
पूरक	12.60		
पुनर्वि.	(-),23.50	59.70	59.69
			(-),0.01

₹ 23.50 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 4.01 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 2.51 लाख), यात्रा व्यय में कमी किए जाने (₹ 0.32 लाख), सम्मेलन का आयोजन नहीं किए जाने (₹ 2.00 लाख) एवं पुनः स्थापना प्रक्रिया का संचालन नहीं किए जाने (₹ 5.50 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 9.16 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(4) 2011-02-103-6582—भारतीय संसदीय

संघ को सहायक अनुदान

53.00

22.41

(−),30.59

अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 28—समाप्त

प्रभारित—

(iv) ₹ 56.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2011-02-101-125—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का यात्रा भत्ता	74.00	17.27	(-)56.73

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2004-05 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2015—निर्वाचन			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	29,90,750		
पूरक	13,400	30,04,150	21,40,772
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 जुलाई 2015)			(-)8,63,378 8,15,358
<i>प्रभारित</i>	<i>4,13,170</i>	<i>2,82,984</i>	<i>(-)1,30,186</i> <i>1,31,200</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> <i>(31 जुलाई 2015)</i>			
पूंजीगत :			
दत्तमत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 जुलाई 2015)	1,30,000	1,05,000	(-)25,000 25,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 21,407.72 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2014 (₹ 99.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 35.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 134.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 8,633.78 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 8,153.58 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014—102—5421—छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी—			
मूल	221.10		
पुनर्वि.	(-)168.66	52.44	52.77
			+0.33
₹ 168.66 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 148.22 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 20.44 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2014—105—2410—निर्वाह पत्र तामिल स्थापना—			
मूल	1,320.40		
पुनर्वि.	(-)518.19	802.21	802.12
			(-)0.09
₹ 518.19 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 511.53 लाख) एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं होने (₹ 6.66 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006—07 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2014-105-4497—सामान्य स्थापना—			
मूल	12,091.00		
पूरक	60.00		
पुनर्वि.	(-)3,289.75	8,861.25	8,871.94
			+10.69
₹ 3,289.75 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 2,883.21 लाख), राशि अन्य योजना में स्थानांतरित किए जाने (₹ 144.37 लाख), व्यवस्था अधिकारी/कर्मचारियों को एन. आई. सी द्वारा भुगतान किए जाने (₹ 35.29 लाख), स्थापना में पदस्थ कुछ न्यायाधीशों की पात्रता इस वर्ष नहीं होने (₹ 5.89 लाख) एवं सिविल न्यायालयों की स्थापना नहीं होने (₹ 6.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 214.99 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005-06 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2014-114-3428—महाधिवक्ता—			
मूल	477.00		
पूरक	6.00		
पुनर्वि.	(-)59.72	423.28	423.98
			+0.70
₹ 59.72 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 40.18 लाख) एवं क्रय प्रक्रिया पूर्ण नहीं किए जाने (₹ 6.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 13.54 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2014-114-3572—मुफरिसल स्थापना—			
मूल	821.00		
पूरक	62.00		
पुनर्वि.	(-)297.15	585.85	585.37
			(-)0.48
₹ 297.15 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 143.66 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 153.49 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005-06 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2014-117-5416—परिवार न्यायालय की स्थापना—			
मूल	1,327.30		
पूरक	6.00		
पुनर्वि.	(-)544.81	788.49	788.88
			+0.39
₹ 544.81 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 468.63 लाख) एवं स्थापना में पदस्थ कुछ न्यायाधीशों की पात्रता इस वर्ष नहीं होने (₹ 13.54 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 62.64 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(7) 2014-118-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8992—डिजीटल कोर्ट परियोजना—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)145.60	854.40	854.38
			(-)0.02
₹ 145.60 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(8) 2014-800-2918—बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिए आर्थिक सहायता—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)135.37	14.63	14.75
			+0.12
₹ 135.37 लाख की प्रत्याशित बचत उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2015-102-2409—निर्वाचन अधिकारी—			
मूल	1,337.00		
पुनर्वि.	(-737.11)	599.89	657.63
			+57.74
₹ 737.11 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 713.46 लाख) एवं आम चुनाव हेतु जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 17.91 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 5.74 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2015-105-4311—संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार—			
मूल	6,409.00		
पुनर्वि.	(-1,218.36)	5,190.64	4,614.15
			(-576.49)
₹ 1,218.36 लाख की प्रत्याशित बचत आम चुनावों में पदस्थ अस्थाई कर्मचारियों को एक मुश्त भुगतान किए जाने (₹ 115.40 लाख), मानदेय हेतु जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 204.60 लाख) एवं प्राप्त देयकों के अनुसार समिति व्यय किए जाने (₹ 388.36 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 510.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(11) 2015-106-4006—राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के प्रभार—			
मूल	804.50		
पुनर्वि.	(-568.57)	235.93	239.98
			+4.05
₹ 568.57 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 153.12 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 415.45 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2015-108-9503—मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-111.28)	188.72	181.12
			(-7.60)
₹ 111.28 लाख की प्रत्याशित बचत विक्रेताओं से देयक प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(13) 2052-090-9057—विधि एवं विधायी कार्य—			
मूल	657.00		
पुनर्वि.	(-184.59)	472.41	478.16
			+5.75
₹ 184.59 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 158.57 लाख), प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होने (₹ 0.50 लाख), सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने (₹ 1.50 लाख) एवं पुरस्कार हेतु नामांकन प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने (₹ 2.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 22.02 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2235-60-200-3255—विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान—			
मूल	1,199.90		
पुनर्वि.	(-431.71)	768.19	779.26
			+11.07
₹ 431.71 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 387.36 लाख), यात्रा कार्यक्रम में कमी (₹ 24.58 लाख), समय पर क्रय प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने (₹ 17.97 लाख) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होने (₹ 1.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.80 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 29—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2015-103-3307—मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण—			
मूल	1,250.00		
पुनर्वि.	386.84	1,630.27	(-)6.57

₹ 386.84 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 123.16 लाख की कमी एवं ₹ 510.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी देयकों के प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

प्रभारित—

(v) ₹ 1,301.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 1,312.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-573—उच्च न्यायालय—			
मूल	3,932.60		
पुनर्वि.	(-)1,201.42	2,740.67	+9.49
(2) 2052-091-9056—माध्यस्थम अधिकरण—			
मूल	199.10		
पुनर्वि.	(-)110.58	89.17	+0.65

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,201.42 लाख एवं ₹ 110.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005-06 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7252—विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु ऋण का पुनर्भुगतान—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00

₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 29—समाप्त

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5464-हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	50.00	1,050.00	1,050.00

₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2501—ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्राम रोजगार			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054—सड़कें तथा सेतु			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,14,13,384		
पूरक	10,66,880	2,24,80,264	1,49,95,130
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)74,85,134
			80,56,320
प्रभारित—			
मूल	200	..	(-)200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			200
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	65,60,500		
पूरक	10,75,000	76,35,500	56,00,460
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)20,35,040
			14,71,778
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2014 (₹ 1,625.84 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 3,100.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 5,942.96 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 10,668.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 74,851.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 80,563.20 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2235-60-196-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7291-आम आदमी बीमा योजना-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00

₹ 300.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कम प्रकरण प्राप्त होने (₹ 299.99 लाख) एवं जीवन बीमा निगम से राशि (₹ 0.01 लाख) हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2501-02-196-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम—			
मूल	3,014.24		
पूरक	349.96		
पुनर्वि.	(-)2,995.24	368.96	368.96
			..
₹ 2,995.24 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश (₹ 995.24 लाख) जारी किए जाने एवं कम प्रकरण प्राप्त होने (₹ 2,000.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2501-02-196-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7610—स्वच्छ भारत अभियान—			
पूरक	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,226.38	773.62	772.62
			(-)1.00
₹ 2,226.38 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(4) 2501-06-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन—			
मूल	6,500.00		
पूरक	2,100.00		
पुनर्वि.	(-)6,405.49	2,194.51	2,194.51
			..
₹ 6,405.49 लाख की प्रत्याशित बचत निधि हेतु कम मांग प्राप्त होने (₹ 375.76 लाख), स्वराज कार्यक्रम से संबंधित कम देयक प्राप्त होने (₹ 3,500.00 लाख) एवं केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किए जाने (₹ 2,529.73 लाख) के कारण सूचित किए गए हैं। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2505-60-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6728—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—			
मूल	173.54		
पुनर्वि.	(-)19.93	153.61	97.61
			(-)56.00
₹ 19.93 लाख की प्रत्याशित बचत कम चिकित्सा देयक प्रस्तुत होने के कारण सूचित की गई है (₹ 5.00 लाख)। शेष ₹ 14.93 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2505-60-196-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6728—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—			
मूल	1,37,500.00		
पुनर्वि.	(-)57,832.76	79,667.24	85,167.24
			+5,500.00
₹ 57,832.76 लाख की प्रत्याशित बचत कम बीमा दावों के प्राप्त होने (₹ 313.25 लाख), जिला पंचायतों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने (₹ 236.75 लाख) एवं केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश (₹ 57,282.76 लाख) जारी किए जाने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2505-60-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7588—मनरेगा अंतर्गत मातृत्व भत्ता—			
पूरक	800.00		
पुनर्वि.	(-)800.00
			..
₹ 800.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2515-001-1033-विकास खंड कार्यालय—			
मूल	2,391.70		
पुनर्वि.	(-)2.93	2,388.77	1,987.30
			(-)401.47
₹ 2.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2515-001-3926-विकास आयुक्त—			
मूल	128.58		
पुनर्वि.	(-)18.18	110.40	62.11
			(-)48.29
₹ 18.18 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(10) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
1033-विकास खंड कार्यालय—			
मूल	2,906.10		
पुनर्वि.	(-)35.04	2,871.06	2,845.61
			(-)25.45
₹ 35.04 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(11) 2515-101-2467-पंचायत संचालनालय—			
मूल	166.45		
पुनर्वि.	(-)77.10	89.35	92.74
			+3.39
₹ 77.10 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 46.14 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 6.49 लाख) एवं वाहन क्रय नहीं (₹ 5.00 लाख) किए जाने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 19.47 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2515-101-2474-पंचायती राज			
संस्थाओं से संबंधित प्रभार—			
मूल	7,975.02		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)2,761.71	5,313.32	6,756.13
			(-)1,442.81
₹ 2,761.71 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 2,693.72 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 31.17 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 36.81 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2515-102-1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा—			
मूल	3,018.90		
पुनर्वि.	(-)331.45	2,687.45	2,171.47
			(-)515.98
(14) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना—			
मूल	4,303.50		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)885.94	3,417.56	3,002.75
			(-)414.81
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 331.45 लाख एवं ₹ 885.94 लाख के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2515-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 2,321.00 पुनर्वि. (-)84.10	2,236.90	1,698.55	(-)538.35

₹ 84.10 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(16) 3054-04-338-4855—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण— मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)8,500.00	11,500.00	11,500.00	..
---	-----------	-----------	----

₹ 8,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2216-03-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6549—इंदिरा आवास योजना— मूल 21,230.00 पूरक 3,500.00 पुनर्वि. 1,985.28	26,715.28	26,464.37	(-)250.91

₹ 1,985.28 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 5,500.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,514.72 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि दावों के अधिक प्राप्ति एवं कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश जारी किए जाने के कारण सूचित सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2235-60-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8968—अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना— मूल 120.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. 603.25	1,223.25	1,212.59	(-)10.65
---	----------	----------	----------

₹ 603.25 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 613.24 लाख की वृद्धि एवं ₹ 9.99 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रिमियम का भुगतान एवं कमी हितग्राहियों की सूची अद्यतन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(3) 2501-06-196-0701—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8775—प्रशासन योजना जिला स्तर— मूल 0.04 पूरक 288.07 पुनर्वि. 375.76	663.87	649.58	(-)14.28
---	--------	--------	----------

₹ 375.76 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन राज्य सरकार के बजट में कम प्रावधान होने के कारण सूचित किए गए हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2515-101-5575-त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)29.82	70.19	489.59	+419.40
₹ 29.82 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(5) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा— मूल 1,184.00 पुनर्वि. (-)84.45	1,099.55	1,691.38	+591.83
₹ 84.45 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

प्रभारित—

(v) ₹ 2.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गई। 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2014 (₹ 5,500.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 5,250.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 10,750.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 20,350.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 14,717.78 की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4871-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)500.00	1,000.00	1,000.00	..
₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि की विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।			
(2) 5054-04-337-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना— मूल 25,000.00 पुनर्वि. (-)11,462.50	13,537.50	13,537.50	..
₹ 11,462.50 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(2) 5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 17,500.00 पूरक 5,000.00 पुनर्वि. (-)7,600.00	14,900.00	11,620.41	(-)3,279.59

अनुदान संख्या 30—समाप्त

₹ 7,600.00 लाख की प्रत्याशित बचत निधि की कम मांग प्राप्त (₹ 5,000.00 लाख) होने एवं रेत की निकासी पर प्रतिबंध (₹ 2,600.00 लाख) होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-04-337-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)—			
7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना—			
मूल	20,000.00		
पूरक	5,250.00		
पुनर्वि.	4,850.00	30,100.00	27,760.50
			(-)2,339.50

₹ 4,850.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन प्रावधान में ₹ 5,000.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 150.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने एवं निविदा प्रक्रिया स्थगित किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 31—योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,58,447		
पूरक	4,942	2,63,389	1,82,959
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)80,430
प्रभारित	40	..	(-)40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			20

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 49.42 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 804.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 288.63 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3451-101-3686—राज्य योजना आयोग—			
मूल	370.70		
पुनर्वि.	(-)218.28	152.42	152.44
			+0.02

₹ 218.28 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 160.79 लाख), प्रकाशन नहीं होने (₹ 2.00 लाख), सम्मेलन का आयोजन नहीं किए जाने (₹ 1.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 54.49 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 3451-101-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—

6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी
कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान—

मूल 70.35
पूरक (-)70.35

₹ 70.35 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य योजना आयोग द्वारा डाटा एकत्रित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2004-05 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 3454-02-111-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

5501—नागरिकता पंजीयन एवं जन्म मृत्यु
सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढीकरण

70.00

10.11

(-)59.89

अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 3454-02-201-512-नमूना सर्वेक्षण	134.13	94.48	(-)39.65
(5) 3454-02-203-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7604-भवन सांख्यिकी सर्वेक्षण	41.00	..	(-)41.00
(6) 3454-02-205-8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	1,584.10	1,300.29	(-)283.81

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2005-06 से 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 0.20 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

मुख्य शीर्ष—

- 2015—निर्वाचन
- 2029—भू—राजस्व
- 2039—राज्य उत्पाद शुल्क
- 2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर
- 2051—लोक सेवा आयोग
- 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
- 2053—जिला प्रशासन
- 2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन
- 2055—पुलिस
- 2056—जेल
- 2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं
- 2075—विविध सामान्य सेवाएं
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2204—खेल और युवा कल्याण
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
- 2217—शहरी विकास
- 2220—सूचना तथा प्रचार
- 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230—श्रम तथा रोजगार
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2403—पशुपालन
- 2405—मछली पालन
- 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
- 2425—सहकारिता
- 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
- 2701—मध्यम सिंचाई
- 2702—लघु सिंचाई
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2852—उद्योग
- 2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग
- 3054—सड़क तथा सेतु
- 3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
- 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
- 4220—सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 32—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	8,87,540		
पूरक	45,000	9,32,540	8,95,938
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)36,602 38,013
<i>प्रभारित—</i>			
मूल	10		
पूरक	66	76	76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत :			
दत्तमत	200	193	(-)7
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			7
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त किया गया ₹ 450.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान में दिसम्बर 2014 (₹ 250.00 लाख) में प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था एवं मार्च 2015 (₹ 200.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था। यह त्रुटिपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 366.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 380.13 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2220-01-001-2320-(प्रशासन और निर्देशन)—			
मूल	3,629.60		
पुनर्वि.	(-)376.43	3,253.17	3,252.79
₹ 376.43 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			(-)0.38
(2) 2220-60-106-1479—जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना—			
मूल	827.60		
पुनर्वि.	(-)129.11	698.49	717.29
₹ 129.11 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			+18.80
(3) 2220-60-106-5376—इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रचार प्रसार—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)118.83	1,881.17	1,881.17
₹ 118.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			..

अनुदान संख्या 32—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रवधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1)2210-80-800-3956-विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय-			
मूल.	20.00		
पुनर्वि.	50.00	70.00	..
(2)2215-01-800-3956-विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय-			
मूल.	250.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	149.97	499.97	..
(3)3054-80-001-3596-विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय-			
मूल.	550.00		
पुनर्वि.	99.95	649.95	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 50.00 लाख, ₹ 149.97 लाख एवं ₹ 99.95 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	1,38,60,040			
पूरक	30,600	1,38,90,640	1,42,65,833	+3,75,193
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				92,044
प्रभारित		100	..	(-)100
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				100

पूंजीगत :

दत्तमत		500	500	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..
टीका एवं टिप्पणियां				

राजस्व :

दत्तमत—

(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 37,51,92,819 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 3,751.93 लाख के आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को ₹ 920.44 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-109-3492—माध्यमिक शालाएं—			
मूल	55,000.00		
पुनर्वि.	(-)199.78	54,800.22	58,138.51
			+3,338.29
₹ 199.78 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 705.69 लाख की वृद्धि एवं ₹ 505.91 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वृद्धि बजट में अपर्याप्त प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 2202-02-109-583—उच्चतर माध्यमिक शालाएं—			
मूल	15,520.50		
पुनर्वि.	203.51	15,724.01	19,609.90
			+3,885.89

₹ 203.51 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 279.81 लाख की वृद्धि एवं ₹ 76.30 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वृद्धि बजट में अपर्याप्त प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)	
(3) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7592—खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न— पूरक	306.00	306.00	368.00	+62.00

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से बचत द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)	
(1) 2202-01-001-2721—प्रशासन का सुदृढीकरण विकास खण्ड स्तर— मूल	2,861.60			
पुनर्वि.	(-)211.82	2,649.78	2,546.99	(-)102.79

₹ 211.82 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202-01-101-2772—प्राथमिक शालाएं— मूल	35,500.00			
पुनर्वि.	(-)625.90	34,874.10	34,668.10	(-)206.00

₹ 625.90 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 491.28 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,117.18 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202-01-101-495—आश्रम और शालाएं— मूल	6,530.50			
पुनर्वि.	465.78	6,996.28	5,969.83	(-)1,026.45

₹ 465.78 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 735.27 लाख की वृद्धि एवं ₹ 269.49 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वृद्धि बजट में अपर्याप्त प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(4) 2202-02-109-1117—गुरुकुल विद्यालय— मूल	232.10			
पुनर्वि.	(-)64.10	168.00	169.32	+1.32

₹ 64.10 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(5) 2202-02-109-1395—छात्रावास— मूल	8,547.10			
पुनर्वि.	286.45	8,833.55	7,521.65	(-)1,311.90

₹ 286.45 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,236.63 लाख की वृद्धि एवं ₹ 950.18 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वृद्धि बजट में अपर्याप्त प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 33—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2202-02-109-363—आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	736.00		
पुनर्वि.	(-)10.41	725.59	648.09
			(-)77.50
₹ 10.41 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 24.25 लाख की वृद्धि एवं ₹ 34.66 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वृद्धि बजट में अपर्याप्त प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(7) 2202-02-109-761—कन्या शिक्षा परिसर—			
मूल	639.90		
पुनर्वि.	(-)40.53	599.37	582.72
			(-)16.65
₹ 40.53 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 34.54 लाख की वृद्धि एवं ₹ 75.07 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वृद्धि बजट में अपर्याप्त प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(8) 2202-02-109-979—क्रीड़ा परिसर—			
मूल	982.50		
पुनर्वि.	(-)73.45	909.05	821.36
			(-)87.69
₹ 73.45 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 20.62 लाख की वृद्धि एवं ₹ 94.07 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वृद्धि बजट में अपर्याप्त प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(9) 2225-02-001-1483—जिला प्रशासन—			
मूल	3,192.90		
पुनर्वि.	(-)128.66	3,064.24	3,139.79
			+75.55
₹ 128.66 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1.40 लाख की वृद्धि एवं ₹ 130.06 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वृद्धि बजट में अपर्याप्त प्रावधान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(10) 2225-02-001-6130—संचालनालय—			
मूल	1,294.90		
पुनर्वि.	(-)411.11	883.79	864.29
			(-)19.50
₹ 411.11 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 479.99 लाख की कमी एवं ₹ 68.88 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 384.11 लाख) एवं वृद्धि निधि की मांग होने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 95.88 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	6,78,395		
पूरक	2,220	6,80,615	6,67,108
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)13,507 1,09,407
<i>प्रभारित</i>	<i>40</i>	<i>33</i>	<i>(-)7</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> <i>(31 मार्च 2015)</i>			<i>40</i>
पूंजीगत	1,000	1,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणी:			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 22.20 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 135.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 1,094.07 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-2322-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	1,585.30		
पुनर्वि.	(-)479.26	1,106.04	1,123.80
			+17.76
₹ 479.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6883-प्रमस्तिष्क अंगाघात निःशक्तजनो हेतु उपचार एवं पुनर्वास संस्थान—			
मूल	39.60		
पुनर्वि.	(-)23.39	16.21	15.27
			(-)0.94
₹ 23.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(3) 2235-02-101-79-अंधे, बहरे तथा गूंगों के लिए शाला तथा संस्थाएं—			
मूल	888.50		
पुनर्वि.	(-)169.74	718.76	723.38
			+4.62
₹ 169.74 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 34—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3921-निःशक्तजनों की सहायता के लिये योजना-			
मूल	285.00		
पुनर्वि.	(-)28.33	256.67	255.36
			(-)1.31
₹ 28.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(5) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5650-जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र-			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	(-)52.62	17.38	17.49
			+0.11
₹ 52.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2235-02-106-2517-परिवीक्षा इकाई-			
मूल	128.38		
पुनर्वि.	(-)32.48	95.90	95.58
			(-)0.32
(7) 2235-02-106-3339-छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाएं-			
मूल	359.42		
पुनर्वि.	(-)73.23	286.19	285.97
			(-)0.22
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 32.48 लाख एवं ₹ 73.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2235-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3339-छत्तीसगढ़ किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाएं-			
मूल	84.85		
पुनर्वि.	(-)38.50	46.35	46.41
			+0.06
(9) 2235-02-200-795-कला पथक-			
मूल	252.70		
पुनर्वि.	(-)68.53	184.17	184.36
			+0.19
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 38.50 लाख एवं ₹ 68.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8662-छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना	1,300.00	2,220.00	+920.00
अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

प्रभारित-

(v) ₹ 0.07 लाख की उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 0.40 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

अनुदान संख्या 35-पुर्नवास
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व	15,308	13,817	(-)1,491
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,476
टीका एवं टिप्पणियां:			

राजस्व :

(i) ₹ 14.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 14.76 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-01-200-4625-स्थायी दायित्व गृह माना, जिला रायपुर का संचालन-			
मूल	125.51		
पुनर्वि.	(-)11.32	114.19	(-)0.14

₹ 11.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2003-04 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद			
2041—वाहन कर			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,57,294		
पूरक	11,050	4,68,344	2,97,017
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,71,327
<i>प्रभारित</i>	2,010
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-)2,010
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,00,000	1,00,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 110.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह प्रचलन बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,713.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2041-001-3565—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	429.65		
पुनर्वि.	(-)17.71	411.94	245.22
			(-)166.72
₹ 17.71 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2041-001-4280—संग्रह प्रभार—			
पूरक	110.50	110.50	..
			(-)110.50
₹ 110.50 लाख की संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2041-101-4280—संग्रह प्रभार—			
मूल	1,450.95		
पुनर्वि.	(-)12.29	1,438.66	944.03
			(-)494.63
₹ 12.29 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी एवं ₹ 17.71 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 36—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2041-102-679—इनफोर्समेंट—			
मूल	1,306.30		
पुनर्वि.	30.00	1,336.30	556.18
			(-)780.12

₹ 30.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(5) 2070-114-3598—मोटर गैरेज	845.73	774.81	(-)70.92
------------------------------	--------	--------	----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 20.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2070-114-3598—मोटर गैरेज	20.00	..	(-)20.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
3452-पर्यटन			
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	4,32,500		
पूरक	30,000	4,62,500	4,62,500
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत	1,80,000	65,000	(-)1,15,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,15,000
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत:			
प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5452-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7009-प्रत्येक जिलों में पर्यटन केन्द्रों का विकास-			
मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)1,150.00	150.00	150.00

₹ 1,150.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।
2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
4408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य, भण्डारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,17,34,991		
पूरक	12,014	2,17,47,005	1,50,91,389
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)66,55,616
प्रभारित	50	..	(-)50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	3,14,030		
पूरक	2,50,000	5,64,030	1,00,899
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)4,63,131
टीका एवं टिप्पणियां			..
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 120.14 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 66,556.16 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए वर्ष के दौरान अभ्यर्पण नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2408-01-001-1471-जिला कार्यालय	1,456.07	1,322.49	(-)133.58
(2) 2408-01-001-629-उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ—			
मूल	1,037.50		
पूरक	90.24	1,127.74	702.43
			(-)425.31
(3) 2408-01-003-0701-8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	162.00	..	(-)162.00
(4) 2408-01-102-3229-नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	200.00	..	(-)200.00
(5) 2408-01-102-6964-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता—			
मूल	176.10		
पूरक	सांकेतिक	176.10	6.15
			(-)169.95
(6) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5456-अंत्योदय अन्न योजना	2,385.00	1,693.99	(-)691.01

अनुदान संख्या 39—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5591-अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रों को प्रोत्साहन सहायता	1,000.00	13.17	(-)986.83
(8) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	1,50,000.00	90,110.11	(-)59,889.89
(9) 2408-01-102-0101-8673-कोर पी.डी.एस. "मेरी मर्जी योजना"	175.00	..	(-)175.00
(10) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8999-मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना	12,500.00	10,405.55	(-)2,094.45
(11) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9993-रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	4,860.00	3,320.16	1,539.84

उपरोक्त क्रम संख्या (1), (2), (5) से (8), (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण एवं क्रम संख्या (3), (4) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2), (9) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत, 2007-08 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) ₹ 0.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 2,500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 4,631.13 लाख की उपलब्ध बचत के होते हुए भी वर्ष के दौरान कोई भी राशि का अभ्यर्पण नहीं किया जाना कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4408-02-195-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7478-नगरीय क्षेत्रों में उचित मुल्य दुकान सह गोदाम निर्माण हेतु	1,000.00	..	(-)1,000.00
सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 6408-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6914-पहुँच विहीन क्षेत्रों हेतु वर्षा ऋतु में खाद्यान्न भण्डारण हेतु सहायता	250.00	165.50	(-)84.50
(3) 6408-02-190-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण- मूल पूरक	1,890.00 2,500.00	4,390.00	843.49 (-)3,546.51

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—आयाकट विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2705—कमान क्षेत्र विकास			
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	64,467	34,940	(-) 29,527
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			29,476
पूंजीगत :			
दत्तमत	6,38,000	2,28,595	(-) 4,09,405
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			4,09,405
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 295.27 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 294.76 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 3436—महानदी कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण— मूल 151.52 पुनर्वि. (-)30.60	120.92	120.46	(-)0.46
₹ 30.60 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011—12 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2705—209—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6305—सिंचाई सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)42.13	157.87	161.09	+3.22
₹ 42.13 लाख की प्रत्याशित बचत कृषकों द्वारा अंशदान की राशि जमा नहीं किये जाने से शासकीय अनुदान विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(3) 2705—210—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6304—सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)196.77	3.23	..	(-)3.23
₹ 196.77 लाख की प्रत्याशित बचत जल उपभोक्ता समितियों का फरवरी 2015 में कार्यकाल समाप्त होने एवं बजट के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 40—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4705-209-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,371.64	1,628.36	(-)14.17

₹ 1,371.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4705-210-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण-			
मूल	2,880.00		
पुनर्वि.	(-)2,647.82	232.18	+101.82

₹ 2,647.82 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4705-210-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)74.39	175.61	(-)101.82

₹ 74.39 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उचंत लेन देन:-

उचंत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के नीचे टिप्पणी (vi) में दी गए हैं।

विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत 2014-15 तक इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दी गई है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2014 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंतशेष 31 मार्च 2015 को नामे+ जमा (-)
-------	--	--------------------------	-------------------------	--

4701-मध्यम सिंचाई पर
पूँजीगत परिव्यय-

(₹ लाख में)

(1) क्रय	(-)4.74	(-)4.74
(2) भण्डार	(-)0.03	(-)0.03
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+15.07	+15.07
योग	+10.30	+10.30

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2205—कला एवं संस्कृति
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2220—सूचना तथा प्रचार
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
 तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230—श्रम तथा रोजगार
 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्राम रोजगार
 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 2853—अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग
 3275—अन्य संचार सेवाएं
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जल पूर्ति और मल निकासी पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य
 पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4408—खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801— उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 6215—जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
 6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज
 6425—सहकारिता के लिए कर्ज
 6801— उर्जा परियोजना के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 41—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	7,85,53,943		
पूरक	44,89,648	8,30,43,591	(-)2,39,37,024
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,38,50,401
प्रभारित	10	..	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूँजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,71,46,530		
पूरक	23,42,001	1,94,88,531	(-)80,87,331
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			68,71,984
प्रभारित	1,500	716	(-)784
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			784
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 14,928.67 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 25,515.81 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 4,452.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 44,896.48 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 2,39,370.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 1,38,504.01 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5634-कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना—			
मूल	1,125.70		
पुनर्वि.	(-)691.55	434.15	434.15
₹ 691.55 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 495-आश्रम और शालाएं—			
मूल	9,876.50		
पुनर्वि.	(-)173.26	9,703.24	9,622.06
₹ 173.26 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,288.70 लाख की कमी तथा ₹ 1,115.44 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निधि की मांग होने एवं कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 437.09 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 678.35 लाख की वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)81.18

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5092—जवाहर उत्कर्ष योजना— मूल 900.00 पुनर्वि. (-)149.96	750.04	772.24	+22.20
₹ 149.96 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8979—एकीकृत अम्ब्रेला योजना— मूल 10,300.00 पूरक 2,655.00 पुनर्वि. (-)642.00	12,313.00	12,300.25	(-)12.75
₹ 642.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(5) 2202-01-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 3,500.00 पूरक 2,000.00 पुनर्वि. (-)269.36	5,230.64	5,208.00	(-)22.64
₹ 269.36 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(6) 2202-01-796-109-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7437—मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना— मूल 862.90 पुनर्वि. (-)288.73	574.17	515.77	(-)58.40
₹ 288.73 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202-01-796-111-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 5396—सर्व शिक्षा अभियान— मूल 28,850.00 पूरक 2,000.00 पुनर्वि. (-)9,644.32	21,205.68	21,205.68	..
₹ 9,644.32 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2202-01-796-112-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 5,274.00 पुनर्वि. (-)833.50	4,440.50	4,412.36	(-)28.14
₹ 833.50 लाख की प्रत्याशित बचत दर्ज संख्या के विरुद्ध वास्तविक उपस्थिति के अनुसार (₹ 683.37 लाख) व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 150.13 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2202-01-796-112-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम- मूल 4,032.00 पुनर्वि. (-)403.93	3,628.07	3,619.60	(-)8.47
₹ 403.93 लाख की प्रत्याशित बचत दर्ज संख्या के विरुद्ध वास्तविक उपस्थिति के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2202-02-796-104-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान- मूल 1,692.50 पुनर्वि. (-)464.11	1,228.39	1,255.30	+26.91
₹ 464.11 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(11) 2202-02-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5904-निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय- मूल 1,444.00 पुनर्वि. (-)510.47	933.53	937.15	+3.62
₹ 510.47 लाख की प्रत्याशित बचत कोषालयों द्वारा देयक पारित नहीं किए जाने (₹ 506.40 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 4.07 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(12) 2202-02-796-109-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5232-आवासीय विद्यालय समिति को अनुदान {अनुच्छेद 273 (i)}- मूल 1,538.20 पुनर्वि. (-)241.06	1,297.14	1,288.21	(-)8.93
₹ 241.06 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(13) 2202-02-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान- मूल 19,195.00 पूरक 750.00 पुनर्वि. (-)11,289.91	8,655.09	8,655.09	..
₹ 11,289.91 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1395-छात्रावास-			
मूल	6,840.50		
पूरक	22.00		
पुनर्वि.	(-)83.14	6,779.36	6,188.96
			(-)590.40
₹ 83.14 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 833.55 लाख की वृद्धि एवं ₹ 916.69 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि जिलों द्वारा निधियों की मांग किए जाने (₹ 743.55 लाख) एवं योजना में परिवर्तन किए जाने (₹ 90.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(15) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5216-उच्च विद्यालय-			
मूल	6,019.00		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	(-)873.91	5,155.09	5,068.04
			(-)87.05
₹ 873.91 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5551-हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय-			
मूल	2,300.00		
पुनर्वि.	(-)2,165.13	134.87	134.87
			..
₹ 2,165.13 लाख की प्रत्याशित बचत माननीय न्यायालय द्वारा संविदा पर रोक लगाए जाने (₹ 965.13 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,200.00 लाख की प्रत्याशित बचत के प्रयाप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 583-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	4,879.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,273.57	3,605.43	4,714.85
			+1,109.42
₹ 1,273.57 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(18) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6140-छात्र भोजन सहाय योजना-			
मूल	650.00		
पूरक	3.00		
पुनर्वि.	(-)100.09	552.91	552.91
			..
₹ 100.09 लाख की प्रत्याशित बचत के प्रयाप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(19) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6365-पोस्ट मेट्रिक छात्रावासियों को विशेष आगम सहायता-			
मूल	90.00		
पुनर्वि.	(-)90.00
			..
₹ 90.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पोस्ट मैट्रिक छात्रावासियों का विशेष आगम सहायता भत्ता समाप्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6755-कम्प्यूटर शिक्षा योजना- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)198.10	1.90	..	(-)1.90
₹ 198.10 लाख की प्रत्याशित बचत मांग नहीं होने (₹ 27.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 171.10 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7363-युवा कैरियर निर्माण योजना- मूल 311.20 पुनर्वि. (-)108.31	202.89	222.30	+19.41
₹ 108.31 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 27.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 135.31 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि जिलों द्वारा निधियों की मांग किए जाने के कारण एवं कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(22) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासों को भोजन- पूरक 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,567.85	432.15	432.16	+0.01
₹ 2,567.85 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(23) 2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय- मूल 5,015.60 पुनर्वि. (-)612.95	4,402.65	4,388.91	(-)13.74
₹ 612.95 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 486.80 लाख) एवं मांग नहीं होने (₹ 35.38 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 90.77 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(24) 2203-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)50.00	450.00	..	(-)450.00
₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(25) 2203-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं- मूल 1,465.80 पुनर्वि. (-)830.00	635.80	644.23	+8.43
₹ 830.00 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 713.99 लाख), संस्थाओं द्वारा निधि की मांग नहीं किए जाने (₹ 5.00 लाख) एवं संस्थाओं के द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 103.76 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 7.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 41—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(26) 2205-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5377-मुक्ताकॉश संग्रहालय- मूल 500.00				
पुनर्वि.	(-)279.60	220.40	213.10	(-)7.30
₹ 279.60 लाख की प्रत्याशित बचत संस्थाओं को राशि स्थानांतरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।				
(27) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8940-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल सरगुजा		150.00	1.38	(-)148.62
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।				
(28) 2210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8950-चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध अस्पताल, जगदलपुर- मूल 2,216.30				
पुनर्वि.	(-)35.00	2,181.30	1,681.12	(-)500.18
₹ 35.00 लाख की प्रत्याशित बचत के प्रयाप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।				
(29) 2210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1473-जिला चिकित्सालय		4,337.50	2,973.67	(-)1,363.83
(30) 2210-01-796-200-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6960-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना- मूल 3,280.00				
पुरक 3,000.00		6,280.00	3,523.81	(-)2,756.19
उपरोक्त क्रम संख्या (29) एवं (30) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(31) 2210-01-796-200-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7463-कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग एवं आघात रोगों के रोकथाम		995.00	..	(-)995.00
(32) 2210-01-796-200-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7464-वयोवृद्ध स्वास्थ्य संरक्षण		399.00	..	(-)399.00
उपरोक्त क्रम संख्या (31) एवं (32) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।				
(33) 2210-01-796-200-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8649-मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम- मूल 1,600.00				
पुरक (-)1,500.00		100.00	..	(-)100.00
₹ 1,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रावधान होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।				

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(34) 2210-03-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9360-चलित जीवन ज्योति औषधालयों की स्थापना	166.90	88.97	(-)77.92
(35) 2210-03-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6884-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	35,200.00	21,266.00	(-)13,934.00
उपरोक्त क्रम संख्या (34) एवं (35) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त भी क्रम संख्या (34) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2210-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना- मूल 2,071.10 पुनर्वि. (-)410.47	1,660.63	1,658.89	(-)1.74
₹ 410.47 लाख की प्रत्याशित बचत सरकार के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत सी.जी.एम. स.सी. को स्थानांतरण किए जाने (₹ 160.32 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 250.15 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(37) 2210-04-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना- मूल 212.00 पुनर्वि. (-)125.06	86.94	86.84	(-)0.10
₹ 125.06 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 94.90 लाख), जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 1.90 लाख) एवं सरकार के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत सी.जी.एम.एन.सी. को स्थानांतरण किए जाने (₹ 16.14 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 12.12 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(38) 2210-05-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5689-चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर की स्थापना- मूल 2,424.80 पूरक सांकेतिक	2,424.80	2,218.47	(-)206.33
(39) 2210-05-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8941-चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा- मूल 250.00 पूरक सांकेतिक	250.00	40.00	(-)210.00
(40) 2210-06-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2502-परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	370.00	65.69	(-)304.31
(41) 2210-06-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	478.70	309.62	(-)169.08
(42) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4244-मलेरिया	1,770.50	1,468.27	(-)302.23

शीर्ष	अनुदान संख्या 41—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(43) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5688-मुख्यमंत्री दवा पेटी	380.00		140.50	(-)239.50
उपरोक्त क्रम संख्या (38) से (43) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (38), 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (40) तथा (41) एवं 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (43) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(44) 2210-80-796-798-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं— 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1,000.00		..	(-)1,000.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।				
(45) 2211-796-001-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 1508-जिला स्तरीय अमला	212.70		127.50	(-)85.20
(46) 2211-796-101-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 621-उप स्वास्थ्य केन्द्र	7,657.50		6,795.22	(-)862.28
(47) 2215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम— मूल 13,000.00 पूरक 1,546.00	14,546.00		9,677.28	(-)4,868.72
(48) 2215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9937-पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	500.00		279.28	(-)220.72
(49) 2215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9938-भू-जल सतह का रिचार्जिंग	166.25		66.50	(-)99.75
उपरोक्त क्रम संख्या (45) से (49) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त भी क्रम संख्या (45), (46) एवं (48) के एवं 2010-11 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (47) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(50) 2215-01-796-192-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5717-मनेन्द्रगढ़ जल आवर्धन प्रदाय योजना	100.00		..	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।				
(51) 2215-01-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8908-नवीन शहरी जल प्रदाय आवर्धन योजना	434.00		234.12	(-)199.88
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।				
(52) 2215-02-796-107-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7254-निर्मल भारत अभियान— मूल 2,280.00 पुनर्वि. (-)2,230.00	50.00		..	(-)50.00
₹ 2,230.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्मल भारत अभियान की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को स्थानांतरित किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।				

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(53) 2217-80-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8996-राष्ट्रीय शहरी लाइवलीहुड योजना- मूल 160.00 पुनर्वि. (-)118.00	42.00	42.00	..
₹ 118.00 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय अंशदान प्राप्त नहीं होने (₹ 114.40 लाख) के कारण के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 3.60 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(54) 2225-02-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3728-पुनुरुत्थान, शोध, प्रशिक्षण एवं आदिवासी संस्कृति का विकास	500.00	390.67	(-)109.33
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(55) 2225-02-796-102-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, अनुच्छेद-[275(i)]- पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)173.86	326.14	318.16	(-)7.98
₹ 173.86 की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(56) 2225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5024-आदिवासी विशेष पिछड़े समूह- मूल 2,000.00 पूरक 362.80 पुनर्वि. (-)562.90	1,799.90	1,798.56	(-)1.34
(57) 2225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 5211-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम- मूल 7,812.00 पुनर्वि. (-)3,578.75	4,233.25	4,206.22	(-)27.03
उपरोक्त क्रम संख्या (56) एवं (57) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 562.90 लाख एवं ₹ 3,578.75 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (56) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (57) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(58) 2225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 5212-माडा क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम- मूल 752.70 पुनर्वि. (-)372.16	380.54	384.94	+4.40
₹ 372.16 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(59) 2225-02-796-277-0102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8979-एकीकृत छाता योजना- मूल 245.00 पुनर्वि. (-)245.00
₹ 245.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(60) 2225-02-796-277-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7321-शिशु शाला के लिए अनुदान- मूल 720.00 पुनर्वि. (-)203.93	516.07	514.95	(-)1.12
(61) 2230-03-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं- मूल 250.00 पूरक 53.40 पुनर्वि. (-)206.13	97.27	96.75	(-)0.52
उपरोक्त क्रम संख्या (60) एवं (61) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 203.93 लाख एवं ₹ 206.13 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (61) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(62) 2230-03-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं- मूल 2,405.50 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)996.65	1,408.85	1,414.87	+6.02
(63) 2230-03-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7438-स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन- मूल 274.00 पुनर्वि. (-)234.71	39.29	40.04	+0.75
उपरोक्त क्रम संख्या (62) एवं (63) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 996.65 लाख एवं ₹ 234.71 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(64) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5354-एकीकृत सेवाएं योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजनाएं)- मूल 495.86 पुनर्वि. (-)412.47	83.39	84.71	(-)1.32

₹ 412.47 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य योजना की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(65) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7361- सबला योजना-			
मूल	231.00		
पुनर्वि.	(-)143.35	87.65	80.35 (-)7.30
₹ 143.35 लाख की प्रत्याशित बचत दर्ज संख्या के विरुद्ध वास्तविक उपस्थिति के अनुसार व्यय किए जाने (₹ 105.51 लाख) एवं देयकों का आहरण नहीं किए जाने (₹ 37.57 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(66) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना-			
मूल	22,266.32		
पुनर्वि.	(-)8,599.53	13,666.79	14,274.25 +607.47
₹ 8,599.53 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 6,636.19 लाख), स्थानांतरण नहीं होने (₹ 1.14 लाख), दावा प्राप्त नहीं होने (₹ 1.14 लाख), कम निधि प्राप्त होने (₹ 36.80 लाख), मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 177.12 लाख), कम आंगनबाड़ी भवनों के किराये पर लिए जाने (₹ 423.05 लाख), आंगनबाड़ी भवनों के अनुरक्षण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 321.21 लाख), स्नेह शिविर के कम आयोजन किये जाने (₹ 233.93 लाख), मेडीसिन किट के क्रय की निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होने (₹ 421.89 लाख), भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने (₹ 144.00 लाख), भारत सरकार से कम स्वीकृति प्राप्त होने (₹ 75.60 लाख), ई-डाकेट प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण डाक व्यय में कमी (₹ 3.66 लाख) एवं वाहन क्रय नहीं किए जाने (₹ 22.21 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 101.59 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(67) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 9130-एकीकृत बाल विकास सेवाओं का परिवीक्षण-			
मूल	422.08		
पुनर्वि.	(-)225.28	196.80	192.44 (-)4.36
₹ 225.28 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 181.23 लाख), मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 20.58 लाख), यात्रा दावे प्राप्त नहीं होने (₹ 10.50 लाख), छत्तीसगढ़ संवाद से देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 10.26 लाख) एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 2.28 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.43 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(68) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय-			
मूल	3,532.00		
पुनर्वि.	(-)749.40	2,782.60	2,774.26 (-)8.34
₹ 749.40 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(69) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8958-आंगनवाड़ी का विद्युत व्यय-			
मूल	114.00		
पुनर्वि.	(-)108.06	5.94	19.35 +13.41
₹ 108.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(70) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7365-अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)133.15	16.85	16.85	..
₹ 133.15 लाख की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय महिला आयोग से विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(71) 2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8957-नौनी सुरक्षा योजना— मूल 1,240.00 पुनर्वि. (-)240.00	1,000.00	1,000.00	..
₹ 240.00 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के चिन्हांकन में विलम्ब होने कारण सूचित की गई है।			
(72) 2235-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8662-मुख्यमंत्री तीर्थ योजना	1,700.00	1,020.00	(-)680.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(73) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 414-आदिवासी क्षेत्रों में विशेष आहार योजना— मूल 17,480.00 पुनर्वि. (-)1,652.48	15,827.52	15,968.59	+141.07
₹ 1,652.48 लाख की प्रत्याशित बचत न्यायालयीन प्रकरण के कारण आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं होने, कम दर होने के कारण हितग्राहियों को भुगतान किए जाने के लिए महिला सेवा सहायता समूहों को राशि उपलब्ध नहीं किए जाने एवं डबल फोर्ट फिल्ड साल्ट का प्रदाय बंद किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(74) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 7361-सबला योजना— मूल 3,231.90 पुनर्वि. (-)217.32	3,014.58	2,920.17	(-)94.41
₹ 217.32 लाख की प्रत्याशित बचत न्यायालयीन प्रकरण के कारण आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं होने, कम दर होने के कारण हितग्राहियों को भुगतान किए जाने के लिए महिला सेवा सहायता समूहों को राशि उपलब्ध नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(75) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 1,589.80 पुनर्वि. (-)331.49	1,258.31	1,235.36	(-)22.95
₹ 331.49 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 31.63 लाख), नवजतन योजना के परिणाम वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने (₹ 138.53 लाख), छत्तीसगढ़ संवाद से देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 12.06 लाख) एवं सामग्री प्रदाय नहीं किए जाने (₹ 133.53 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(76) 2401-796-102-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान— मूल 4,180.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,655.46	1,524.54	1,505.01	(-)19.53
₹ 2,655.46 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(77) 2401-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 7258—ऑइल सीडस एवं ऑइलपॉम पर राष्ट्रीय अभियान— मूल 836.00 पुनर्वि. (-)803.76	32.24	40.61	+8.37
₹ 803.76 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त संख्या में बीज उपलब्ध नहीं होने एवं बिना मौसम अत्यधिक वर्षा होने (₹ 699.97 लाख) कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 103.79 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(78) 2401-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6820—कृषक समग्र विकास योजना— मूल 1,938.00 पुनर्वि. (-)231.32	1,706.68	1,707.16	+0.48
₹ 231.32 लाख की प्रत्याशित बचत पर्याप्त संख्या में बीज उपलब्ध नहीं होने एवं बिना मौसम अत्यधिक वर्षा होने कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(79) 2401-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8634—दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना— मूल 133.00 पुनर्वि. (-)129.42	3.58	3.58	..
₹ 129.42 लाख की प्रत्याशित बचत बीज निगम द्वारा प्राप्त देयकों के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(80) 2401-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8808—प्रमाणित बीजों एवं खादों का निशुल्क वितरण— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)71.61	1,928.39	1,919.71	(-)8.68
₹ 71.61 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(81) 2401-796-108-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 12,565.10 पुनर्वि. (-)8,742.39	3,822.71	3,797.14	(-)25.57
₹ 8,742.39 लाख की प्रत्याशित बचत कम राशि प्राप्त होने (₹ 7,710.09 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 1,032.30 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(82) 2401-796-108-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8942-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- (हरित क्रांति)- मूल 5,510.00 पुनर्वि. (-)1,345.99	4,164.01	4,168.91	+4.90
₹ 1,345.99 लाख की प्रत्याशित बचत कम राशि प्राप्त के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(83) 2401-796-108-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8943-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (लघु धान)- मूल 138.30 पुनर्वि. (-)84.24	54.06	54.06	..
₹ 84.24 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के अस्तित्व नहीं रहने के कारण पूर्व बकाया का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(84) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 2794-स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान- मूल 1,140.00 पुनर्वि. (-)874.38	265.62	265.62	..
₹ 874.38 लाख की प्रत्याशित बचत शासन से कम राशि प्राप्त के कारण सूचित की गई है।			
(85) 2401-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 8997-परिवर्तित राष्ट्रीय फसल बीमा योजना- मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)1,900.00
₹ 1,900.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(86) 2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान- मूल 190.00 पुनर्वि. (-)91.25	98.75	74.44	(-)24.31
₹ 91.25 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 191.25 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार राशि की आवश्यकता के कारण सूचित की गई है। कमी भारत सरकार से राशि विलम्ब से जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(87) 2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 8962-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत रोपाई, जोताई एवं बुआई हेतु अनुदान-	मूल 190.00 पुनर्वि. (-)190.00
₹ 190.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि विलम्ब से जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(88) 2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 8963-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना-	मूल 190.00 पुनर्वि. (-)182.00	8.00	8.00
₹ 182.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि विलम्ब से जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(89) 2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 8964-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनों का प्रचार प्रसार-	मूल 190.00 पुनर्वि. (-)190.00
₹ 190.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि विलम्ब से जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(90) 2401-796-113-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 7332-बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना-	मूल 532.00 पुनर्वि. (-)403.98	128.02	128.02
₹ 403.98 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के अस्तित्व में नहीं रहने के कारण पूर्व बकाया का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(91) 2401-796-113-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 8906-कृषि उद्यमियों को ब्याज अनुदान-	मूल 76.00 पुनर्वि. (-)76.00
₹ 76.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कृषि उत्पादन कम्पनियों को दिए जाने वाले ब्याज अनुदान का सरलीकरण किए जाने के कारण कृषि विभाग में कम प्रकरण प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(92) 2401-796-119-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
मूल	3,325.00		
पुनर्वि.	(-1,754.59)	1,570.41	1,570.41 ..
₹ 1,754.59 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(93) 2401-796-119-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8946-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (ऑइलपोम)-			
मूल	209.00		
पुनर्वि.	(-204.39)	4.61	4.61 ..
₹ 204.39 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि आहरित नहीं किए जाने (₹ 69.18 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 135.21 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(94) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2794-स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान-			
मूल	1,140.00		
पुनर्वि.	(-874.38)	265.62	265.62 ..
₹ 874.38 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश अनुसार राशि जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(95) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6831-राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना-			
मूल	4,750.01		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-726.29)	4,023.72	3,758.15 (-)265.57
₹ 726.29 लाख की प्रत्याशित बचत बजट प्रावधान के विरुद्ध स्वीकृति राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2015)।			
(96) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7265-जल व्यवस्था योजना एन.एम.एस.ए.-			
पूरक	808.57		
पुनर्वि.	(-808.57)
₹ 808.57 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(97) 2403-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2549-पशु औषधालय एवं चिकित्सालय-			
मूल	257.20		
पुनर्वि.	(-124.63)	132.57	131.36 (-)1.21

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(98) 2403-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8317-बस्तर जिले में पशुधन विकास— मूल 214.65 पुनर्वि. (-)89.51	125.14	125.03	(-)0.11
उपरोक्त क्रम संख्या (97) एवं (98) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 124.63 लाख एवं ₹ 89.51 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(99) 2403-796-108-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 2,758.70 पुनर्वि. (-)1,419.99	1,338.71	1,338.71	..
₹ 1,419.99 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(100) 2405-796-101-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 970.00 पुनर्वि. (-)458.78	511.22	511.22	..
(101) 2405-796-101-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8947-राष्ट्रीय कृषि विकास (एन.एम.पी.एस.)योजना— मूल 380.00 पुनर्वि. (-)113.49	266.51	266.51	..
उपरोक्त क्रम संख्या (100) एवं (101) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 458.78 लाख एवं ₹ 113.49 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि में कटौती किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (100) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(102) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2962-अवनत वनों का विकास— मूल 5,900.00 पूरक 650.00	6,550.00	6,320.02	(-)229.98
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(103) 2406-01-796-105-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान 200.00	200.00	..	(-)200.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(104) 2406-01-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6792-लघु वनोपज संग्रहण समूह बीमा योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)150.00	150.00	150.00	..
₹ 150.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(105) 2406-02-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6886-वन मार्ग पर पुल एवं रफ्टा का निर्माण	200.00	..	(-)200.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(106) 2406-02-796-110-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6771-अचानकमार अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व का विकास-	मूल 200.00 पुनर्वि. (-)100.00	100.00	96.18
(-)3.82			
(107) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3730-प्रोजेक्ट टाईगर-	मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)449.79	950.21	941.59
(+)8.62			
उपरोक्त क्रम संख्या (106) एवं (107) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 449.79 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त जारी नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। इन शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (107) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(108) 2406-04-796-101-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7261- राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम-	मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)500.00	500.00	500.00
₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(109) 2408-01-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8919-लोक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण विन्यास	96.00	..	(-)96.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(110) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5456-अन्त्योदय अन्न योजना	1,413.00	1,287.43	(-)125.57
(111) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6839-मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना	1,21,600.00	68,400.00	(-)53,200.00
(112) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7436-अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत चना वितरण योजना	25,000.00	7,997.08	(-)17,002.92
(113) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8999-मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना	9,500.00	5,233.02	(-)4,266.98
(114) 2408-01-796-190-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9993-रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	2,880.00	2,523.46	(-)356.54
उपरोक्त क्रम संख्या (110) से (114) के शीर्षान्तर्गत बचत कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(115) 2408-02-796-195-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8641-प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में वृद्धि— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(116) 2425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्त करण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 4,560.00 पुनर्वि. (-)1,596.00	2,964.00	2,964.00	..
₹ 1,596.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(117) 2425-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8930-प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान— पुरक 500.00 पुनर्वि. (-)500.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से लाईसेंस प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(118) 2501-02-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7350-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 2,290.82 पुनर्वि. (-)2,056.82	234.00	..	(-)234.00
₹ 2,056.82 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कम देयक प्राप्त होने (₹ 1,800.00 लाख) एवं राज्यांश के अनुसार राशि विमुक्त किए जाने (₹ 256.82 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(119) 2501-02-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7610-स्वच्छ भारत अभियान— पुरक 2,280.00 पुनर्वि. (-)1,441.53	838.47	837.71	(-)0.76
₹ 1,441.53 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश के अनुसार राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(120) 2501-06-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन— मूल 5,107.20 पुरक 1,596.00 पुनर्वि. (-)2,985.58	3,717.62	1,750.99	(-)1,966.63
₹ 2,985.58 लाख की प्रत्याशित बचत कम देयक प्राप्त होने (₹ 2,700.00 लाख) एवं निधि की मांग नहीं होने (₹ 285.58 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(121) 2505-60-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6728-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मूल 1,04,500.00 पुनर्वि. (-)43,952.92	60,547.08	64,727.08	+4,180.00
₹ 43,952.92 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश के अनुसार राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(122) 2505-60-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7588-मनरेगा अंतर्गत प्रसूति भत्ता- मूल 608.00 पुनर्वि. (-)608.00
₹ 608.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(123) 2702-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5707-शाकाभरी परियोजना- मूल 1,350.00 पुनर्वि. (-)192.77	1,157.23	1,151.71	(-)5.52
₹ 192.77 लाख की प्रत्याशित बचत लघु कृषकों के चयन में विलम्ब होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(124) 2801-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6825-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना- मूल 760.00 पुनर्वि. (-)760.00
₹ 760.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(125) 2810-60-796-600-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5415-ग्रामीण ऊर्जा को अनुदान- मूल 1,870.00 पुनर्वि. (-)702.00	1,168.00	1,168.00	..
₹ 702.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(126) 2851-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6857-उद्योगों को ब्याज अनुदान- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)501.97	498.03	498.03	..
₹ 501.97 लाख के प्रत्याशित बचत जिलों में प्रकरण नहीं होने (₹ 269.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 232.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(127) 2851-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8562-कोंडागाँव में शिल्प सिटी की स्थापना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय वित्तीय वर्ष के अन्त में स्वीकृति प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(128) 2851-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9310-खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाईयों की स्थापना हेतु सहायता- मूल 160.00 पुनर्वि. (-)96.00	64.00	64.00	..
₹ 96.00 लाख की प्रत्याशित बचत कोषालय से बोर्ड के बैंक खाते में राशि का स्थानान्तरण नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(129) 2851-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 164-प्राकृतिक टसर कोसा विकास योजना- मूल 534.75 पुनर्वि. (-)382.37	152.38	152.38	..
₹ 382.37 लाख की प्रत्याशित बचत वर्षा नहीं होने के कारण कोसा उत्पादन प्रभावित होने से जीवित कोसाफल प्राप्त नहीं हुआ एवं नैसर्गिक कोसा का उत्पादन कम होने से प्राकृतिक प्रगुणन कैम्प कम लगाये जाने (₹ 355.36 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 27.01 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(130) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5451-अंशपूजी सहायता योजना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)95.00	5.00	5.00	..
₹ 95.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(131) 3275-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8913-लेपटॉप/टेबलेट का निशुल्क प्रदाय- मूल 900.00 पुनर्वि. (-)479.00	421.00	421.00	..
₹ 479.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-01-796-200-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8645-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना- मूल 1,800.00 पुनर्वि. 1,500.00	3,300.00	3,300.00	..
₹ 1,500.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्डों की संख्या में वृद्धि के कारण सूचित की गई है।			
(2) 2210-03-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	3,678.40	4,426.28	+747.88
(3) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सुविधाएं)	5,755.90	6,721.81	+965.91

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र	2,764.70	3,418.70	+654.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(5) 2216-03-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)- 6549-इंदिरा आवास योजना-			
मूल	16,134.80		
पूरक	2,356.00		
पुनर्वि.	2,142.93	20,633.73	20,695.66
			+61.93
₹ 2,142.93 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 4,500.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,357.07 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि अधिक मात्रा में देयक प्राप्त होने तथा कमी राज्यांश के अनुसार केन्द्रांश राशि प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(6) 2401-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 8972-धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना-			
मूल	91,200.00		
पुनर्वि.	391.56	91,591.56	91,591.56
			..
₹ 391.56 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 395.22 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3.66 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि धान कृषकों को बोनस वितरण किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(7) 2401-796-108-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)- 7266-एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेव्हपमेंट स्कीम-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	192.24	192.24	193.35
			+1.11
₹ 192.24 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 628.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 435.76 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि एन.एम.एस.ए. में अपर्याप्त बजट आबंटन के कारण सूचित की गई है। कमी भारत सरकार से राशि वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(8) 2401-796-119-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोगना)- 8945-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (साग-सब्जी)-			
मूल	266.00		
पुनर्वि.	135.21	401.21	401.21
			..
₹ 135.21 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन जिलों द्वारा निधि की मांग किए जाने के कारण सूचित किया गया है।			
(9) 2406-01-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोगना- 6886-वन मार्गों पर रफ्टा एवं पुलिया निर्माण	1,765.00	1,968.14	+203.14
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2501-06-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8775-प्रशासन योजना जिला स्तर-			
मूल	0.04		
पूरक	218.93		
पुनर्वि.	285.58	504.55	506.36
			+1.81

₹ 285.58 लाख के पुनिर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अपर्याप्त बजट आबंटन के कारण सूचित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(11) 2515-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	1,786.00		
पुनर्वि.	(-)288.91	1,497.09	1,903.31
			+406.22

₹ 288.91 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(12) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9068-औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	268.09	868.09	868.09
			..

₹ 268.09 लाख के पुनिर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 269.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.91 लाख की कमी के कारण सूचित की गई है। वृद्धि निधि की मांग होने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

प्रभारित-

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(vi) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 16,100.01 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 7,320.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 23,420.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) ₹ 80,873.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 68,719.84 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-796-202-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण-			
पूरक	3,500.00		
पुनर्वि.	(-)3,500.00

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4202-01-796-202-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-	मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 3,500.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(3) 4202-01-796-202-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7367-मॉडल स्कूल योजना-	मूल 3,616.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)3,616.00	500.00	(-)500.00
₹ 3,616.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(4) 4202-01-796-202-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना-	मूल 1,200.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,200.00
₹ 1,200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(5) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9840-शैक्षणिक संस्थाओं के भवनों का निर्माण-	मूल 500.00 पुनर्वि. (-)452.77	47.23	..
₹ 452.77 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार से नवीन परियोजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7252-विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु ऋण का पुनर्भुगतान-	मूल 800.00 पुनर्वि. (-)800.00
(7) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7289-सरगुजा विश्वविद्यालय-	मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
(8) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7445-सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज-	मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 800.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई हैं।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4202-02-796-103-1002—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8935—लाईवलीहुड कॉलेज— मूल 3,100.00 पुनर्वि. (-)546.91	2,553.09	2,553.09	..
(10) 4202-02-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 700.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)697.40	2.60	2.60	..
(11) 4202-02-796-103-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7438—स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन— मूल 700.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)518.31	181.69	181.69	..
उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 546.91 लाख, ₹ 697.40 लाख एवं ₹ 518.31 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 4202-02-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 534.00 पुनर्वि. (-)104.21	429.79	372.36	(-)57.43
₹ 104.21 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4202-02-796-104-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 740.00 पूरक 400.00 पुनर्वि. (-)464.09	675.91	500.91	(-)175.00
₹ 464.09 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने (₹ 64.09 लाख) एवं भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने (₹ 400.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(14) 4202-02-796-104-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)324.09	25.91	25.94	+0.03
₹ 324.09 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4210-01-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8940—चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, सरगुजा	100.00	..	(-)100.00

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 4210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8950-चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध चिकित्सालय, जगदलपुर	100.00	..	(-)100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(17) 4210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 1473-जिला चिकित्सालय	620.00	518.04	(-)101.96
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(18) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8941-चिकित्सा महाविद्यालय, सरगुजा	100.00	..	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(19) 4215-01-796-102-0312-नाबार्ड सहायित परियोजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5403-ग्रामीण पाईप जल प्रदाय योजना— मूल 1,500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,500.00
₹ 1,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(20) 4215-02-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5699-शालाओं की शौचालय व्यवस्था	187.50	..	(-)187.50
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 4225-02-796-102-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार {अनुच्छेद 275(1)}— मूल 11,243.50 पुनर्वि. (-)4,028.43	7,215.07	7,251.59	+36.52
₹ 4,028.43 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(22) 4225-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 3728-आदिवासी संस्कृति का उत्थान, शोध, प्रशिक्षण एवं विकास	872.00	..	(-)872.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(23) 4225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित— 5211-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 3,489.50 पुनर्वि. (-)2,614.09	875.41	751.66	(-)123.75

अनुदान संख्या 41-जारी

₹ 2,614.09 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 4225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 5212-माडा क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम-			
मूल	322.00		
पुनर्वि	(-)174.46	147.54	149.20
			+1.66

₹ 174.46 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(25) 4225-02-796-102-0602-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित- 9819-विशेष पिछड़ा वर्ग आदिवासी समूह ऐजेन्सीज-			
मूल	715.00		
पुनर्वि	(-)527.01	187.99	182.90
			(-)5.09

₹ 527.01 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(26) 4225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना 5601-बस्तर विकास प्राधिकरण-			
मूल	3,200.00		
पुनर्वि	(-)251.14	2,948.86	2,997.66
			+48.80

₹ 251.14 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(27) 4235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 337-आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण-			
मूल	3,551.00		
पुनर्वि	(-)1,862.98	1,688.02	1,697.02
			+9.00

₹ 1,862.98 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(28) 4406-02-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4342-भवन और सड़कों का निर्माण-			
मूल	150.00		
पुनर्वि	(-)0.06	149.94	..
			(-)149.94

₹ 0.06 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(29) 4700-03-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य-			
मूल	1,002.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि	(-)144.67	857.33	857.34
			+0.01

₹ 144.67 लाख की प्रत्याशित बचत पौधारोपण क्षतिपूर्ति प्रकरणों के निराकरण नहीं होने (₹ 1.00 लाख), पारित निर्णय के अनुसार भूमि मुआवजा दिए जाने (₹ 9.37 लाख) एवं निविदा कार्य की धीमी गति (₹ 134.30 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 4700-03-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5685-बांध सुरक्षा और सुदृढीकरण-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)610.00	390.00	390.00
			..
₹ 610.00 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्य की धीमी गति के कारण सूचित की गई है।			
(31) 4701-08-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)200.02	299.98	299.96
			(-)0.02
₹ 200.02 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्य की धीमी गति के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(32) 4701-16-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
			..
(33) 4701-17-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
			..
(34) 4701-22-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
			..
(35) 4701-23-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
			..
उपरोक्त क्रम संख्या (32) से (35) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख, ₹ 100.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 4701-24-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	110.00		
पुनर्वि.	(-)107.52	2.48	2.48
			..
₹ 107.52 लाख की प्रत्याशित बचत भूमि अधिग्रहण मुआवजा पारित निर्णय के अनुसार दिए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(37) 4702-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7405-मरम्मत/नवीनीकरण/ पुनरोद्धार-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,715.65	284.35	200.07
			(-)84.28
₹ 4,715.65 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आयोजना व्यय में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(38) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3828-लघु सिंचाई योजना-			
मूल	20,100.00		
पुनर्वि.	(-)4,488.21	15,611.79	15,836.69
			+224.90
₹ 4,488.21 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आयोजना व्यय में कमी किए जाने (₹ 4,487.21 लाख) एवं वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति प्रकरणों का निराकरण नहीं किए जाने (₹ 1.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(39) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4416- सर्वेक्षण-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)381.13	218.87	221.02
			+2.15
₹ 381.13 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आयोजना व्यय में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(40) 4702-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7422-औद्योगिक जल आधारभूत विकास-			
मूल	6,000.00		
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)4,810.11	1,189.89	1,691.89
			+502.00
₹ 4,810.11 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आयोजना व्यय में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(41) 4801-80-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8678-शासकीय विद्यालय/चिकित्सालयों/आंगनवाड़ियों का विद्युतीकरण-			
मूल	1,140.00		
पुनर्वि.	(-)440.00	700.00	700.00
			..
₹ 440.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा कम राशि जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(42) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4871-सड़क पर पुलों का निर्माण- "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना"-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,044.00	956.00	956.00
			..
₹ 1,044.00 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश का आहरण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(43) 5054-04-796-337-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	19,000.00		
पुनर्वि.	(-)8,711.50	10,288.50	9,021.00
			(-)1,267.50
₹ 8,711.50 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(44) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-			
मूल	15,000.00		
पूरक	3,820.00		
पुनर्वि.	(-)4,557.65	14,262.35	11,106.78
			(-)3,155.57
₹ 4,557.65 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 3,800.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 8,357.65 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं कमी निविदा प्रक्रिया स्थगित किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(45) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना-			
मूल	13,300.00		
पूरक	3,800.00		
पुनर्वि.	(-)3,821.48	13,278.52	9,868.57
			(-)3,409.95
₹ 3,821.48 लाख की प्रत्याशित बचत कम मांग प्राप्त होने (₹ 3,800.00 लाख) एवं रेत खनन में रोक लगाये जाने (₹ 21.48 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(46) 6215-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2182-नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं	875.00	278.99	(-)596.01
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(47) 6401-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7283-छ.ग. राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण-			
मूल	1,140.00		
पुनर्वि.	(-)1,140.00
₹ 1,140.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(48) 6408-02-796-190-0312-नाबार्ड प्रवर्तित योजनायें (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	1,900.00	..	(-)1,900.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 41—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(49) 6408-02-796-190-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	1,120.00	641.05	(-)-478.95

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(50) 6801-796-190-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/ वितरण कम्पनी-			
पूरक	9,500.00		
पुनर्वि.	(-)-9,500.00		

₹ 9,500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा कम राशि जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन का निर्माण-			
मूल	2,500.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	370.11	2,870.11	2,870.10
			(-)-0.01

₹ 370.11 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 452.77 लाख की वृद्धि एवं ₹ 82.66 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं एस. ओ. आर. एवं निविदा दरों में वृद्धि होने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 4210-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	254.00	451.05	+197.05
(3) 4210-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	40.00	138.86	+98.86

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(4) 4406-01-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4342-भवन एवं सड़कों का निर्माण-			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-)-1.64	1,098.36	1,247.54
			+149.18

₹ 1.64 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत :			
दत्तमत	41,89,400	33,73,514	(-)8,15,886
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
प्रभारित	6,000	..	(-)6,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 8,158.46 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए भी वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन त्रुटिपूर्ण बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4149-वृहद् पुलों का निर्माण- मूल 12,800.00 पुनर्वि. (-)2,900.00	9,900.00	7,577.69	(-)2,322.31
(2) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2457-न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम- मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)100.00	7,900.00	2,838.03	(-)5,061.97
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,900.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2003-04 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2008-2009 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3539-मुख्य जिला सड़कें	13,512.00	12,297.87	(-)1,214.13
(4) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित- जनजाति उपयोजना 4416-सर्वेक्षण	150.00	37.37	(-)112.63

उपरोक्त क्रम संख्या (3) तथा (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 42—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अशंतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5418-चातुर्दिक दिशाओं को जोड़ने हेतु कारीडोर का निर्माण	120.00	324.28	+204.28
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 5054-03-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3710-राज्यों के राजमार्ग- मूल 5,500.00 पुनर्वि. 3,000.00	8,500.00	8,608.86	+108.86
₹. 3,000.00 लाख के पनर्निर्णयोजन द्वारा निधियों का आवर्धन दायित्वों के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(3) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड पोषित योजनायें- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	1,000.00	1,244.59	+244.59
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

प्रभारित-

(iv) ₹ 60.00 लाख के उपलब्ध विनियोग के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-04-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	60.00	..	(-)60.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	5,82,058	1,49,792	(-)4,32,266
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			4,46,866
<i>प्रभारित</i>	<i>25</i>	<i>..</i>	<i>(-)25</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)</i>			<i>25</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	37,500	12,325	(-)25,175
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			25,175
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 4,322.66 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 4,468.66 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2204—103—2323—निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	764.55		
पुनर्वि.	(-)446.98	317.57	320.81
			+3.24
₹ 446.98 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 0.25 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 446.73 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008—09 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5430—युवा आयोग को अनुदान—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00
₹ 150.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के पदाधिकारियों के गठन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है (जुलाई 2015)।			
(3) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8923—मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00
₹ 1,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से यात्रा प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 43—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2204-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7304-पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान- मूल 1,821.03 पुनर्वि. (-)1,815.03	6.00	6.00	..
₹ 1,815.03 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के द्वारा योजना बंद किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण- मूल 175.00 पुनर्वि. (-)133.34	41.66	40.95	(-)0.71
₹ 133.34 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1190-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता- मूल 440.00 पुनर्वि. (-)244.03	195.97	334.73	+138.76
₹ 244.03 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(7) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन- मूल 375.00 पुनर्वि. (-)59.35	315.65	310.93	(-)4.72
₹ 59.35 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(8) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7250-खेल विश्वविद्यालय- मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00
₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत खेल विश्वविद्यालय प्रारंभ नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(9) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7296-खेल अकादमी- पूरक 400.00 पुनर्वि. (-)394.63	5.37	5.02	(-)0.35
₹ 394.63 लाख की प्रत्याशित बचत के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 138.00 लाख) एवं खेल अकादमी प्रारंभ नहीं होने (₹ 108.63 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 148.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(10) 2204-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7473-37 ^{वें} राष्ट्रीय खेल- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पर्याप्त संख्या में निविदाएं प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 43—समाप्त

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.25 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को राशि अभ्यर्पित की गई। 2010-12 से 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-03-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 8921—शहरी खेल अधोसंरचना योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5226—मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि— मूल 175.00 पुनर्वि. (-)51.75	123.25	123.25	..
₹ 51.75 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष —			
2202—सामान्य शिक्षा			
4402—सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	51,46,030		
पूरक	5,37,000	56,83,030	38,13,294
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)18,69,736 18,66,993
प्रभारित	70	..	(-)70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			70
पूंजीगत :			
दत्तमत	71,000	59,834	(-)11,166
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			12,915
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 40.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 1,126.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 4,204.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 5,370.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 18,697.36 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 18,669.93 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2202-03-001-3443—महाविद्यालयीन शिक्षा			
संचालनालय—			
मूल	468.20		
पुनर्वि.	(-)111.04	357.16	354.52
			(-)2.64
₹ 111.04 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 7.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 104.04 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2202-03-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना समान्य—			
3753—राष्ट्रीय सेवा योजना—			
मूल	644.60		
पुनर्वि.	(-)191.52	453.08	453.08
			..

₹ 191.52 लाख की प्रत्याशित बचत निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 1.90 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 189.62 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-03-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान—			
मूल	4,000.00		
पूरक	4,204.00		
पुनर्वि.	(-)-7,787.90	416.10	416.10

₹ 7,787.90 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 72.73 लाख) एवं निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 15.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 7,700.17 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2202-03-103-798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय—			
मूल	29,376.50		
पुनर्वि.	(-)-8,970.74	20,405.76	19,973.97
			(-)-431.79

₹ 8,970.74 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 3,723.86 लाख) एवं निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 4.55 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 5,242.33 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय—			
मूल	7,302.50		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)-1,342.34	5,960.16	5,978.97
			+18.81

₹ 1,342.34 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 384.65 लाख) एवं निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 56.50 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 901.19 लाख की बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लेखित बचत मुख्यतः निम्न के प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-03-104-3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान—			
मूल	3,600.00		
पुनर्वि.	(-)-0.13	3,599.87	3,989.87
			+390.00

₹ 0.13 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 2202-03-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	45.00	145.00	145.00
			..

₹ 45.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की कमी एवं ₹ 70.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधि में कमी शासन द्वारा शेष राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 44—समाप्त

प्रभारित—

(v) ₹ 0.70 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 111.66 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 129.15 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7252-विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु ऋण का पुनर्भुगतान—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

(2) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7484-बिलासपुर विश्वविद्यालय—

मूल 50.00

पुनर्वि. (-)29.15

20.85

20.85

..

₹ 29.15 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लेखित बचत मुख्यतः निम्न के प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5639-स्व. कुशाभाऊ ठाकूर पत्रकारिता एवं जनसूचना विश्वविद्यालय की स्थापना	50.00	60.28	+10.28
(2) 4202-01-205-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5716-हिन्दी ग्रंथ अकादमी	50.00	57.20	+7.20
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2702—लघु सिंचाई			
4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	5,77,240		
पूरक	36,650	6,13,890	5,39,799
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)74,091 58,939
पूंजीगत	54,11,550	44,57,620	(-)9,53,930
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			8,89,935

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, 31 मार्च 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 366.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 740.91 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को किया गया केवल ₹ 589.39 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2702-03-101-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	2,500.50		
पुनर्वि.	(-)176.79	2,323.71	2,168.96
			(-)154.75
₹ 176.79 लाख की प्रत्याशित बचत जल उपभोक्ता संस्था द्वारा व्यय नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 2702-03-103-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	515.50		
पूरक	366.50		
पुनर्वि.	(-)133.29	748.71	757.77
			(-)9.05
₹ 133.29 लाख की प्रत्याशित बचत जल उपभोक्ता संस्था द्वारा व्यय नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(3) 2702-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5707-शाकाम्भरी योजना—			
मूल	1,700.00		
पुनर्वि.	(-)142.89	1,557.11	1,549.88
			(-)7.23
₹ 142.89 लाख की प्रत्याशित बचत लघु सीमांत कृषकों की चयन प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2702-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5709—किसान समृद्धि योजना को अनुदान—			
मूल	625.00		
पुनर्वि.	(-)102.59	522.41	517.17
			(-)5.24

₹ 102.59 लाख की प्रत्याशित बचत कृषकों द्वारा देयक विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) ₹ 9,539.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध में 31 मार्च 2015 को किया गया केवल ₹ 8,899.35 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4702-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7405—मरम्मत/पुनर्नवीनीकरण/पुनरोद्धार—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)155.99	844.01	843.02
			(-)0.99

₹ 155.99 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली से योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4702-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3803—माईनर एवं माइक्रो माईनर सिंचाई योजना—			
मूल	11,550.00		
पुनर्वि.	(-)4,492.45	7,057.55	7,030.75
			(-)26.80

₹ 4,492.45 लाख की प्रत्याशित बचत के क्षतिपूर्ति हेतु प्रकरण प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(3) 4702-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4416—सर्वेक्षण—			
मूल	140.00		
पुनर्वि.	(-)104.28	35.72	90.07
			+54.35

₹ 104.28 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(4) 4702-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5678—छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना—			
मूल	675.50		
पुनर्वि.	(-)650.20	25.30	25.29
			(-)0.01

₹ 650.20 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं योजनायें बंद किए जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 45—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4702-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9284-नलकूप की स्थापना- मूल 810.00 पुनर्वि. (-)770.01	39.99	45.51	+5.52

₹ 770.01 लाख की प्रत्याशित बचत योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(6) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5059-एनीकट/स्टॉपडेम का निर्माण- मूल 19,500.00 पुनर्वि. (-)1,029.10	18,470.90	18,295.34	(-)175.56
---	-----------	-----------	-----------

₹ 1,029.10 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(7) 4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण- मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)1,688.49	18,311.51	18,809.54	(-)501.97
--	-----------	-----------	-----------

₹ 1,688.49 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(vi) उचंत लेन देन:-

उचंत के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (vi) में दर्शाई गए हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2014 को नामें + जमा(-)	वर्ष के दौरान नामें+	वर्ष के दौरान जमा(-)	31 मार्च 2015 को अंतिम शेष नामें + जमा(-)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)47.83	(-)47.83
(ii) भण्डार	+186.40	+186.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+42.24	+42.24
(iv) कार्य शाला उचन्त	+0.04	+0.04
योग	+180.85	+180.85

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
5425—अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व			
मूल	1,28,000		
पूरक	3,300	1,31,300	1,03,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)28,300 28,300
पूंजीगत:			
मूल	49,000		
पूरक	10,000	59,000	59,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, 31 मार्च 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 33.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनवाश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3425-60-200-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5632—साइन्स सिटी की स्थापना— मूल	355.00		
पुनर्वि.	(-)183.00	172.00	172.00
₹ 183.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 3425-60-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5433—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान— मूल	650.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	550.00	550.00

₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2230—श्रम तथा रोजगार			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	21,99,400		
पूरक	6,60,641	28,60,041	17,76,588
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)10,83,453 7,15,715
प्रभारित	20	..	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			10
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	6,86,000		
पूरक	सांकेतिक	6,86,000	3,21,333
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)3,64,667 1,96,165
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 978.40 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 5,618.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 10.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 6,606.41 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 10,834.53 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 7,157.15 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2203-001-1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय—			
मूल	365.30		
पूरक	10.00	375.30	315.77
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)59.53
(2) 2203-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)50.00	450.00	..
₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			(-)450.00

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2203-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5637-विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना- मूल 390.00 पुनर्वि. (-)80.00	310.00	120.00	(-)190.00
₹ 80.00 लाख की प्रत्याशित बचत सी.एस.व्ही.टी.यू. भिलाई से मांग प्राप्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(4) 2203-105-2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं- मूल 4,254.00 पूरक 18.00	4,272.00	3,147.99	(-)1,124.01
(5) 2203-105-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	200.00	60.20	(-)139.80
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2203-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	225.00	..	(-)225.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2203-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं- मूल 1,653.20 पुनर्वि. (-)888.55	764.65	699.85	(-)64.80
₹ 888.55 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 738.55 लाख) एवं मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 63.35 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 86.65 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2203-112-502-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	1,618.70	1,203.06	(-)415.64
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2203-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7477-तकनीकी संस्थाओं में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	400.00	..	(-)400.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 502-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	1,073.20	572.81	(-)500.39
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2203-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8643-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना-	100.00	..	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2230-02-001-3795—रोजगार संचालनालय— मूल 207.80 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)93.92	113.88	114.13	+0.25
(13) 2230-02-101-9147—रोजगार कार्यालय— मूल 901.80 पूरक 20.00 पुनर्वि. (-)254.43	667.37	678.42	+11.05
(14) 2230-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8272—गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता— मूल 983.00 पूरक 700.00 पुनर्वि. (-)284.02	1,398.98	1,400.59	+1.61
उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 93.92 लाख, ₹ 254.43 लाख एवं ₹ 284.02 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत, 2009-10 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत तथा 2007-08 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(15) 2230-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9147—रोजगार कार्यालय— मूल 195.00 पूरक 35.00 पुनर्वि. (-)142.38	87.62	79.01	(-)8.61
₹ 142.38 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2230-03-001-9148—प्रशिक्षण संचालनालय— मूल 265.60 पुनर्वि. (-)122.29	143.31	143.38	+0.07
(17) 2230-03-003-717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 5,395.20 पुनर्वि. (-)1,264.61	4,130.59	4,132.04	+1.45
(18) 2230-03-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7438—स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन— पूरक 4,900.00 पुनर्वि. (-)2,573.70	2,326.30	2,623.00	+296.70
उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 122.29 लाख, ₹ 1,264.61 लाख एवं ₹ 2,573.70 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010-11 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(19) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 731.00 पूरक 69.90 पुनर्वि. (-)283.09	517.81	512.00	(-)5.81

अनुदान संख्या 47—जारी

₹ 283.09 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7438—स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन— पूरक 849.00	849.00	..	(-)849.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

(21) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 1,574.20 पुनर्वि. (-)753.53	820.67	826.05	+5.38
--	--------	--------	-------

₹ 753.53 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7438—स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन— पूरक 400.00 पुनर्वि. (-)320.64	79.36	631.66	+552.30

₹ 320.64 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 0.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 3,646.67 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 1,961.65 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-02-103-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8935—लाईवलीहुड कॉलेज— मूल 2,800.00 पुनर्वि. (-)470.78	2,329.22	2,329.22	..

₹ 470.78 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 4202-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 1,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)965.77	34.23	52.73	+18.50
--	-------	-------	--------

अनुदान संख्या 47—समाप्त

₹ 965.77 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-02-103-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 8935- लाईवलीहुड कॉलेज-			
मूल	240.00		
पुनर्वि.	(-)60.00	180.00	180.00
			..

₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(4) 4202-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)465.11	234.89	242.82
			+7.93

₹ 465.11 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4202-02-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	1,510.00	350.58	(-)1,159.42
(6) 4202-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	500.00	42.94	(-)457.06
(7) 4202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 502-इंजीनियरिंग कॉलेज	100.00	15.04	(-)84.96

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (6) तथा (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2055—पुलिस			
2202—सामान्य शिक्षा			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
3054—सड़क तथा सेतु			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

मूल	49,32,662			
पूरक	1,16,782	50,49,444	42,42,633	(-)8,06,811
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				5,58,554

पूंजीगत :

मूल	32,67,740			
पूरक	3,27,572	35,95,312	32,96,418	(-)2,98,894
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				63,644

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 938.81 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 229.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,167.82 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 8,068.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, केवल ₹ 5,585.54 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन तथा उपलब्ध विनियोग से हुए व्यय पर निगरानी नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-102-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	3,069.38		
पुनर्वि.	(-)2,582.05	487.33	487.33

अनुदान संख्या 48—जारी

₹ 2,582.05 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 314.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,896.05 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान किए जाने एवं कमी कम व्यय होने के कारण सूचित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2014-105-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,416.20 पुनर्वि. (-)1,112.46	303.74	304.15	+0.41
₹ 1,112.46 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है (₹ 798.46 लाख)। शेष ₹ 314.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2054-097-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 185.00 पुनर्वि. (-)165.78	19.22	19.22	..
₹ 165.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(4) 2055-101-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 65.40 पुनर्वि. (-)21.32	44.08	8.06	(-)36.02
₹ 21.32 लाख की प्रत्याशित बचत उच्च स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन नहीं किए जाने एवं प्रशिक्षण समय पर नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2203-800-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना) 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 108.00 पुनर्वि. (-)108.00
(6) 2203-800-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 342.00 पुनर्वि. (-)342.00
(7) 2203-800-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)450.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 108.00 लाख, ₹ 342.00 लाख एवं ₹ 450.00 लाख की प्रत्याशित बचत तकनीकी शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी विभाग से नवाचार निधि में स्थानान्तरण किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(—)
(8) 2205—103—1303—वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 232.00 पुनर्वि. (—)225.23	6.77	6.77	..
(9) 2205—103—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 231.00 पुनर्वि. (—)221.77	9.23	9.23	..
(10) 2205—103—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 262.00 पुनर्वि. (—)211.16	50.84	49.39	(—)1.45
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 225.23 लाख, ₹ 221.77 लाख एवं ₹ 211.16 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011—12 एवं 2013—14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012—13 एवं 2013—14 के दौरान क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(11) 2406—01—101—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य) (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 3,639.00 पूरक 370.38 पुनर्वि. (—)539.54	3,469.84	3,829.57	+359.73
₹ 539.54 लाख की प्रत्याशित बचत बॉटनिकल गार्डन एवं वन अनुसंधान संस्था के कार्य का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012—13 एवं 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2406—02—110—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 550.00 पुनर्वि. (—)1.00	549.00	193.36	(—)355.64
(13) 2406—02—110—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 850.00 पुनर्वि. (—)27.48	822.52	403.52	(—)419.00

उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1.00 लाख एवं ₹ 27.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 3454-02-111-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	216.40	..	(-)216.40
(15) 3454-02-111-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	691.60	..	(-)691.60
(16) 3454-02-111-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	910.00	..	(-)910.00

उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (16) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(17) 3054-02-205-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 769.64 पूरक सांकेतिक	769.64	630.10	(-)139.54
(18) 3054-02-800-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—	229.00	21.70	(-)207.30

उपरोक्त क्रम संख्या (17) से (18) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-101-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 2,861.64 पूरक 408.89 पुनर्वि. (-)216.52	3,054.01	3,326.12	+272.11

₹ 216.52 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के दौरान बॉटनिकल गार्डन एवं वन अनुसंधान संस्था के द्वारा कार्य का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2515-196-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 28.05	28.05	28.05	..
---	-------	-------	----

अनुदान संख्या 48—जारी

₹ 28.05 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 108.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 79.95 लाख की कमी के परिणाम स्वरूप हुआ। कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं वृद्धि तकनीकी शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी विभाग से तेरहवां वित्त आयोग के अंतर्गत नवाचार निधि में स्थानान्तरण किए जाने के कारण सूचित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2515—196—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 341.97	341.97	196.81	(-)145.16

₹ 341.97 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 342.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,690.77 लाख की कमी के परिणाम स्वरूप हुआ। प्रावधान में वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(4) 2515—196—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 271.61	271.61	271.61	..
---	--------	--------	----

₹ 271.61 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 450.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 178.39 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं वृद्धि तकनीकी शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी विभाग से तेरहवां वित्त आयोग के अंतर्गत नवाचार निधि में स्थानान्तरण किए जाने के कारण सूचित की गई है।

पूँजीगत:

(v) ₹ 2,948.44 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2014 (₹ 158.76 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था, जबकि दिसम्बर 2014 (₹ 3,116.96 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,275.72 लाख का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 2,988.94 लाख की उपलब्ध बचत के विस्द्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 636.44 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059—01—051—1302—वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,960.02 पूरक 652.44	2,612.46	2,543.25	(-)69.21

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011—12 एवं 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059—01—051—1301—वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 3,089.98 पूरक 2,258.48 पुनर्वि. (-)0.07	5,348.39	4,019.76	(-)1,328.63
---	----------	----------	-------------

अनुदान संख्या 48—जारी

₹ 0.07 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 0.32 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.39 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। प्रावधान में ₹ 0.32 लाख की वृद्धि के पर्याप्त कारणों एवं शेष ₹ 0.07 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-04-106-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	मूल 200.00 पुनर्वि. (-)120.41	79.59	62.10 (-)17.49
(4) 4202-04-106-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	मूल 200.00 पुनर्वि. (-)127.59	72.41	51.18 (-)21.23
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 120.41 लाख एवं ₹ 127.59 लाख की प्रत्याशित बचत आबंटन प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4210-01-103-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	250.00	..	(-)250.00
(6) 4210-01-110-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	41.82	..	(-)41.82
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4210-02-101-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	184.00	46.00	(-)138.00
(8) 4210-02-101-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	345.00	276.00	(-)69.00
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4210-02-103-1303-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	50.00	..	(-)50.00

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 4210-02-103-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	50.00	..	(-)50.00
(11) 4210-02-103-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य) 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	100.00	..	(-)100.00
(12) 4210-02-104-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	160.00	..	(-)160.00
उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (12) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4216-01-106-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	मूल 259.02 पुनर्वि. (-)259.02
₹ 259.02 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(14) 4216-01-106-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	4,210.00	263.00	(-)3,947.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4235-02-102-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	मूल 1,425.00 पुनर्वि. (-)27.30	1,397.70	1,365.30
(16) 4235-02-102-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	मूल 1,875.00 पुनर्वि. (-)67.80	1,807.20	1,839.60
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 27.30 लाख एवं ₹ 67.80 लाख के प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा भुगतान हेतु निधियों का आहरण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 48—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 4406-02-110-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	100.00	28.82	(-)71.18

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4216-01-106-1302-वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	2,040.00	5,987.00	+3,947.00

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 4406-01-101-1301-वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-			
मूल	600.00		
पूरक	79.38		
पुनर्वि.	(-)0.01	679.37	745.04
			(-)65.67

₹ 0.01 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
राजस्व	9,65,240	8,59,292	(-)1,05,948
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			2,14,005

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 1,059.48 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 2,140.05 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-101-495—आश्रम और शालाएं —			
मूल	414.50		
पुनर्वि.	(-)34.16	380.34	368.98
			(-)11.36
₹ 34.16 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 44.95 लाख की वृद्धि एवं ₹ 79.11 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि एवं कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 2202-02-109-1395—छात्रावास—			
मूल	2,224.90		
पुनर्वि.	(-)447.46	1,777.44	1,753.26
			(-)24.18
₹ 447.46 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(3) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3673—राज्य छात्रवृत्तियाँ—			
मूल	4,200.00		
पुनर्वि.	(-)1,631.62	2,568.38	3,740.75
			+1,172.37
(4) 2202-02-110-307—अशासकीय संस्थाओं को अंशदान—			
मूल	265.00		
पुनर्वि.	(-)17.44	247.56	192.44
			(-)55.12

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,631.62 लाख एवं ₹ 17.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य एवं बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2053-जिला प्रशासन			
राजस्व	23,008	22,704	(-)304
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) ₹ 3.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2053-093-2987-बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन	230.08	227.04	(-)3.04

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2075—विविध सामान्य सेवायें			
2250—अन्य सामाजिक सेवायें			
राजस्व :			
मूल	88,780		
पूरक	6,500	95,280	72,890
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)22,390 20,279

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 15.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया कुल ₹ 65.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 223.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 202.79 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2250-103-3379-मंदिर आदि को परिपोषण अनुदान—			
मूल	38.50		
पुनर्वि.	(-)18.50	20.00	20.00
₹ 18.50 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 2250-103-4388-समाधियों, मंदिरों के रख-रखाव और अन्य भत्ते—			
मूल	25.00		
पुनर्वि.	(-)25.00
(3) 2250-800-2003-धर्मार्थ—			
मूल	102.00		
पुनर्वि.	(-)102.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 25.00 लाख एवं ₹ 102.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(4) 2250-800-259-अन्य संस्थाओं को अनुदान —			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)29.73	70.27	65.27
₹ 29.73 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(5) 2250-800-6292-शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)21.24	78.76	78.76
₹ 21.24 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इसे शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

**अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता**

		(सभी दत्तमत)		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—				
2217—शहरी विकास				
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण				
2853—अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग				
4217—शहरी विकास पर पूंजी				
राजस्व :				
मूल	2,13,037			
पूरक	22,089	2,35,126	1,77,082	(-)58,044
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				
				56,621
पूंजीगत:				
मूल	3,00,000			
पूरक	1,20,000	4,20,000	4,20,000	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
				..
टीका एवं टिप्पणियां				
राजस्व :				

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, दिसम्बर 2014 को प्राप्त किया गया ₹ 220.89 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 580.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 566.21 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रवृत्ति अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-789-192-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8543- भागीरथी नल-जल योजना— मूल	406.26		
पुनर्वि	(-)284.38	121.88	121.88
(2) 2217-60-789-193-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8543- भागीरथी नल-जल योजना— मूल	402.61		
पुनर्वि	(-)281.83	120.78	120.78

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 284.38 लाख एवं ₹ 281.83 लाख की प्रत्याशित बचत परियोजना के संचालन हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 53—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-789-192-1003-अतिरिक्त केन्द्र सहायता- (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)			
5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	243.00	268.79	+25.79
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
राजस्व	9,60,000	8,25,000	(-)1,35,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,35,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2415—01—120—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8902—मैनपाट में आलू अनुसंधान केन्द्र— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 2415—01—120—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9182—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,250.00	750.00	750.00	..
--	--------	--------	----

₹ 1,250.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005—06 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2236—पोषण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	77,23,582		
पूरक	4,58,700	81,82,282	58,90,293
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)22,91,989 23,14,076
प्रभारित	10	..	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			10
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	5,16,200		
पूरक	सांकेतिक	5,16,200	2,63,370
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)2,52,830 2,51,233
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 15,87.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 3,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 4,587.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 22,919.89 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 23,140.76 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्नान्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचनालय—			
मूल	571.50		
पुनर्वि.	(-)56.50	515.00	512.67
			(-)2.33
₹ 56.50 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
5354-एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता योजनान्तर्गत)—			
मूल	569.78		
पुनर्वि.	(-)454.72	115.06	..
			(-)115.06
₹ 454.72 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के क्रियान्वयन के लिए कम समय से होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-9 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2235-02-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7423—इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,140.14	859.86	859.86	..
₹ 2,140.14 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की सीमा तक निधि का आहरण किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2235-02-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7507—राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन प्राधिकरण अंतर्गत राज्य महिला केन्द्र की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(5) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता योजनान्तर्गत)— मूल 618.81 पुनर्वि. (-)532.15	86.66	117.94	+31.28
₹ 532.15 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(6) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7362—मल्टी सेक्टरल न्यूट्रीशन प्रोग्राम— मूल 1,586.11 पुनर्वि. (-)1,586.11
₹ 1,586.11 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(7) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7361—सबला योजना— मूल 314.20 पुनर्वि. (-)201.29	112.91	98.22	(-)14.69
₹ 201.29 लाख की प्रत्याशित बचत तकनीकी कारणों से निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है (₹ 45.04 लाख)। शेष ₹ 156.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 29,374.67 पूरक 1,585.00 पुनर्वि. (-)10,606.48	20,353.19	20,383.77	+30.58
₹ 10,606.48 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के अंत में रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 3,575.94 लाख), वर्ष के अंत में मानदेय हेतु स्वीकृति प्राप्त होने (₹ 4,448.56 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 234.93 लाख) स्थानांतरण, प्रशिक्षण एवं एल.टी.सी. हेतु देयकों के प्राप्त नहीं होने (₹ 73.43 लाख), भवनों के किराये में कमी होने (₹ 789.44 लाख), भारत सरकार द्वारा राशि का विमुक्त नहीं किए जाने (₹ 361.20 लाख), मेडिकल कॉर्पोरेशन में उपलब्ध दवाई की खरीद हेतु 20 प्रतिशत राशि (₹ 544.46 लाख), पालना केन्द्रों का गठन नहीं किए जाने (₹ 190.00 लाख) एवं शिवरों का कम गठन किए जाने (₹ 310.93 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 77.59 लाख की प्रत्याशि बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9130—एकीकृत बाल विकास सेवाओं का परिवीक्षण— मूल 555.30 पुनर्वि. (-)225.04	330.26	329.84	(-)0.42
₹ 225.04 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 175.39 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने के कारण (₹ 17.17 लाख), भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 4.50 लाख), छत्तीसगढ़ संवाद से देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 13.50 लाख) एवं यात्रा देयकों के (₹ 13.98 लाख) प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.50 लाख की प्रत्याशि बचत के पर्याप्त करणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2003-04 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9131—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण— मूल 985.00 पुनर्वि. (-)487.97	497.03	566.40	+69.37
₹ 487.97 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(11) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 1,000.00 पूरक 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,260.02	1,739.98	1,766.98	+27.00
₹ 2,260.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय— मूल 4,800.00 पुनर्वि. (-)810.39	3,989.61	4,013.85	+27.00
₹ 810.39 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2235-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8958—आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युत व्यय— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)147.45	2.55	32.42	+29.87
₹ 147.45 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(14) 2235-02-103-9132—निराश्रित महिला गृह, सिलार्ड केन्द्रों तथा महिलाओं के लिए संस्था— मूल 119.75 पुनर्वि. (-)54.34	65.41	65.36	(-)0.05
₹ 54.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5563-क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्था-			
मूल	128.80		
पूरक	2.00		
पुनर्वि.	(-)61.56	69.24	69.24
₹ 61.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)54.79	445.21	437.41
₹ 54.79 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श आचार चुनाव संहिता के लागू होने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(17) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8681-राज्य महिला आयोग-			
मूल	192.25		
पुनर्वि.	(-)102.89	89.36	89.17
₹ 102.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(18) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8809-घरेलू हिंस से महिलाओं का संरक्षण (नवा विधान)-			
मूल	252.40		
पुनर्वि.	(-)206.61	45.79	46.06
₹ 206.61 लाख की प्रत्याशित बचत भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8957-नोनी सुरक्षा योजना-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	1,500.00	1,500.00
₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों के चिन्हांकित नहीं होने कारण सूचित की गई है।			
(20) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8976-कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कार्यक्रम-			
मूल	130.00		
पुनर्वि.	(-)128.65	1.35	1.35
₹ 128.65 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई हैं।			
(21) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7361-सबला योजना-			
मूल	4,252.50		
पुनर्वि.	(-)244.88	4,007.62	4,014.57
₹ 244.88 लाख की प्रत्याशित बचत नये आंगनबाड़ी केन्द्रों का न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने के कारण संचालन नहीं किए जाने, सबला योजना अंतर्गत दरों में कमी एवं महिला स्व सहायता समूह का भुगतान नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 55—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(22) 2236-02-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 22,850.00 पुनर्वि. (-)1,224.60	21,625.40	21,491.20	(-)134.20

₹ 1,224.60 लाख की प्रत्याशित बचत नये आगनबाड़ी केन्द्रों का न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने के कारण संचालन नहीं किए जाने, सबला योजना अंतर्गत दरों में कमी एवं महिला स्व सहायता समूह का भुगतान नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8985—रेड्डी टू ईट के लिए प्रयोगशाला की सुदृढीकरण— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00
---	----	----	----

₹ 50.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(24) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 1,435.00 पुनर्वि. (-)442.08	992.92	1,189.39	+196.47
--	--------	----------	---------

₹ 442.08 लाख की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों को अपनाने (₹ 21.75 लाख), नवजतन योजना अंतर्गत निधि का उपयोग नहीं किए जाने (₹ 192.56 लाख), छत्तीसगढ़ संवाद से देयक प्राप्त नहीं होने (₹ 13.89 लाख) एवं सामग्री प्रदाय (₹ 65.65 लाख) नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 148.23 लाख के प्रत्याशि बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गई। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 2,528.30 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को ₹ 2,512.33 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4235-02-102-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 4,672.00 पुनर्वि. (-)2,484.76	2,187.24	2,171.27	(-)15.97

₹ 2,484.76 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों			
पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	7,34,851		
पूरक	24,739	7,59,590	6,20,487
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25 फरवरी 2015 एवं 31 मार्च 2015)			(-)1,39,103 1,37,674
<i>प्रभारित—</i>			
मूल	10		
पूरक	301	311	311
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत:			
दत्तमत	17,701	7,288	(-)10,413
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			10,412

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 111.39 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 136.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 247.39 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,391.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 1,376.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-103-931-केन्द्रीय कार्यालय—			
मूल	444.78		
पुनर्वि.	(-)162.63	282.15	282.57
			+0.42

₹ 162.63 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 112.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 50.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2851-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—

7253-एकीकृत हाथकरघा विकास योजना—

मूल 108.00

पुनर्वि. (-)108.00

..

..

..

₹ 108.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5458-हस्तशिल्प विकास बोर्ड-			
मूल	66.00		
पुनर्वि.	(-)56.10	9.90	9.90
₹ 56.10 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष के अंत में राशि विमुक्त किए जाने एवं कोषालय से राशि आंतरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(4) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6913-कुम्भकार-टेराकोटा शिल्प योजना-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00
₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(5) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8655-माटीकला बोर्ड की स्थापना-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)180.00	120.00	120.00
₹ 180.00 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 114.00 लाख) एवं कोषालय से राशि स्थानांतरित नहीं होने (₹ 66.00 लाख) के कारण सूचित की गई है।			
(6) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9201-प्रदर्शनी, प्रचार एवं प्रसार-			
मूल	132.00		
पुनर्वि.	(-)79.20	52.80	52.80
₹ 79.00 लाख की प्रत्याशित बचत राशि वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(7) 2851-105-5454-खादी बोर्ड को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान-			
मूल	170.60		
पुनर्वि.	(-)102.36	68.24	68.24
₹ 102.36 लाख की प्रत्याशित बचत कोषालय से राशि स्थानांतरित नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(8) 2851-107-3778-रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन-			
मूल	3,260.55		
पूरक	5.15		
पुनर्वि.	(-)134.90	3,130.80	3,114.83
₹ 134.90 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 85.25 लाख) एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी होने (₹ 2.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 47.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2851-107-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5521-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम-			
मूल	102.70		
पूरक	238.70		
पुनर्वि.	(-)67.32	274.08	274.08
₹ 67.32 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश के अनुरूप राशि जारी किए जाने (₹ 50.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 17.32 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 56—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) ₹ 104.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 104.12 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4851—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
1068—खादी बोर्ड के स्थापना			
व्यय हेतु अनुदान—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-100.00

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कोषालय से राशि आंतरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	43,28,584		
पूरक	13,000	43,41,584	31,76,486
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)11,65,098 14,01,763
पूँजीगत	2,000	..	(-)2,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			2,000

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 31 मार्च 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 130.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 11,650.98 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 14,017.63 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-101-96-अग्नि पीड़ितों को राहत—			
मूल	800.00		
पूरक	130.00		
पुनर्वि.	(-)465.02	464.98	826.33
			+361.35

₹ 465.02 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 485.02 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि जिला कलेक्टर द्वारा मांग किए जाने एवं कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने (₹ 192.31 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 292.71 लाख के कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2245-01-102-2661-पेय जल प्रदाय—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00

(3) 2245-01-103-7345-पोषण आहार—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00

(4) 2245-01-282-7347-लोक स्वास्थ्य—

मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2006-07 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 2245-01-800-1467—जिला एवं अन्य सड़कें—			
मूल	2,000.01		
पुनर्वि.	(-)2,000.01
(6) 2245-01-800-2389—निर्माण कार्य—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00
(7) 2245-01-800-3819—लघु सिंचाई (कृषि)—			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)1,200.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 2,000.01 लाख, ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 1,200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों में मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत एवं 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2245-02-110-2018—नगद दान—			
मूल	2,200.00		
पुनर्वि.	(-)1,049.62	1,150.38	1,923.18
			+772.80
₹ 1,049.62 लाख की प्रत्याशित बचत जिला कलेक्टर द्वारा व्यय नहीं किए जाने (₹ 556.67 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 492.95 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(9) 2245-02-102-2661—पेय जल प्रदाय—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिला कलेक्टर द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(10) 2245-02-106-1467—जिला एवं अन्य सड़कें—			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,423.33	2,576.67	2,652.99
			+76.32
₹ 1,423.33 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(11) 2245-02-107-7349—मरम्मत—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
(12) 2245-02-108-7349—मरम्मत—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00
(13) 2245-02-109-7349—मरम्मत—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00

उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (13) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 100.00 लाख, ₹ 100.00 लाख और ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2245-02-110-2018—नगद दान—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)336.09	63.91	62.51
			(-)1.40
₹ 336.09 लाख की प्रत्याशित बचत जिला कलेक्टर द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2245-02-111-7352—शोकाकुल परिवारों को सहायक अनुदान—			
मूल	1,600.00		
पुनर्वि.	(-)663.75	936.25	1,142.77
			+206.52
₹ 663.75 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 763.75 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि जिला कलेक्टर द्वारा मांग किए जाने एवं कमी जिला कलेक्टरों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 और 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2245-02-112-5607—बाढ़ नियंत्रण—			
मूल	1,429.00		
पुनर्वि.	(-)750.77	678.23	619.67
			(-)58.56
₹ 750.77 लाख की प्रत्याशित बचत जिला कलेक्टरों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(17) 2245-02-112-7357—बाढ़ आदि में सहायता—			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)143.81	56.19	116.24
			+60.05
₹ 143.81 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 20.40 लाख की वृद्धि एवं ₹ 164.21 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि जिला कलेक्टरों द्वारा निधियों की मांग किए जाने एवं कमी जिला कलेक्टरों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(18) 2245-02-117-7357—बाढ़ आदि में सहायता—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)472.23	27.57	280.09
			+252.52
₹ 472.43 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 11.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 483.43 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि जिला कलेक्टरों द्वारा मांग किए जाने एवं कमी जिला कलेक्टरों द्वारा व्यय नहीं किए जाने (₹ 235.31 लाख) के कारण सूचित की गई। शेष ₹ 248.12 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(19) 2245-02-122-989—क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना—			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)501.18	3,498.82	3,393.90
			(-)104.92
₹ 501.18 लाख की प्रत्याशित बचत जिला कलेक्टरों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2245-05-101-4849—राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण—			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,000.00
₹ 3,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 2245-05-101-7427—राज्य आपदा मोचन निधि—			
मूल	18,393.00		
पुनर्वि.	(-438.00)	17,955.00	17,955.00

₹ 438.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2245-02-114-7357—बाड़ अनुदान आदि में सहायता—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	275.32	375.32	900.88
			+525.56

₹ 275.32 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 314.59 लाख की वृद्धि एवं ₹ 39.27 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि जिला क्लेकटर्स द्वारा निधियों का मांग किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(v) आकाल राहत निधि—

यह निधि बाढ़ अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2014 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 1,482.26 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान ₹ 129.25 लाख जमा की गई एवं भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किए गए।

निधि लेखा का 31 मार्च 2015 को अंतिम शेष निम्नानुसार है :-

विवरण	01 अप्रैल 2014 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2015 को अंतशेष
	₹	₹	₹	₹
1. निधि लेखा	1,166.55 (जमा)	..	36.26	1,202.81 (जमा)
2. निवेश लेखा	315.71 (जमा)	..	92.99	408.70 (जमा)
योग	1,482.26 (जमा)	..	129.25	1,611.51 (जमा)

निधि के लेन देनों का लेखा राज्य वित्त लेखे वर्ष 2014-15 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि :-

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोचन निधि का गठन करने की स्वीकृति देती है। तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी प्रतिवेदन के अध्याय 11 में आपदा प्रबंधन मोचन, निधि की स्थापना की अनुशंसा की है, एवं उसके अन्तर्गत होने वाले अंशदान एवं भुगतान के तरीके का निर्धारण किया है। यह अनुशंसा भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है। आपदा प्रबंधन विधेयक-2005 के खंड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्र क्रम संख्या 32-3/2010-एन.डी.एम-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 में मंत्रालय ने राज्य आपदा मोचन निधि की स्थापना एवं संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का गठन किया गया, प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसा के आधार पर योजना की राशि का 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेतर अनुदान के रूप में दिया जाता है। शेष 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

अनुदान संख्या 58—समाप्त

केन्द्र एवं राज्य के निधियों के प्रवाह की वर्षवार तालिका निम्नानुसार है:—

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2010—11	2011—12	2012—13	2013—14	2014—15	कुल
केन्द्रांश	139.49	119.17	125.12	131.38	137.95	627.11
राज्यांश	37.83	39.72	41.71	43.79	45.98	209.03
कुल	177.32	158.89	166.83	175.17	183.93	836.14

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष "1601—भारत सरकार से सहायक अनुदान-01—आयोजनेत्तर अनुदान-109—राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान " के अंतर्गत जमा होता था। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष "8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-122—राज्य आपदा मोचन निधि" में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष "2245—दैवी विपत्तियों के संबंधमें राहत-05—राज्य आपदा मोचन निधि -101—आरक्षित निधि में अंतरण" में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्ष के लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि अंतरित कर "2245—दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत 05—राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुर्नप्राप्तियां में समायोजित किया जाता है।

राज्य सरकार को आवश्यक है कि वह निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार द्वारा दिनांकित प्रतिभूति अथवा नीलामी पर खजाना देयक ब्याज मुक्त जमा एवं अनुसूचित बैंकों में जमा प्रमाण पत्रों आदि के अन्तर्गत करें। अन्यथा राज्य सरकार को राज्य आपदा मोचन निधि को अर्द्ध वार्षिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के ओव्हर ड्राफ्ट नियामक निर्देशावली द्वारा लागू की गई ब्याज दर को मुख्य शीर्ष 2049—ब्याज-05—आरक्षित निधियों पर ब्याज-105—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि पर ब्याज में जमा करना होगा।

वर्ष 2014—15 के दौरान ₹ 18,228.39 लाख की राशि मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां, 112—राज्य आपदा मोचन निधि में जमा की गई एवं दैवीय विपत्तियों के कारण इस वर्ष ₹ 12,473.24 लाख का व्यय नामें किया गया।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2014—15 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या-21 में दर्शाया गया है।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(vii) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं वर्ष के दौरान अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 एवं 2013—14 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

**अनुदान संख्या 59—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ**

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
राजस्व	55,043	54,600	(-)442
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			18
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			

(i) ₹ 4.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 0.18 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2515—101—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं सामान्य—			
6725—यूरोपियन कमीशन			
राज्य साझेदारी कार्यक्रम के			
अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	550.43		
पुनर्वि.	(-)0.18	550.25	546.25
			(-)4.24

₹ 0.18 लाख की प्रत्याशित बचत जिला पंचायत कांकर द्वारा निधि का आहरण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	8,400	4,057	(-)4,343
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			4,343
पूंजीगत	5,20,000	5,11,468	(-)8,532
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			6,507
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3451-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7282—जिला योजना का सुदृढीकरण— मूल 84.00 पुनर्वि. (-)43.43	40.57	40.57	..

₹ 43.43 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(ii) ₹ 85.32 लाख के अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 65.07 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7493—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना— मूल 5,200.00 पुनर्वि. (-)65.07	5,134.93	5,114.68	(-)20.25

₹ 65.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन
 2055—पुलिस
 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2215—जल पूर्ति और सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230—श्रम और रोजगार
 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी और वन्य प्राणी
 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार
 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्रामीण रोजगार
 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 3275—अन्य दूरसंचार सेवार्यें
 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा
 अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 6215—जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज
 6401—कृषि कार्य के लिए कर्ज
 6408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज
 6801—उर्जा परियोजना के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 64-जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	2,84,00,726		
पूरक	17,20,142	3,01,20,868	2,08,00,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)93,20,868 56,28,477
प्रभारित	10	..	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			10
पूंजीगत :			
दत्तमत-			
मूल	79,00,005		
पूरक	6,97,000	85,97,005	64,15,943
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)21,81,062 19,71,433
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 3,929.88 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 10,996.54 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 2,275.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 17,201.42 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(ii) ₹ 93,208.68 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 56,284.77 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था ।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2014-789-103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना-			
मूल	316.80		
पुनर्वि.	(-)142.99	173.81	177.66
			+3.85
₹ 142.99 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी ।			
(2) 2202-01-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5634-कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना-			
मूल	957.10		
पुनर्वि.	(-)587.98	369.12	369.12
			..

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-789-111-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5396—सर्व शिक्षा अभियान— मूल 20,650.00 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)7,741.80	13,408.20	13,408.20	..
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 587.98 लाख एवं ₹ 7,741.80 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत एवं 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 3,548.00 पुनर्वि. (-)834.62	2,713.38	2,719.55	+6.17
₹ 834.62 लाख की प्रत्याशित बचत दर्ज संख्या के आधार पर पदों की पूर्ति किये जाने (₹ 21.42 लाख) एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति अनुसार राशि व्यय किये जाने (₹ 813.20 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-01-789-112-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 2,236.00 पुनर्वि. (-)529.90	1,706.10	1,694.10	(-)12.00
₹ 529.90 लाख की प्रत्याशित बचत दर्ज संख्या के आधार पर पदों की पूर्ति किये जाने (₹ 30.23 लाख) एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति अनुसार राशि व्यय किये जाने (₹ 499.66 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 0.01 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-02-789-104-1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6725—यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 440.00 पुनर्वि. (-)323.06	116.94	122.65	+5.71
₹ 323.06 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने (₹ 91.46 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 231.60 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(7) 2202-02-789-106-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5904—निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय— मूल 627.00 पुनर्वि. (-)340.20	286.80	286.80	..
₹ 340.20 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2202-02-789-109-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 2675-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां-			
मूल	1,100.00		
पूरक	2,026.21		
पुनर्वि.	(-)595.60	2,530.61	2,535.00
			+4.39
(9) 2202-02-789-109-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 8956-प्री मैट्रिक छात्रवृत्तियां-			
मूल	2,475.00		
पूरक	2,600.00		
पुनर्वि.	(-)1,655.28	3,419.72	3,429.72
			+1.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 595.60 लाख एवं ₹ 1,655.28 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2202-02-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7247-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-			
मूल	5,940.60		
पुनर्वि.	(-)691.06	5,249.54	5,249.54
			..
₹ 691.06 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 1395-छात्रावास-			
मूल	3,350.00		
पूरक	16.00		
पुनर्वि.	(-)724.13	2,641.87	2,801.41
			+159.54
₹ 724.13 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 885.13 लाख की कमी एवं ₹ 161.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित की गई है। कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण एवं वृद्धि निधि की मांग होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5551-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण-			
मूल	1,190.00		
पुनर्वि.	(-)1,043.00	147.00	147.00
			..
₹ 1,043.00 लाख की प्रत्याशित बचत माननीय न्यायालय द्वारा संविदा दरों पर रोक लगाये जाने एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2202-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय- मूल 2,358.40 पुनर्वि. (-)172.52	2,185.88	2,187.89	+2.01
₹ 172.52 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2210-01-789-200-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6960-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना- मूल 1,120.00 पूरक 1,000.00	2,120.00	1,162.61	(-)957.39
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(15) 2210-01-789-200-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7463-कैन्सर, मधुमेह, हृदयरोग एवं आघात रोगों के रोकथाम	315.00	..	(-)315.00
(16) 2210-01-789-200-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7464-वयोवृद्ध स्वास्थ्य संरक्षण	126.00	..	(-)126.00
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2210-01-789-200-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8649-मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)400.00	100.00	..	(-)100.00
₹ 400.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(18) 2210-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8951-आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय, बिलासपुर- मूल 314.40 पूरक 5.00 पुनर्वि. (-)180.91	138.49	128.26	(-)10.23
₹ 180.91 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(19) 2210-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 1228-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय	514.60	297.46	(-)217.14

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2210-03-789-110-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6884-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	11,200.00	6,838.08	(-)4,361.92
(21) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (मूलभूत सेवाएं)	3,050.10	2,001.03	(-)1,049.07
उपरोक्त क्रम संख्या (19) से (21) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2210-05-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8952-आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर- मूल 298.30 पूरक 15.00 पुनर्वि. (-)220.67	92.63	77.58	(-)15.05
₹ 220.67 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(23) 2210-80-789-798-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	500.00	..	(-)500.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(24) 2211-789-101-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 621-उप स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 1,505.20 पूरक सांकेतिक	1,505.20	1,277.64	(-)227.56
(25) 2215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम- मूल 4,700.00 पूरक 489.00	5,189.00	4,188.72	(-)1,000.28
(26) 2215-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2580-पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	450.00	245.06	(-)204.94

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(27) 2215-02-789-107-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7254—निर्मल भारत अभियान	720.00	127.84	(-)592.16
उपरोक्त क्रम संख्या (24) से (27) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2217-80-789-191-1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6741—नेशनल अरबन रिन्डूबल मिशन— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)5,000.00
(29) 2217-80-789-191-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8630—राजीव आवास योजना— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)5,000.00
उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 5,000.00 लाख एवं ₹ 5,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(30) 2225-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5191—अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सहायता/पुनर्वास एवं सहायता— मूल 445.00 पुनर्वि. (-)186.44	258.56	342.21	+83.65
₹ 186.44 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(31) 2225-01-789-102-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 5014—क्षेत्रीय विकास के लिए अनावद्ध राशि— मूल 382.00 पुनर्वि. (-)382.00
₹ 382.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(32) 2225-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631—अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 550.00 पूरक 200.00 पुनर्वि. (-)304.77	445.23	445.92	+0.69

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(33) 2230-03-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं- मूल 364.40 पुनर्वि. (-)229.31	135.09	132.50	(-)2.59
उपरोक्त क्रम संख्या (32) एवं (33) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 304.77 लाख एवं ₹ 229.31 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (32) एवं 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (33) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 2235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5354-एकीकृत सेवायें योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)- मूल 123.85 पुनर्वि. (-)105.78	18.07	17.74	(-)0.33
₹ 105.78 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(35) 2235-02-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 9044-एकीकृत बाल विकास योजना- मूल 7,028.87 पुनर्वि. (-)2,099.59	4,929.28	4,873.10	(-)56.18
₹ 2,099.59 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय- मूल 1,168.00 पुनर्वि. (-)205.12	962.88	971.40	+8.52
₹ 205.12 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(37) 2235-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना- मूल 400.00 पुनर्वि. (-)106.22	293.78	294.82	+1.04
₹ 106.22 लाख की प्रत्याशित बचत आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(38) 2235-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8957-नौनी सुरक्षा योजना- मूल 760.00 पुनर्वि. (-)760.00

अनुदान संख्या 64-जारी

₹ 760.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों को चिन्हांकित किए जाने में विलम्ब के कारण सूचित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(39) 2235-02-789-104-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8662-छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ योजना	600.00	360.00	(-)240.00

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(40) 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 2179-अनुसूचित जाति के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम- मूल 5,520.00 पुनर्वि. (-)406.02	5,113.98	5,046.72	(-)67.26
--	----------	----------	----------

(41) 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7361-सबला योजना- मूल 910.00 पुनर्वि. (-)66.46	843.54	812.72	(-)30.82
---	--------	--------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (40) एवं (41) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 406.02 लाख एवं ₹ 66.46 लाख की प्रत्याशित बचत न्यायालयिन प्रकरण एवं अन्य शिकायतों के कारण योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(42) 2401-789-102-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान- मूल 1,320.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)763.88	556.12	84.61	(-)471.51
--	--------	-------	-----------

₹ 763.88 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(43) 2401-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7258-नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस् एण्ड आईलपॉम- मूल 260.00 पुनर्वि. (-)230.27	29.73	32.28	+2.55
---	-------	-------	-------

₹ 230.27 लाख की प्रत्याशित बचत मौसमी वर्षा नहीं होने से बीज उत्पादन नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(44) 2401-789-108-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- मूल 3,967.90 पुनर्वि. (-)2,866.56	1,101.34	1,096.49	(-)4.85
---	----------	----------	---------

₹ 2,866.56 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य स्तरीय समिति द्वारा कम राशि विमुक्त किए जाने (₹ 2,461.93 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 404.63 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(45) 2401-789-108-1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— (हरित क्रांति)— मूल 1,740.00 पुनर्वि. (-)599.52	1,140.48	1,144.73	+4.25
₹ 599.52 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य स्तरीय समिति द्वारा कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(46) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2794—स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)360.00
₹ 360.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(47) 2401-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8997—मॉडीफाईड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00
₹ 600.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जिलों से प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण (₹ 509.19 लाख) सूचित की गई है। शेष ₹ 90.81 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(48) 2401-789-119-1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 1,050.00 पुनर्वि. (-)500.69	549.31	549.31	..
₹ 500.69 लाख की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा भुगतान हेतु राशि आहरित नहीं किए जाने (₹ 376.44 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 124.25 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(49) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2794—स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)360.00
₹ 360.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने (₹ 91.01 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 268.99 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक्य+ बचत(-)
(50) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7265—एन.एम.एस.ए. ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना— मूल 303.21 पुनर्वि (-)303.21

₹ 303.21 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

(51) 2403-789-108-1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 870.72 पुनर्वि (-)413.80	456.92	456.92	..
---	--------	--------	----

₹ 413.80 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(52) 2408-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5456—अन्त्योदय अन्न योजना	618.00	406.56	(-)211.44
(53) 2408-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6839—मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	48,400.00	21,600.00	(-)26,800.00
(54) 2408-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8999—मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना	3,000.00	2,132.53	(-)867.47
(55) 2408-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9993—रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान	1,260.00	797.20	(-)462.80

उपरोक्त क्रम संख्या (52) से (55) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(56) 2425-789-107-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 1,440.00 पुनर्वि. (-)504.00	936.00	936.00	..
---	--------	--------	----

₹ 504.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(57) 2501-02-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना- 7350-एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम- मूल 723.42 पुनर्वि. (-)723.42
₹ 723.42 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कम देयक प्राप्त होने (₹ 400.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 323.42 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(58) 2501-02-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना- 7610-स्वच्छ भारत अभियान- पूरक 720.00 पुनर्वि. (-)558.47	161.53	161.29	(-)0.24
₹ 558.47 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(59) 2501-06-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- मूल 1,612.80 पूरक 504.00 पुनर्वि. (-)890.18	1,226.62	526.68	(-)699.94
₹ 890.18 लाख की प्रत्याशित बचत भुगतान हेतु कम देयक प्राप्त होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(60) 2505-60-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना विशेष घटक योजना- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना- मूल 33,000.00 पुनर्वि. (-)13,879.88	19,120.12	20,440.54	+1,320.42
₹ 13,879.88 लाख की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुरूप राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(61) 2505-60-789-196-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7588-मनरेगा अन्तर्गत मातृत्व भत्ता- मुल 192.00 पुनर्वि. (-)192.00
₹ 192.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(62) 2702-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5707-शाकम्भरी प्रोजेक्ट- मूल 450.00 पुनर्वि. (-)174.92	275.08	273.16	(-)1.92

अनुदान संख्या 64-जारी

₹ 174.92 लाख की प्रत्याशित बचत लघु कृषकों के चयन में विलम्ब होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(63) 2801-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6825-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु- मूल 240.00 पुनर्वि. (-)240.00

₹ 240.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(64) 2851-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6857-उद्योगों को ब्याज अनुदान- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)100.87	99.13	99.13	..
---	-------	-------	----

₹ 100.87 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(65) 2851-789-105-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6193-खादी बोर्ड के परिवार मूलक ईकाइयों को स्थापना हेतु सहायता- मूल 160.00 पुनर्वि. (-)96.00	64.00	64.00	..
--	-------	-------	----

₹ 96.00 लाख की प्रत्याशित बचत कोषालय द्वारा छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को राशि स्थानांतरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(66) 2852-80-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5451-अंशपूँजी सहायता योजना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
---	----	----	----

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(67) 3275-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 8913-निशुल्क लेपटॉप एवं टेबलेट का प्रदाय- मूल 800.00 पुनर्वि. (-)420.00	380.00	380.00	..
--	--------	--------	----

₹ 420.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 64—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210-01-789-200-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8645—मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 700.00 पुनर्वि. 400.00	1,100.00	1,100.00	..
₹ 400.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन स्मार्ट कार्डों की संख्या में वृद्धि के कारण सूचित की गई है।			
(2) 2210-03-789-197-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	939.50	1,382.58	+443.08
(3) 2210-03-789-198-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 436.30 पूरक सांकेतिक 436.30	436.30	684.93	+248.63
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(4) 2216-03-789-105-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6549—इंदिरा आवास योजना— मूल 5,095.20 पूरक 944.00 पुनर्वि. 396.81	6,436.01	6,858.99	+422.98
₹ 396.81 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 803.19 लाख की कमी एवं ₹ 1,200.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि कार्डों की संख्या में वृद्धि होने एवं कमी केन्द्रांश के अनुरूप राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(5) 2401-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8972—चावल उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना— मूल 48,800.00 पुनर्वि. 203.66	49,003.66	49,003.66	..
₹ 203.66 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1.36 लाख की कमी एवं ₹ 205.02 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि बोनस वितरण किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(6) 2401-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी.सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— पूरक सांकेतिक 90.80 पुनर्वि. 90.80	90.80	90.80	..

अनुदान संख्या 64-जारी

₹ 90.80 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन. एम. ए. ई.टी. के अन्तर्गत राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित किया गया है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6831-राज्य अंशदान के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना-			
मूल	1,500.00		
पूरक	204.00		
पुनर्वि.	391.63	2,095.63	2,491.43
			+395.80

₹ 391.63 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1.60 लाख की कमी एवं ₹ 393.23 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। कमी जिलों द्वारा भुगतान हेतु राशि आहरित नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(8) 2501-60-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 8775-जिला स्तरीय प्रशासनिक योजना-			
मूल	0.04		
पूरक	69.14		
पुनर्वि.	90.18	159.36	171.83
			+12.46

₹ 90.18 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण सूचित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

पूजीगत :

दत्तमत-

(v) वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के समान एवं समकक्ष नहीं था, जुलाई 2014 (₹ 5,060.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 1,210.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 700.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 6,970.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹ 21,810.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 19,714.33 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)247.88	52.12	119.14
			+67.02

₹ 247.88 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4202-02-789-104-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 2668-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	160.00	..	(-)160.00
---	--------	----	-----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4210-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण— मूल 591.00 पूरक सांकेतिक 591.00	591.00	441.87	(-)149.13
(4) 4215-01-789-102-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 500.00 पूरक 700.00	1,200.00	424.83	(-)775.17
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4225-01-789-102-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 5014—क्षेत्रीय विकास के लिए अनावद्ध राशि— मूल 500.00 पुनर्वि (-)500.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(6) 4235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 1,121.00 पुनर्वि (-)570.43	550.57	550.57	..
₹ 570.43 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4250-789-203-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 976—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यालय भवनों का निर्माण— मूल 220.00 पुनर्वि (-)100.00	120.00	3.62	(-)116.38
₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4700-02-789-800-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 5,000.00 पूरक 10.00 पुनर्वि. (-)3,015.76	1,994.24	2,994.24	(-)1,000.00
₹ 3,015.76 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं वित्त विभाग द्वारा राशि में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4700-08-789-800-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य— मूल 510.00 पुनर्वि. (-)489.19	20.81	20.81	..
₹ 489.19 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4700-10-789-800-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)1,330.37	69.63	69.63	..
₹ 1,330.37 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं वित्त विभाग द्वारा राशि में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4700-11-789-800-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00
₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(12) 4700-12-789-800-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,510.01	489.99	489.99	..
₹ 1,510.01 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(13) 4702-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3828—लघु सिंचाई योजना— मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)2,332.80	867.20	869.18	+1.98
₹ 2,332.80 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4702-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5059—एनिकट/स्टापडेम का निर्माण— मूल 5,000.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. 878.90	5,978.90	4,978.90	(-)1,000.00

अनुदान संख्या 64—जारी

₹ 878.90 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 121.10 लाख की कमी एवं ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण एवं वृद्धि निविदा कार्यों के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 4702-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण— मूल 12,000.00 पुनर्वि. (-)2,200.71	9,799.29	9,799.29	..

₹ 2,200.71 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि में कमी किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4149-वृहद पुलों का निर्माण	2,300.00	1,099.45	(-)1,200.55
---	----------	----------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 5054-04-789-337-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना— मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)2,751.00	3,249.00	4,516.50	+1,267.50
---	----------	----------	-----------

₹ 2,751.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(18) 5054-04-789-337-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6590-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	1,413.00	563.05	(-)849.95
--	----------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 5054-04-789-337-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना— मूल 4,200.00 पूरक 1,200.00 पुनर्वि. (-)2,980.00	2,420.00	1,809.96	(-)610.04
---	----------	----------	-----------

₹ 2,980.00 लाख की प्रत्याशित बचत खदानों से रेत का परिवहन पर रोक लगाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 6215-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 2182-नगरीय नई शहरी जल प्रदाय योजनाएं	200.00	49.60	(-)150.40

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 6401-789-105-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7283-छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु ऋण- मूल 360.00 पूरक (-)360.00
---	----	----	----

₹ 360.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 6408-02-789-190-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	600.00	..	(-)600.00
--	--------	----	-----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(23) 6408-02-789-190-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण- मूल 490.10 पुनर्वि. (-)0.10	490.00	202.44	(-)287.56
--	--------	--------	-----------

₹ 0.10 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 6801-789-190-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7498-पूजीगत व्यय विद्युत पारेषण/उत्पादन/ वितरण कम्पनी- मूल 3,000.00 पूरक (-)3,000.00
--	----	----	----

₹ 3,000.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा कम राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	100.00	586.47	+486.47

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 64—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4225-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5631-अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)48.92	2,951.08	3,220.57	+269.49
₹ 48.92 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(3) 5054-04-789-337-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 5,000.00 पूरक 1,200.00 पुनर्वि. 1,200.00	7,400.00	7,154.69	(-)245.31
₹ 1,200.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन स्वीकृत कार्यों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(4) 5054-04-789-337-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9002-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	16,300.00	17,328.23	+1,028.23
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवार्यें			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,11,273		
पूरक	15,000	2,26,273	1,22,007
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)1,04,266
			1,04,118
<i>प्रभारित</i>	10	..	(-)10
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)</i>			10

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 150.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 1,042.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 1,041.18 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ लाख में)		
2052—091—4043—विमानन संचालनालय—			
मूल	2,112.73		
पूरक	150.00		
पुनर्वि.	(-)1,041.18	1,221.55	1,220.07
			(-)1.48

₹ 1,041.18 लाख की प्रत्याशित बचत पी. डब्ल्यू. डी. विभाग से प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने (₹ 15.68 लाख), वन भूमि मुआवजा हेतु कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने (₹ 300.00 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 498.09 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 227.41 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2004—05 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2013—14 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 66-पिछड़ा वर्ग कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण			
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	18,47,440			
पूरक	1,97,350	20,44,790	15,64,245	(-)4,80,545
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				3,63,659

पूंजीगत:

मूल	86,200			
पूरक	1,42,400	2,28,600	1,78,039	(-)50,561
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				7,312

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2014 (₹ 12.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 1,961.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 0.50 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 1,973.50 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 4,805.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 3,636.59 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-109-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2675-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां-			
पूरक	1,569.00		
पुनर्वि.	(-)1,569.00
(2) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3673-राज्य छात्रवृत्तियां-			
पूरक	296.00		
पुनर्वि.	(-)296.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,569.00 लाख एवं ₹ 296.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।

(3) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3673-राज्य छात्रवृत्तियां-				
मूल	5,300.00			
पुनर्वि.	(-)124.42	5,175.58	4,057.81	(-)1,117.77

अनुदान संख्या 66-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5551-हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय-			
मूल	550.00		
पुनर्वि.	(-)509.68	40.32	(-)38.89
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 124.42 लाख एवं ₹ 509.68 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7592-उर्वरक			
पूरक	62.00	62.00	(-)62.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(6) 2225-04-277-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7285-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-			
मूल	195.00		
पुनर्वि.	(-)192.73	2.27	(-)0.38
₹ 192.73 लाख की प्रत्याशित बचत शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(7) 2225-04-277-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7286-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-			
मूल	540.00		
पुनर्वि.	(-)540.00
₹ 540.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(8) 2225-04-277-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6938-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00
₹ 1,000.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने (₹ 293.13 लाख) एवं केन्द्र योजना में परिवर्तित होने (₹ 706.87 लाख) के कारण सूचित की गई है।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2225-04-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5073-अल्पसंख्यक आयोग-			
मूल	90.00		
पुनर्वि.	37.00	127.00	..
₹ 37.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 66—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2225-04-277-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6938—अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 658.30	658.30	658.20	(-)0.10

₹ 658.30 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1.57 लाख की कमी एवं ₹ 659.87 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। निधियों में कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 6,970.00 लाख की वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त किया गया ₹ 1,424.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान में जुलाई 2014 में (₹ 24.00 लाख) का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था, जबकि दिसम्बर 2014 में (₹ 1,400.00 लाख) का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक था।

(vi) ₹ 505.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 73.12 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-202-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1395—छात्रावास— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)70.00	630.00	630.00	..
₹ 70.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

(2) 4225-04-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7605—अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास योजना— पूरक 1,400.00 पुनर्वि. (-)3.12	1,396.89	988.39	(-)408.50
---	----------	--------	-----------

₹ 3.12 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2202—सामान्य शिक्षा			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
2216—आवास			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2230—श्रम तथा रोजगार			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2403—पशुपालन			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3054—सड़क तथा सेतु			
4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	41,60,944		
पूरक	3,13,265	44,74,209	37,54,654
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)7,19,555 28
प्रभारित	4,000	3,009	(-)991
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	36,23,445		
पूरक	1,11,581	37,35,026	31,66,974
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)5,68,052 684

अनुदान संख्या 67—जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 40.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 25.00 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 3,067.65 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 3,132.65 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 7,195.55 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 0.28 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-053-2449—न्याय प्रशासन (न्यायालय भवनों की मरम्मत)	500.00	436.89	(-)63.11
(2) 2059-01-053-3383—विशेष मरम्मत-भवन	800.00	685.81	(-)114.19
(3) 2059-01-053-4144— अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण (मूलभूत सेवाओं के लिए)	800.00	737.55	(-)62.45
(4) 2059-01-053-6220—लोक निर्माण विभाग	340.00	273.00	(-)67.00
(5) 2059-60-053-3645—राजकीय उच्चतर विद्यालय एवं महाविद्यालयों भवनों के रख रखाव	600.00	526.22	(-)73.78
(6) 2059-60-053-3647—राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का रख रखाव	1,200.00	989.40	(-)210.60
(7) 2059-80-001-2418—निष्पादन— मूल 14,497.77 पूरक 1,724.00	16,221.77	15,799.17	(-)422.60
(8) 2059-80-001-3300—मण्डल स्थापना	940.50	824.64	(-)115.86
(9) 2059-80-001-3566—मुख्यालय स्थापना	1,798.10	1,294.16	(-)503.94
(10) 2059-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2418—निष्पादन— मूल 6,476.00 पूरक 1,343.65	7,819.65	6,252.45	(-)1,567.20
(11) 2059-80-052-9269—मशीनों का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन	630.00	545.54	(-)84.46
(12) 2059-80-799-1051—भण्डारण	175.00	51.46	(-)123.54
(13) 2059-80-799-4056—विविध लोक निर्माण अग्रिम	90.00	5.61	(-)84.39
(14) 2216-05-053-4095—विशेष मरम्मतें	1,720.00	1,488.85	(-)231.15
(15) 2216-80-001-2300—निर्देशन और प्रशासन— (मांग संख्या 67-2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना प्रभारों का समानुपातिक भाग)	4,080.83	1,616.61	(-)2,464.22

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2216-80-052-692-औजार एवं संयंत्र प्रभार (मांग संख्या 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग)	453.43	0.65	(-)452.78

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (16) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (6), (10) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत, 2010-11 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत, 2007-08 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (9) तथा (16) के शीर्षान्तर्गत, 2011-12 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत एवं 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-051-3692-राज्य विधान मण्डल— मूल 40.00 पूरक 25.00	65.00	155.36	+90.36
(2) 2216-01-053-2450-न्याय प्रशासन	25.00	64.15	+39.15

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत भी आधिक्य हुआ था।

(v) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में ₹ 57.07 लाख को "2059-लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए हैं। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (vi) में दिए गए हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2014 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2015 को नामे+ जमा(-)
(₹ लाख में)				

2059-लोक निर्माण कार्य—

(i) क्रय	(-) 2,282.95	(-) 2,282.95
(ii) भण्डार	+1,486.32	51.46	..	+1,537.78
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 7,546.27	5.61	10.38	+ 7,541.50
योग	+ 6,749.64	57.07	10.38	+ 6,796.33

प्रभारित—

(vi) ₹ 9.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 67—जारी

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 1,005.81 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 10.00 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 100.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,115.81 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(viii) ₹ 5,680.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध केवल ₹ 6.84 लाख का अभ्यर्पण कमजोर बजट प्रबंधन एवं विनियोग पर हुए व्यय पर नियंत्रण नहीं रखा जाना दर्शाता है।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन	2,000.00	1,291.45	(-)708.55
(2) 4059-01-051-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7412-द्वितीयक मानक एवं कार्यकारी मानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु	265.00	20.89	(-)244.11
(3) 4059-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2450-न्याय प्रशासन- मूल 405.45 पूरक 555.81	961.26	352.31	(-)608.95
(4) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1481-जिला प्रशासन	122.00	41.83	(-)80.17
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2716-प्रशासन अकादमी- मूल 260.00 पुनर्वि. (-)200.00	60.00	..	(-)60.00
₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2956-बिक्री कर	100.00	5.99	(-)94.01
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(7) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3755-राष्ट्रीय सैन्य दल- मूल 480.00 पुनर्वि. (-)100.00	380.00	379.83	(-)0.17
(8) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3855-लोक निर्माण कार्य भवन- मूल 800.00 पूरक 10.00 पुनर्वि. (-)100.00	710.00	602.06	(-)107.94

उपरोक्त क्रम संख्या (7) तथा (8) के शीर्षान्तर्गत ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3859—लोक सेवा आयोग	50.00	..	(-)50.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(10) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4606—स्टाम्प एवं पंजीयन— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)20.00	280.00	200.77	(-)79.23
(11) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5558—जिला उपभोक्ता फोरम भवनों का निर्माण— मूल 129.00 पुनर्वि. (-)100.00	29.00	1.68	(-)27.32
(12) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5652—प्रिंटिंग प्रेस भवन का निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)50.00	50.00	..	(-)50.00
उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (12) के शीर्षान्तर्गत ₹ 20.00 लाख, ₹ 100.00 लाख एवं ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (10), 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (11) एवं 2011-12 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7392—ग्राम नगर निवेश कार्यालय भवन निर्माण	71.00	3.08	(-)67.92
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7402—खनिज प्रशासन— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)50.00	50.00	..	(-)50.00
(15) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7466—प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)80.00	20.00	..	(-)20.00
उपरोक्त क्रम संख्या (14) तथा (15) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 50.00 लाख एवं ₹ 80.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (14) एवं 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8040—जेल भवनों का निर्माण	626.00	567.48	(-)58.52
(17) 4059-01-203-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5086—कॉलेज भवन का निर्माण	1,600.00	1,468.95	(-)131.05
उपरोक्त क्रम संख्या (16) तथा (17) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 4202-02-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8071—पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण— मूल 620.00 पुनर्वि. (-)100.00	520.00	371.43	(-)148.57
₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(19) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5908—खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण	1,500.00	1,144.21	(-)355.79
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(20) 4202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8984—यूथ हॉस्टल— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)90.00	10.00	..	(-)10.00
(21) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4144—अस्पताल एवं औषधालय भवनों का निर्माण (मूलभूत सेवाओं के लिए)— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)100.00	1,400.00	1,385.67	(-)14.33
उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 90.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005-06 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 4210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 617—उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	973.00	288.40	(-)684.60
(23) 4210-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4143—मूलभूत सेवाओं के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	950.00	425.91	(-)524.09
उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं 2008-09 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(24) 4210-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4136—आयुर्वेद भवन का निर्माण— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)60.00	190.00	171.00	(-)19.00
60.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 4210-03-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	100.00	..	(-)100.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4220-शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय-			
मूल	5,000.00		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	5,000.00	4,367.07
			(-)632.93
100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2631-पुलिस प्रशासन-			
मूल	100.00		
पूरक	(-)100.00
100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3125-भू-राजस्व	150.00	..	(-)150.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(29) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5640-उच्च न्यायालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण	1,000.00	861.45	(-)138.55
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(30) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6222-न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण)	200.00	..	(-)200.00
(31) 4235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5560-राज्य स्तरीय संशोधन केन्द्र	50.00	..	(-)50.00
(32) 4235-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7446-समाज कल्याण संस्थाओं एकीकृत परिसर	100.00	..	(-)100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (30) से (32) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(33) 4250-203-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 976-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यालय भवनों का निर्माण	160.00	50.36	(-)109.64
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(x) उपरोक्त टिप्पणी (ix) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 2450-न्याय प्रशासन	500.00	1,034.29	+534.29
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 67—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2629-पुलिस-			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	200.00	1,600.00	1,575.19
			(-)24.81
(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3643-राज भवन-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	100.00	110.00	71.68
			(-)38.32
(4) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5651-होमगार्ड परिसर में आवासीय भवनों का निर्माण-			
मूल	107.00		
पुनर्वि.	50.00	157.00	143.71
			(-)13.29
(5) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	500.00	2,000.00	1,902.41
			(-)97.59
(6) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3490-माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण-			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	200.00	6,200.00	6,118.76
			(-)81.24
(7) 4202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	90.00	590.00	589.95
			(-)0.05

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 200.00 लाख, ₹ 100.00 लाख, ₹ 50.00 लाख, ₹ 500.00 लाख, ₹ 200.00 लाख एवं ₹ 90.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन दायित्वों का भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) तथा (7) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

पूंजीगत :

मूल	23,02,550			
पूरक	15,000	23,17,550	18,49,251	(-)4,68,299
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				..

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 150.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 4,682.99 लाख की उपलब्ध बचत होते हुए वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया जाना बजट पर अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4055-796-211-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2629-पुलिस	200.00	41.13	(-)158.87
(2) 4059-01-796-051-1002- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6333- भू-राजस्व कार्यालय भवन	2,000.00	1900.89	(-)99.11
(3) 4059-01-796-051-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7307-विशेष अधोसंरचना विकास योजना	435.00	73.46	(-)361.54
(4) 4059-01-796-051-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3855-लोक निर्माण भवन- मूल 200.00 पूरक 50.00	250.00	182.90	(-)67.10
(5) 4059-01-796-051-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7402-खनिज प्रशासन	700.00	643.04	(-)56.96
(6) 4202-01-796-202-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7284-छात्रावास /आश्रम भवनो का निर्माण	200.00	135.20	(-)64.80

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5086-कॉलेज भवन का निर्माण- मूल 1,300.00 पूरक 50.00	1,350.00	1,258.91	(-)91.09
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत, 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (3) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत, 2012-13 के दौरान क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4202-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8071-पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण	700.00	188.07	(-)511.93
(9) 4210-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5226- मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि- मूल 145.00 पूरक 50.00	195.00	..	(-)195.00
(10) 4210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 395-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत अस्पताल भवन का निर्माण	1,365.00	205.73	(-)1,159.27
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत एवं 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4210-02-796-101-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	1,000.00	877.59	(-)122.41
(12) 4210-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	800.00	492.15	(-)307.85
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4210-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण- पूरक 412.00 पुनर्वि. 100.00	512.00	311.21	(-)200.79
₹ 100.00 लाख के पुनिर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4210-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5057-चिकित्सालयों में शय्याओं की वृद्धि	240.00	178.88	(-)61.12
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— पूरक 320.00 पुनर्वि. (-)100.00	220.00	70.95	(-)149.05
100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 4210-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2631-पुलिस प्रशासन	2,000.00	1,609.29	(-)390.71
(17) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3070- भाड़ा गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत आवास गृहों का निर्माण	460.00	221.08	(-)238.92
(18) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 976-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें कार्यालय भवनों का निर्माण	2,500.00	2,237.07	(-)262.93

उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (18) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4250-796-203-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 976-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें कार्यालय भवनों का निर्माण	20.50	91.35	+70.85

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
राजस्व	64,77,716	19,37,393	(-)45,40,323
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			45,40,290
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 45,403.23 लाख की बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 40,452.90 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-80-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6741-नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन- मूल 25,000.00 पुनर्वि. (-)19,695.12	5,304.88	5,304.88	..
(2) 2217-80-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6807-एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)241.58	4,758.42	4,758.42	..
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 19,695.12 लाख एवं ₹ 241.58 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2217-80-191-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम - मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00
₹ 200.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(4) 2217-80-191-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8630-राजीव आवास योजना- मूल 25,000.00 पुनर्वि. (-)21,051.95	3,948.05	3,947.75	(-)0.30
(5) 2217-80-192-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6807-एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना- मूल 800.00 पुनर्वि. (-)461.94	338.06	338.06	..

अनुदान संख्या 69—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 21,051.95 लाख एवं ₹ 461.94 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत एवं 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2217-80-192-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00
(7) 2217-80-193-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम- मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 300.00 लाख एवं ₹ 150.00 लाख की सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(8) 2217-80-193-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - मूल 250.00 पुनर्वि. (-)208.00	42.00	42.00	..
₹ 208.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			

अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3275—अन्य दूरसंचार सेवायें			
राजस्व:			
मूल	9,53,195		
पूरक	5,03,670	14,56,865	6,84,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)7,72,865 7,77,865

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2014 (₹ 2,967.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 2,069.70 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 5,036.70 लाख अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 7,728.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 7,778.65 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275—800—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6818—स्वान परियोजना	1,671.00	370.00	(-)1,301.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008—09 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 3275—800—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7276—डाटा सेंटर की स्थापना— मूल 442.00 पुनर्वि. (-)442.00
₹ 442.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजना में परिवर्तित किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012—13 एवं 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 3275—800—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7278—राज्य में केपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम— मूल 182.30 पुनर्वि. (-)182.30
(4) 3275—800—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7482—सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई—गवर्नेंस प्रशिक्षण संस्थान— मूल 130.60 पुनर्वि. (-)130.60

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 182.30 लाख एवं ₹ 130.60 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि जारी नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012—13 और 2013—14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 3275-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7270-जिला परियोजना- मूल 2,963.00 पुनर्वि. (-)2,359.00	604.00	604.00	..
₹ 2,359.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि जारी नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(6) 3275-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7278-राज्य में केपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम- पूरक 115.70 पुनर्वि. (-)115.70
₹ 115.70 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि जारी नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।			
(7) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6894-डिजीटल शासन की स्थापना- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)90.00	210.00	210.00	..
₹ 90.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7612-एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना- पूरक 350.00 पुनर्वि. (-)350.00
₹ 350.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(9) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8913-निःशुल्क लैपटॉप एवं टेबलेट का प्रदाय- मूल 6,300.00 पुनर्वि. (-)3,103.00	3,197.00	3,197.00	..
₹ 3,103.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(10) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8953-मानव संसाधन, वित्त एवं लेखा तथा जी.आई.एस. एप्लीकेशन- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6818-स्वान परियोजना- पूरक 1,148.00 पुनर्वि. (-)839.00	309.00	1,610.00	+1,301.00

अनुदान संख्या 71—समाप्त

₹ 839.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा राशि जारी नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 3275-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7276-डाटा सेंटर की स्थापना-			
पूरक	359.00		
पुनर्वि.	84.00	443.00	443.00
			..

₹ 84.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 442.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 358.00 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजना में परिवर्तित किए जाने एवं कमी भारत सरकार द्वारा राशि जारी नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
मूल	13,88,300		
पूरक	1,50,000	15,38,300	(-)5,32,454
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			5,31,809

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 1,500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 5,324.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹ 5,318.09 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 4700-02-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,993.36	6.64	6.64

₹ 2,993.36 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 493.36 लाख) एवं निविदा कार्य की धीमी गति (₹ 2,500.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4700-03-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-

5516-वृहद सिंचाई परियोजना

निर्माण कार्य (नाबार्ड)-

मूल

पुनर्वि.

500.00

(-)169.13

330.87

330.87

..

₹ 169.13 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्य की धीमी गति के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4700-07-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-

5516-वृहद सिंचाई परियोजना

निर्माण कार्य (नाबार्ड)-

मूल

पुनर्वि.

100.00

(-)100.00

..

..

..

₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4700—12—800—0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)309.73	190.27	190.27	..
₹ 309.73 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(5) 4701—01—800—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00
₹ 300.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4702—101—0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5189—लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 220.00 पुनर्वि. (-)111.82	108.18	114.88	+6.70
₹ 111.82 लाख की प्रत्याशित बचत निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4702—101—0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5189—लघु सिंचाई योजना— निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 5,100.00 पुनर्वि. (-)3,372.54	1,727.46	1,573.85	(-)153.61
₹ 3,372.54 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद में कटौती किये जाने (₹ 2,272.54 लाख), निविदा कार्य की धीमी गति (₹ 1,000.00 लाख), क्षतिपूर्ति का मुआवजा भुगतान नहीं होने (₹ 100.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4702—101—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 9469—नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)1,926.99	2,073.01	2,212.62	+139.61
₹ 1,926.99 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद में कटौती किये जाने के कारण (₹ 1,426.99 लाख), क्षतिपूर्ति वृक्षारोपन हेतु मुआवजा भुगतान नहीं हाने (₹ 100.00 लाख) एवं कार्य की धीमी गति (₹ 400.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008—09 से 2013—14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 75—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-05-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 600.00 पुनर्वि. 399.93	999.93	999.91	(-)0.02
₹ 399.93 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 400.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 0.07 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(2) 4700-12-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 1,000.00 पुनर्वि. 3,481.32	4,481.32	4,481.82	+0.10
₹ 3,481.32 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 3,600.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 118.68 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि अधिग्रहित भूमि के मुआवजा के भुगतान किए जाने हेतु एवं कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति (₹ 103.72 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 14.96 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(3) 4701-06-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 50.00 पुनर्वि. 97.23	147.23	148.00	+0.77
₹ 97.23 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2.77 लाख की कमी के निवल परिणाम स्वरूप हुआ। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान किए जाने के कारण सूचित की गई है। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	30,00,000	1,87,619	(-)28,12,381
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

पूंजीगत :

(i) ₹ 28,123.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II	6,100.00	34.98	(-)6,065.02
(2) 5054-03-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II	11,400.00	374.74	(-)11,025.26
(3) 5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं सामान्य- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट-फेज-II	12,500.00	1,466.47	(-)11,033.53

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	35,68,030		
पूरक	45,001	36,13,031	29,31,934
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)6,81,097 3,10,300
प्रभारित	420	..	(-)420
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			310

पूंजीगत:

दत्तमत—			
मूल	3,95,000		
पूरक	15,000	4,10,000	3,08,511
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,01,489
टीका एवं टिप्पणियां			..

राजस्व :

दत्तमत—

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 100.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 350.01 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 450.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 6,810.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 3,103.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2071-01-800-5499—सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा—			
मुल	275.00		
पुनर्वि.	30.00	305.00	..
			(-)305.00

₹ 30.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई है।

(2) 2210-01-110-1353—चिकित्सा महाविद्यालय

तथा संबद्ध चिकित्सालय—

मुल 6,043.90

पुनर्वि. (-)291.00

5,752.90

4,833.52

(-)919.38

₹ 291.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2006-07 से 2013-14 के दौरान भी शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2210-01-110-962—कैंसर चिकित्सालय	761.90	708.33	(-)53.57
(4) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6967—चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर	2,256.00	1,931.20	(-)324.80
(5) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6997—चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ से सम्बद्ध चिकित्सालय	240.00	53.21	(-)186.79
(6) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8938—चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव से सम्बद्ध चिकित्सालय	150.00	3.04	(-)146.96

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत, 2008-09 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2210-02-101-4194—शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एण्ड डिपो— मुल 418.10 पुनर्वि. (-)141.66	276.44	273.23	(-)3.21
--	--------	--------	---------

₹ 141.66 लाख की प्रत्याशित बचत में शासन के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत सी.जी.एम.एस.सी को हस्तान्तरित किए जाने (₹ 71.96 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 69.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2210-02-101-4286—संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन— मुल 250.30 पुनर्वि. (-)80.41	169.89	183.55	+13.66
--	--------	--------	--------

₹ 80.41 लाख की प्रत्याशित बचत में पद रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 42.77 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 37.64 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2210-02-101-460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय— मुल 856.10 पुनर्वि. (-)235.14	620.96	621.93	+0.97
---	--------	--------	-------

₹ 235.14 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य शासन के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत राशि सी.जी.एम.एस.सी को हस्तान्तरित किए जाने (₹ 49.01 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 186.13 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2210-02-101-461—आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढीकरण— मुल 650.20 पुनर्वि. (-)195.14	455.06	455.07	+0.01
---	--------	--------	-------

₹ 195.14 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 139.33 लाख) एवं व्यय में मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 0.20 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 55.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2210-02-101-7511—आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाविद्यालय— मूल 439.50 पुनर्वि. (-)140.94	298.56	295.00	(-)3.56
₹ 140.94 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 96.51 लाख) एवं शासन के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत राशि सी.जी.एम.एस.सी को हस्तान्तरित किए जाने (₹ 25.74 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 18.69 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2008-09 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2210-02-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7503—आयुष संस्थाओं का उन्नयन— मूल 59.20 पुनर्वि. (-)59.20
₹ 59.20 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय— मूल 266.20 पुनर्वि. (-)92.26	173.94	205.66	+31.72
₹ 92.26 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने (₹ 38.80 लाख) एवं शासन के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत राशि सी.जी.एम.एस.सी को हस्तान्तरित किए जाने (₹ 46.73 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 6.73 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5553—आयुर्वेद औषधियों के ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना— मूल 78.30 पुनर्वि. (-)36.39	41.91	41.56	(-)0.35
₹ 36.39 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 13.19 लाख) एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 1.12 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 22.08 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(15) 2210-02-102-4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवाएं)— मूल 278.10 पुनर्वि. (-)45.31	232.79	232.56	(-)0.23
₹ 45.31 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 28.76 लाख), मितव्ययी उपायों के अपनाने (₹ 0.48 लाख), यात्रा देयक पारित नही होने (₹ 1.11 लाख) एवं शासन के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत राशि सी.जी.एम.एस.सी को हस्तान्तरित किए जाने (₹ 6.35 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 8.61 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(16) 2210-04-101-460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय— मूल 7,117.70 पुनर्वि. (-)1,224.84	5,892.86	5,880.45	(-)12.41
₹ 1,224.84 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 856.71 लाख), फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 30.00 लाख) एवं शासन के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत राशि सी.जी.एम.एस.सी को हस्तान्तरित किए जाने (₹ 277.60 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 60.53 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 460-आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय- मूल 572.50 पुनर्वि. (-)270.90	301.00	299.80	(-)1.80
₹ 270.90 लाख की प्रत्याशित बचत शासन के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत राशि सी.जी.एम.एस.सी को हस्तान्तरित किए जाने (₹ 216.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 57.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7240-आयुर्वेदिक ग्राम- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)192.00	308.00	309.80	+1.80
₹ 192.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(19) 2210-04-102-4810-होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवाएं)- मूल 271.20 पुनर्वि. (-)45.54	225.66	224.97	(-)0.69
₹ 45.54 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 31.19 लाख) एवं शासन के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत राशि सी.जी.एम.एस.सी को हस्तान्तरित किए जाने (₹ 8.46 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 5.89 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2210-05-101-469-आयुर्वेदिक महाविद्यालय- मूल 1,216.70 पुनर्वि. (-)170.66	1,046.04	1,041.49	(-)4.55
₹ 170.66 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने (₹ 116.38 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 54.28 लाख की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2210-05-105-1355-चिकित्सा शिक्षा संचालनालय- मूल 144.70 पुनर्वि. (-)20.00	124.70	72.98	(-)51.72
₹ 20.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1915-दंत महाविद्यालय- मूल 1,592.60 पूरक सांकेतिक 1,592.60	1,592.60	1,438.12	(-)154.48
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6968-चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर- मूल 2,581.00 पूरक सांकेतिक 2,581.00	2,581.00	2,425.47	(-)155.53

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6996—चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़— मूल 1,562.00 पूरक 100.00	1,662.00	1,046.62	(-)615.38
(25) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7328—फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	158.10	96.11	(-)61.99
(26) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8897—सिकल सेल इन्स्टीट्यूट की स्थापना	200.00	80.00	(-)120.00
(27) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8939— चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव— मूल 250.00 पूरक 350.00	600.00	307.02	(-)292.98
(28) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	668.40	496.46	(-)171.94

उपरोक्त क्रम संख्या (23) से (28) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (23), (24) एवं (28) के शीर्षान्तर्गत, 2007-08 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत एवं 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (25) एवं (26) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2210-05-105-1352—चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर— मूल 3,440.70 पूरक सांकेतिक पुनर्वि 261.00	3,701.70	3,628.72	(-)72.98

₹ 261.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अपर्याप्त बजट होने से अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

प्रभारित—

(v) ₹ 4.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 3.10 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 1,014.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8938—चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगाँव	100.00	..	(-)100.00

अनुदान संख्या 79—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4210-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4136-आयुर्वेद भवन निर्माण	150.00	..	(-)150.00
(3) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8897- सिकल सेल इन्स्टीट्यूट की स्थापना	200.00	..	(-)200.00
(4) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8939-चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगाँव- मूल 100.00 पूरक 150.00	250.00	..	(-)250.00
(5) 4210-04-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7252-विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु ऋण का पुनर्भुगतान	100.00	..	(-)100.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(6) 4210-04-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7279-चिकित्सा महाविद्यालय	400.00	200.00	(-)200.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 80—त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु—पालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा घातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	3,51,63,994			
पूरक	20,54,589	3,72,18,583	3,20,07,805	(-)52,10,778
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				51,91,293

पूंजीगत:

मूल	20,30,000			
पूरक	50,000	20,80,000	20,84,826	+4,826
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				314

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 3,610.75 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 16,897.64 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 37.50 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 20,545.89 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 52,107.78 लाख के उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 51,912.93 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5169—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम—			
मूल	5,095.00		
पुनर्वि.	(-)1,735.85	3,359.15	2,934.94
			(-)424.21

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-112-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6933—माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 3,896.00 पुनर्वि. (-)1,353.26	2,542.74	2,309.58	(-)233.16
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,735.85 लाख एवं ₹ 1,353.26 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक उपस्थिति के अनुसार व्यय किए जाने एवं दर्ज संख्या के अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2005-06 से 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत एवं 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-197-8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 40,000.00 पुनर्वि. (-)1,111.36	38,888.64	38,918.74	+30.10
₹ 1,111.36 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-197-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5396—सर्व शिक्षा अभियान — मूल 54,000.00 पुनर्वि. (-)260.71	53,739.29	53,713.33	(-)25.96
₹ 260.71 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(5) 2202-01-197-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)- 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 29,048.00 पुनर्वि. (-)1,231.07	27,816.93	27,942.36	+125.43
(6) 2202-02-196-8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 18,000.00 पुनर्वि. (-)412.49	17,587.51	17,607.58	+20.07
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 1,231.07 लाख एवं ₹ 412.49 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ जिलों द्वारा व्यय नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202-02-196-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान — मूल 4,550.00 पुनर्वि. (-)1,863.90	2,686.10	2,671.07	(-)15.03
₹ 1,863.90 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य योजना के अनुसार भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2215-01-198-2219—नलकूपों का अनुरक्षण	1,200.00	1,120.27	(-)79.73
(9) 2235-60-198-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	1,000.00	625.77	(-)374.23
(10) 2235-60-198-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	7,864.00	7,808.56	(-)55.44
(11) 2235-60-198-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7336—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	1,980.00	1,884.23	(-)95.77
(12) 2235-60-198-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7340—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	612.00	559.32	(-)52.68
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2405-101-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 167.00 पुनर्वि. (-)50.00	117.00	98.64	(-)18.36
₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2405-101-1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8947—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— (एन.एम.पी.एस.)	133.00	34.00	(-)99.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(15) 2515-101-5575—त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव— पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)52.65	447.35	0.89	(-)446.46
₹ 52.65 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7595-खारून सफाई योजना- पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)100.00
₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(17) 2515-196-7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान- मूल 5,393.00 पुनर्वि. (-)2,032.67	3,360.33	3,360.33	..
₹ 2,032.67 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2515-196-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 7019-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि- मूल 15,000.00 पूरक 14,500.00 पुनर्वि. (-)14,500.92	14,999.08	14,999.08	..
₹ 14,500.92 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2515-196-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8668-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान- मूल 9,000.00 पुनर्वि. (-)8,278.75	721.25	723.31	+2.06
₹ 8,278.75 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2515-197-7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान- मूल 10,786.00 पुनर्वि. (-)4,065.34	6,720.66	6,720.66	..
₹ 4,065.34 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 2515-197-8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें- मूल 646.20 पुनर्वि. (-)62.20	584.00	583.81	(-)0.19
₹ 62.20 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(22) 2515-198-7416-तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान- मूल 37,751.00 पुनर्वि. (-)14,228.69	23,522.31	23,522.31	..

अनुदान संख्या 80—जारी

₹ 14,228.69 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 2515-198-8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें— मूल 5,670.00 पुनर्वि. (-)111.65	5,558.35	5,556.92	(-)1.43

₹ 111.65 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(24) 2853-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 8,000.00 पूरक 1,562.29	9,562.29	9,453.08	(-)109.21
--	----------	----------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2007-08 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 18,000.00 पुनर्वि. (-)259.05	17,740.95	18,394.89	+653.94

₹ 259.05 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 2215-01-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2219-नलकूपों का अनुरक्षण	650.00	716.00	+66.00
(3) 2235-60-198-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	18,780.00	19,707.10	+927.10

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2236-02-101-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8679-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)9.47	140.53	203.63	+63.10
--	--------	--------	--------

₹ 9.47 लाख की प्रत्याशित बचत आंगनबाड़ियों के संचालित कार्य सम्पन्न नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 80—समाप्त

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 48,26,000 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) ₹ 48.26 लाख के आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2015 को किया गया ₹ 3.14 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) प्रावधान में आधिक्य निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-198-1101-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 8555-छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण-			
मूल	5,200.00		
पुनर्वि.	(-)1.17	5,198.83	5,250.23
			+51.40

₹ 1.17 लाख की प्रत्याशित बचत अनुशंसा अनुसार राशि विमुक्त किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
	(₹ हजार में)		
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853— अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	1,38,46,780		
पूरक	9,36,780	1,47,83,560	1,22,13,508
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)25,70,052 22,14,526
<i>प्रभारित</i>			
मूल	5,60,000		
पूरक	40,000	6,00,000	6,00,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	12,35,000		
पूरक	5,00,000	17,35,000	16,88,028
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)46,972 46,900
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, जुलाई 2014 (₹ 400.00 लाख) एवं दिसम्बर 2014 (₹ 8,967.80 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 9,367.80 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) ₹ 25,700.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 22,145.26 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-191-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान			
मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)111.00	1,389.00	1,382.33
			(-)6.67

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-192-8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)109.86	1,390.14	1,376.09	(-)14.05
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 111.00 लाख एवं ₹ 109.86 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5396—सर्व शिक्षा अभियान— मूल 2,850.00 पुनर्वि. (-)369.05	2,480.95	2,480.95	..
₹ 369.05 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(4) 2202-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)222.58	1,277.42	1,276.66	(-)0.76
(5) 2202-02-191-8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)142.14	857.86	859.20	+1.34
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 222.58 लाख एवं ₹ 142.14 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2011-12 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (4) तथा 2009-10 से 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।			
(6) 2202-02-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00
₹ 250.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(7) 2202-02-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	1,000.00	976.75	(-)123.25
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(8) 2217-05-191-7416—तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 7,585.00 पूरक 4,017.00 पुनर्वि. (-)9,816.66	1,785.34	1,785.34	..
₹ 9,816.66 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00
₹ 500.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 479.00 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 21.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8543-भागीरथी नल जल योजना- मूल 941.40 पुनर्वि. (-)665.98	285.42	285.42	..
₹ 665.98 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के क्रियान्वयन प्राधिकारी के द्वारा मांग प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है।			
(11) 2217-05-192-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान- मूल 2,683.00 पूरक 1,898.00 पुनर्वि. (-)3,949.49	631.51	631.51	..
(12) 2217-05-193-7416-तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान- मूल 2,988.00 पूरक 2,708.00 पुनर्वि. (-)4,992.72	703.28	703.28	..
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 3,949.49 लाख एवं ₹ 4,992.72 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2010-11 से 2013-14 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2235-60-191-4858-इंदिरा सहारा योजना	1,760.00	1,118.00	(-)642.00
(14) 2235-60-191-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3,000.00	601.35	(-)1,323.77
(15) 2235-60-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	600.00	287.50	(-)312.50
(16) 2235-60-192-4858-इंदिरा सहारा योजना	1,000.00	601.35	(-)398.65
(17) 2235-60-192-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,564.00	1,012.97	(-)551.03
(18) 2235-60-193-4858-इंदिरा सहारा योजना	700.00	553.91	(-)146.09
(19) 2235-60-193-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,520.00	1,429.38	(-)90.62

उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (19) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 3604—192—8018—प्रवेश कर से प्राप्त आगम के बराबर शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान—			
मूल	17,200.00		
पुनर्वि.	(-)910.00	16,290.00	16,290.00 ..

₹ 910.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः
प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235—60—191—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	1,170.00	1,240.31	+70.31
(2) 2235—60—192—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	140.00	172.70	+32.70
(3) 2235—60—192—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	342.00	385.32	+43.32
(4) 2235—60—193—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	140.00	195.10	+55.10

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।
2013—14 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 469.72 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 5,000.00 लाख का
अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण था।

(vi) ₹ 469.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को ₹ 469.00 लाख का अभ्यर्पण किया
गया।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6217—60—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7329—विशिष्ट प्रयोजनार्थ—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00

अनुदान संख्या 81—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 6217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 100.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत ऋण के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत तथा 2011-12 से 2013-14 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
6217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	131.00	181.00	180.28
			(-)0.72

₹ 131.00 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन निधि की आवश्यकता होने के कारण सतिचत सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती
राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु—पालन			
2405—मछली—पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास योजनाएँ			
2853—अलोह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
मूल	2,05,89,775		
पूरक	8,98,596	2,14,88,371	1,78,46,676
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)36,41,695 32,41,351
पूंजीगत :			
दत्तमत		11,47,600	11,47,600
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, जुलाई 2014 (₹ 1,000.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 7,967.21 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 18.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 8,985.96 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 36,416.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 32,413.51 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-197-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5169-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—			
मूल	14,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,249.32	12,250.68	10,773.90
			(-)1,476.78

₹ 2,249.32 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-796-197-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5396—सर्व शिक्षा अभियान— मूल 38,000.00 पुनर्वि. (-)13,578.11	24,421.89	24,399.82	(-)22.07
₹ 13,578.11 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(3) 2202-01-796-197-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6933—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 9,000.00 पुनर्वि. (-)1,711.88	7,288.12	7,120.60	(-)167.52
₹ 1,711.88 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने (₹ 1,661.88 लाख) के कारण सूचित की गई है। शेष ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2009-10 से 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-796-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2949—बालिकाओं का गणवेश— मूल 4,093.00 पुनर्वि. (-)344.66	3,748.34	3,747.36	(-)0.98
₹ 344.66 लाख की प्रत्याशित के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(5) 2202-02-796-196-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना 7247—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान— मूल 3,200.00 पुनर्वि. (-)1,846.43	1,353.57	1,343.11	(-)10.46
₹ 1,846.43 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(6) 2202-02-796-197-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)486.65	19,513.35	16,084.13	(-)3,429.22
₹ 486.65 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 666.65 की कमी एवं ₹ 180.00 की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।			
(7) 2235-60-796-198-1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	500.00	340.86	(-)159.14
(8) 2235-60-796-198-1002—अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5401—राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल 5,130.00 पूरक 180.00	5,310.00	5,127.32	(-)182.68

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)	
(9) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-	मूल 1,260.00 पूरक 170.00	1,430.00	1,341.50	(-)88.50
(10) 2235-60-796-198-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7340-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन	360.00	302.37	(-)57.63	
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2013-14 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(11) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना 8891-फुलवारी योजना-	पूरक 1,000.00 पुनर्वि. (-)9.50	990.50	936.90	(-)53.60
₹ 9.50 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।				
(12) 2515-796-196-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7019-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि-	मूल 37,500.00 पूरक 6,800.00 पुनर्वि. (-)6,802.00	37,498.00	37,498.00	..
₹ 6,802.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई है। 2011-12 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(13) 2515-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8668-राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान-	मूल 4,200.00 पुनर्वि. (-)3,706.98	493.02	485.29	(-)7.73
₹ 3,706.98 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण सूचित की गई हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(14) 2515-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8891-फुलवारी योजना-	मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)600.00	400.00	400.00	..
₹ 600.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए जाने के कारण सूचित की गई है।				
(15) 2853-02-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6299-ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण-	मूल 3,400.00 पूरक 817.21 पुनर्वि. (-)1.57	4,215.64	4,163.11	(-)52.53

अनुदान संख्या 82—समाप्त

₹ 1.57 लाख की प्रत्याशित बचत बीजापुर कोषालय द्वारा भुगतान हेतु आहरण नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4691-अनुसूचित जातियों की छात्राओं के प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजना-			
मूल	330.00		
पुनर्वि.	(-)126.86	456.86	460.34
			+3.48

₹ 126.86 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 6.97 लाख की कमी एवं ₹ 133.83 लाख की वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि निधि की मांग के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

(2) 2202-01-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिये अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये-			
मूल	53,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,128.63	52,371.37	54,079.42
			+1,708.05

₹ 1,128.63 लाख के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में ₹ 1,428.63 लाख की कमी एवं ₹ 300.00 लाख की वृद्धि के निवल परिणाम स्वरूप हुई। वृद्धि बजट में अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण सूचित की गई है। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)।

अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4217—शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	3,85,545		
पूरक	680	3,86,225	3,32,383
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)53,842 47,842

पूंजीगतः

मूल	5,30,000		
पूरक	3,80,000	9,10,000	9,10,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) कुल व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा, दिसम्बर 2014 (₹ 6.80 लाख) में प्राप्त किया गया अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 538.42 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2015 को केवल ₹ 478.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-796-191-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना - 8543-भागीरथी नल-जल योजना-			
मूल	308.58		
पुनर्वि.	(-)216.01	92.57	92.57
(2) 2217-05-796-192-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8543- भागीरथी नल-जल योजना-			
मूल	160.94		
पुनर्वि.	(-)112.66	48.28	48.28
(3) 2217-05-796-193-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8543- भागीरथी नल-जल योजना-			
मूल	213.93		
पुनर्वि.	(-)149.75	64.18	64.18

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत ₹ 216.01 लाख, ₹ 112.66 लाख एवं ₹ 149.75 लाख की प्रत्याशित बचत योजना संचालन के प्राधिकारी द्वारा मांग नहीं किए जाने के कारण सूचित की गई है।

अनुदान संख्या 83—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-796-191-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता— (अनुसूचित जन जाति उपयोजना)— 5401-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	234.00	337.73	+103.73

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2015)। 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट – I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 11 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
(₹ हजार में)			
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन- राजस्व-			
दत्तमत	1,420	..	(-)1,420
पूंजीगत-			
दत्तमत	4,32,000	..	(-)4,32,000
10. वन-			
राजस्व-			
दत्तमत	2,60,000	2,59,068	(-)932
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय-			
राजस्व-			
दत्तमत	2,39,775	2,39,775	..
पूंजीगत-			
दत्तमत	8,00,000	8,00,000	..
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-			
राजस्व-			
दत्तमत	1,50,000	82,704	(-)67,296
23. जल संसाधन विभाग-			
राजस्व-			
दत्तमत	16,82,071	2,675	(-)16,79,396
पूंजीगत-			
दत्तमत	200	79	(-)121
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
राजस्व-			
दत्तमत	6,40,000	..	(-) 6,40,000
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-			
पूंजीगत-			
दत्तमत	26,58,100	3,80,281	(-)22,77,819
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-			
राजस्व-			
दत्तमत	1,49,480	1,49,480	..
पूंजीगत-			
दत्तमत	6,08,000	6,09,706	+1,708
56. ग्रामोद्योग-			
पूंजीगत-			
दत्तमत	..	734	+734

परिशिष्ट-I समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
	(₹ हजार में)		
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय— राजस्व— दत्तमत	21,89,383	12,47,324	(-)9,41,959
पूंजीगत— दत्तमत	2,000	..	(-)2,000
64. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना— राजस्व— दत्तमत	27,600	27,600	..
पूंजीगत— दत्तमत	1,75,145	1,75,195	+50
67. लोक निर्माण कार्य—भवन— राजस्व— दत्तमत	15,37,920	18,36,414	(-)2,98,494
पूंजीगत— दत्तमत	7,37,400	..	(-)7,37,400
80. त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता— राजस्व— दत्तमत	4,50,000	7,50,000	(-)3,00,000
योग—			
राजस्व— दत्तमत	73,27,649	45,95,041	(-)39,29,496
पूंजीगत— दत्तमत	54,12,845	19,65,995	(-)30,19,832
महायोग—			
राजस्व	73,27,649	45,95,041	(-)39,29,496
पूंजीगत	54,12,845	19,65,995	(-)30,19,832

परिशिष्ट-II

मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण की गई राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखा शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल+अनुपूरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अन्तरित राशि
(₹ हजार में)				

वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में कोई भी राशि अंतरित नहीं की गए हैं।

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2015

www.cag.gov.in

agchattisgarh@cag.gov.in